इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2020—कार्तिक 15, शक 1942

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ—2—6—2020—सात—शा—7.— भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (अडतीस), (उनतालीस), (चालीस), (बयालीस), (पैंतालीस), (बावन), (तिरपन), (पचपन), (साठ), (इकसठ), (बासठ), (पैसठ) तथा (छियासठ) एवं उपधारा (2 ख) के खण्ड (ठ) सहपठित उक्त संहिता की धारा 161, 165, 166, 170, 173, 176, 179, 221, 222, 223, 226, 228, 230, 239, 240, 241, 248, 249 तथा 251 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना कमांक 196—6477—सात—एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 197—6477—सात—एन (नियम), दिनांक 6

जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 198–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 388–सीआर–532–सात–एन (नियम), दिनांक 11 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 200–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 208–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 11343–सात–एन (नियम), दिनांक 1 अक्टूबर, 1959, अधिसूचना कमांक 209–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 210–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 211–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 212–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 216–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक एफ–2–39–04–सात–शा.6, दिनांक 26 नवम्बर, 2007, अधिसूचना कमांक 5262–3472–सात–एन–एक (नियम), दिनांक 28 सितम्बर, 1964, अधिसूचना क्रमांक एफ–2–39–04–सात–शा.–6 दिनांक 26 नवम्बर, 2007, अधिसूचना कमांक एफ 6–2–सात–एन–एक दिनांक 13 दिसम्बर, 1976, अधिसूचना कमांक 221–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना कमांक 223–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960 तथा अधिसूचना कमांक 367 दिनांक 26 फरवरी, 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नानुसार नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2020 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:–

नियम

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

अध्याय–एक

नाम और परिभाषाएं

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

(3) इन नियमों में निम्नलिखित उपबंध अंतर्विष्ट हैं –

(क) धारा 173 के अधीन भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों के त्यजन किए जाने का विनियमन;

(ख) उन निबन्धनों तथा शर्तों का विहित किया जाना जिन पर किसी व्यक्ति को धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन किसी परित्यक्त खाते का कब्जा दिया जा सकेगा;

(ग) भू–राजस्व में ऐसी वृद्धि तथा कमी के निर्धारण का विनियमन जैसा कि अध्याय 15 के अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात है;

(घ) धारा 165 के अधीन अंतरित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमाओं का विहित किया जाना तथा उस रीति का विहित किया जाना जिसमें धारा 166 के अधीन समपहृत भूमि का चयन व सीमांकन किया जाएगा एवं अंतरिती के पास बच रही भूमि का भू–राजस्व नियत किया जाएगा;

(ङ) धारा 170 के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलाए जाने संबंधी दावों को निपटाने की प्रक्रिया का विनियमन;

(च) धारा 258 की उपधारा 2–ख के खण्ड (ठ) के अधीन अर्जी लेखकों का अनुज्ञापन और उनके आचरण का विनियमन;

(छ) धारा 222 की उपधारा (1) के अधीन पटेलों की नियुक्ति का विनियमन, जहाँ किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों वहाँ पटेल के पद के कर्तव्यों के वितरण की रीति, धारा 223 के अधीन पटेल के पारिश्रमिक का नियत किया जाना, धारा 226 के अधीन उसे पद से हटाया जाना तथा धारा 228 के अधीन प्रतिस्थानी पटेल का नियुक्त किया जाना;

(ज) धारा 230 के अधीन कोटवारों की नियुक्ति, दण्ड, निलम्बन तथा पदच्युति तथा कोटवारों के कर्तव्यों तथा पर्यवेक्षण के तरीकों का निर्धारण;

(झ) धारा 179 की उपधारा (2) के अधीन वृक्षों में के अधिकार क्रय करने हेतु आवेदनों के निपटारे के बारे में राजस्व अधिकारियों को मार्गदर्शन;

(ञ) धारा 239 की उपधारा (6) के अधीन प्रतिकर की संगणना की रीति;

(ट) धारा 240 की उपधारा (1) के अधीन वृक्षों के काटे जाने का तथा धारा 240 की उपधारा (3) के अधीन वनोत्पादों के नियंत्रण, प्रबंध, काटकर गिराए जाने या हटाए जाने का विनियमन;

(ठ) धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित आदेश को उद्घोषित करने की रीति का विहित किया जाना तथा उसके अधीन सरकारी वनों से इमारती लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए वृक्षों को काटकर गिराए जाने अथवा हटाए जाने का विनियमन;

(ड) धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अधीन भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखने के लिए किसी व्यक्ति को पकड़वाने तथा उसे सिविल कारागार में भेजने की प्रक्रिया;

(ढ) धारा 249 के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव जंतुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनको गोली मारने तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्हीं पदार्थों को हटाने का विनियमन;

(ण) धारा 251 की उपधारा (6) के अधीन तालाबों से जल के उपयोग का विनियमन ; और

(त) धारा 221 के अधीन खातों की चकबंदी के लिए उपबंधों को कार्यान्वित करना।

2. परिभाषाएं. – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) "ग्राम पंचायत" या "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित क्रमशः ग्राम पंचायत या ग्रम सभा।

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(च) "तहसीलदार" में अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार सम्मिलित हैं; और

(छ) "नगरीय स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त तत्स्थाना विधि के अधीन स्थापित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं और संहिता में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए क्रमशः दिए गए हैं।

अध्याय – दो

त्यजन, परित्याग, जलोढ़ तथा जल–प्लावन

भाग–क

भूमिस्वामी द्वारा अधिकारों का त्यजन

(धारा– 173)

3. त्यजन की सूचना.– धारा 173 के अंतर्गत भूमिस्वामी द्वारा तहसीलदार को दी जाने वाली त्यजन की सूचना **प्ररूप–एक** में होगी और दो साक्षियों द्वारा संपुष्ट होगी।

4. त्यजन की सूचना पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया जाना.– (1) तहसीलदार, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे या तो ऐसे त्यजन को स्वीकार कर सकेगा या उसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए सूचना को अमान्य कर देगा।

(2) उस दशा में, जब कि त्यजन को स्वीकार कर लिया जाता है, तहसीलदार मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब–उल–अर्ज) नियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार उस भूमि को दखलरहित भूमि के रूप में दर्ज करवाएगा।

(3) खाते के केवल किसी भाग का त्यजन किए जाने की दशा में खाते का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

(4) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश **प्ररूप–दो** में होगा। आदेश की एक प्रति संबंधित भूमिस्वामी को दी जाएगी, दूसरी प्रति यथास्थिति पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक को भेजी जाएगी जो सुसंगत भू–अभिलेखों में प्रविष्टियों को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(5) यदि तहसीलदार की यह राय हो कि भूमि को धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए अथवा धारा 233–क के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखा जाना चाहिए तो वह आदेश की एक प्रति अपनी अनुशंसा के साथ उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो अपनी रिपोर्ट के साथ उसे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

5. त्यजन की हुई भूमि का निस्तार अथवा लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखा जाना.– नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कलक्टर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब–उल–अर्ज) नियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार भूमि को धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए अथवा धारा 233–क के अधीन लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रख सकेगा।

भाग–ख

वे निबंधन तथा शर्तें जिन पर किसी व्यक्ति को परित्यक्त खाते का कब्जा दिलाया जा सकेगा

[धारा 176 (2)]

6. परित्यक्त खाता वापस दिलाए जाने के लिए निबन्धन तथा शर्तें.– जब परित्यक्त खाते का हकदार कोई भूमिस्वामी या अन्य व्यक्ति धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन उसका दावा करे तो निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर वह भूमि उसे वापस लौटा दी जाएगी, अर्थात्:–

(क) यह कि उसने विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उस खाते से संबंधित भू–राजस्व के बकाया तथा अन्य शोध्य राशियों का, यदि कोई हों, भुगतान कर दिया हो;

स्पष्टीकरण – धारा 176 की उपधारा(1) के अधीन जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों को, भूमि पट्टे पर दी गई हो, उनसे प्राप्त राशि अथवा राशियाँ भू–राजस्व के बकाया में से मुजरा दे दी जाएंगी;

(ख) यह कि वह, धारा 176 की उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार द्वारा जिस व्यक्ति को वह भूमि पट्टे पर दी गई हो, उसके आधिपत्य में बाधा नहीं डालेगा और उसे भूमि लौटाने के आदेश के दिन खड़ी हुई फसल को गाहने, काटने और हटा ले जाने देगा;

(ग) यह कि वह, आदेश के दिनांक के पश्चात् के आगामी कृषि वर्ष से भूमि का कब्जा ग्रहण करेगा; और

(घ) वह स्वयं खेती करने के लिए सहमत है।

भाग – ग

जलोढ़ तथा जल–प्लावन के कारण खाते का पुनर्निर्धारण

(धारा 204)

7. जलोढ़ तथा जल–प्लावन की रिपोर्ट.– (1) यथास्थिति, पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी खाते में जलोढ़ अथवा जल–प्लावन के कारण हुए आधे हेक्टर से अधिक परिवर्तन के मानचित्रों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(2) पटवारी की रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। नगर सर्वेक्षक की रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात की जाँच करे कि क्या किसी अन्य खाते में अथवा दखलरहित भूमि में भी तत्समान परिवर्तन हुआ है तथा वह जांच के परिणाम की सूचना उपनियम (2) में विहित रीति में उपखण्ड अधिकारी को देगा। यदि क्षेत्रफल का परिवर्तन किसी दूसरे ग्राम अथवा नगरीय क्षेत्र की भूमि को प्रभावित करता है तो यथास्थिति उस ग्राम अथवा नगरीय क्षेत्र के पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक को भी सूचित करेगा।

8. **खाते का पुनर्निर्धारण.**– उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसे खाते का, जिसके क्षेत्रफल में जलोढ़ अथवा जल–प्लावन के कारण आधे हेक्टेयर से अधिक परिवर्तन हुआ हो, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

अध्याय – तीन

धारा 165 की उपधारा (4) तथा धारा 170 के उपबंधों के उल्लंघन में भूमि में के हित का अंतरण

भाग–क

अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का समपहरण

(धारा 165 तथा 166)

9. अधिकतम सीमा.– धारा 165 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए अधिकतम सीमा भूमि का वह अधिकतम क्षेत्रफल है जिसे कि धारक मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) के अधीन धारण करने का हकदार है।

10. अन्तरिती को सूचना.– (1) उपखण्ड अधिकारी की जानकारी में जैसे ही यह बात आती है कि भूमि का अंतरण धारा 165 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है तो वह अंतरिती पर एक सूचना का निर्वाह करेगा कि अधिकतम सीमा से अधिक होने वाली भूमि का चयन ऐसी सूचना प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर करे।

(2) यदि अंतरिती चयन करने में असफल रहे तो उपखण्ड अधिकारी यथासंभव क्षेत्रफल की निरंतरता और एकत्रता को ध्यान में रखते हुए स्वयं ऐसा चयन करेगा।

11. पूर्ण सर्वेक्षण संख्यांकों का चयन किया जाना.– चयन करते समय अधिकतम सीमा के ऊपर पूर्ण सर्वेक्षण संख्यांकों का चयन किया जाएगा। सर्वेक्षण संख्यांक का उप–विभाजन करने का आश्रय अधिकतम भूमि सीमा को पूरा करने के लिए केवल एक सर्वेक्षण संख्यांक में लिया जाएगा।

12. चयनित क्षेत्र का सीमांकन.– (1) चयनित खेतों की सूची प्राप्त होने पर अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा खेतों का स्वयं चयन करने के पश्चात् यथास्थिती, उपखण्ड अधिकारी **प्ररूप–तीन** में ऐसे सर्वेक्षण संख्यांकों की सूची यथास्थिति ग्राम के पटवारी अथवा सेक्टर के नगर सर्वेक्षक को इस निदेश के साथ भेजेगा कि वह एक मास के भीतर उनका सीमांकन करे।

(2) पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक चयन किए गए खेतों का ऐसे दिनांक अथवा दिनांकों को, जिसकी कि पूर्व सूचना अंतरिती को दी जाएगी, सीमांकन करेगा। सीमांकन हो जाने के पश्चात् पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक उपखण्ड अधिकारी को पालन प्रतिवेदन भेजेगा।

13. अन्तरिती के खाते का पुनर्निर्धारण.– उपखण्ड अधिकारी द्वारा, अन्तरिती के पास समपहरण के पश्चात् बच रहे खाते पर निर्धारित भू–राजस्व का पुनर्निर्धारण मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

भाग–ख

धारा 170 के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलाए जाने के लिए किए गए दावों के निपटारे की प्रक्रिया

(धारा 170)

14. कब्जे के लिए आवेदन.– धारा 170 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने वाले आवेदन के साथ नवीनतम जमाबन्दी अथवा अधिकार अभिलेख की सुसंगत प्रविष्टि का सार तथा उस विलेख या दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाएगी जिसके अधीन कब्जे को अंतरित हो जाना अभिकथित किया गया है।

15. अंतरक को सूचना.– आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी अंतरक (यदि वह आवेदक नहीं है) तथा अंतरिती को **प्ररूप–चार** में, उनसे यह कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए सूचनाएं तामील करवाएगा कि अन्तरण को क्यों न अपास्त किया जाए।

16. उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच.– सुनवाई के लिए नियत दिनांक को अथवा उस दिनांक को जिस पर कि सुनवाई स्थगित की जाए, उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों का परीक्षण करेगा तथा किन्हीं साक्षियों के, जिन्हें कि वे प्रस्तुत करें, बयान (कथन) अभिलिखित करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या अंतरण, यथास्थिति धारा 165 की उपधारा (4) अथवा (6) के अनुसार था अथवा नहीं। यदि यह निष्कर्ष हो कि अंतरण धारा 165 की उपधारा (4) अथवा (6) के अनुसार था तो आवेदन को निरस्त किया जाएगा।

17. दावेदारों तथा लेनदारों को सूचना तथा उद्घोषणा.– (1) यदि उपखण्ड अधिकारी ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि अंतरण धारा 165 की उपधारा (4) अथवा (6) के अनुसार नहीं था तो वह 6 सप्ताह से अनधिक के लिए कार्यवाहियों को स्थगित कर देगा और उन समस्त व्यक्तियों पर –

(क) जो उसे प्रथमदृष्ट्या आवेदनकर्ता के समान या उससे पूर्वतर अधिकार रखने वाले प्रतीत हों; और

(ख) जिनका अंतरणकर्ता उन शोध्यों के हेतु जो भूमि पर भार का निर्माण करते हों, ऋणी प्रतीत हों,

प्ररूप–पांच में सूचना तामील करवाएगा।

(2) उपखण्ड अधिकारी उसी समय एक उद्घोषणा जारी करवाएगा। उद्घोषणा **प्ररूप–छह** में होगी तथा उस ग्राम अथवा नगरीय क्षेत्र में, जिसमें और जिससे भूमि पर कृषि की जाती थी, प्रकाशित की जाएगी।

(3) उपखण्ड अधिकारी उसी समय तहसीलदार से भू–राजस्व के बकाया तथा अन्य शोध्यों के बारे में जो भूमि पर भार का निर्माण करते हों, राज्य सरकार के दावों का विवरण प्रस्तुत करने को कहेगा।

18. दावों तथा आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा.– कब्जा दिलाने के या उन किन्हीं भी शोध्यों के लेखे जो भूमि पर भार का निर्माण करते हों, किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे नियम 17 के अधीन जारी सूचनाओं में तथा उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत नहीं किए गए हों।

19. उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावों तथा आपत्तियों को विनिश्चित किया जाना.– (1) नियम 17 के अधीन जारी की गई सूचनाओं तथा उद्घोषणा में नियत दिनांक को अथवा उस किसी भी दिनांक को जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, उपखण्ड अधिकारी भूमि पर कब्जा दिलाने के आवेदनकर्ता के दावे पर की गई आपत्तियों पर विचार करेगा तथा अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा।

(2) यदि निष्कर्ष इस आशय का है कि आवेदनकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति भूमि पर कब्जा दिलाए जाने का हकदार है तो उपखण्ड अधिकारी भू–राजस्व के बकाया या उन किन्हीं अन्य शोध्यों का जो भूमि पर भार का निर्माण करते हों, **प्ररूप–सात** में एक विवरण तैयार करेगा और उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपेगा जो उनकी देयता की स्वीकार्यता के बारे में **प्ररूप–आठ** में कथन करेगा।

20. उपखण्ड अधिकारी द्वारा कब्जे के आदेश का दिया जाना.– यदि आवेदनकर्ता अथवा ऐसा व्यक्ति **प्ररूप–सात** में उल्लिखित बकाया अथवा शोध्यों का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है तो उपखण्ड अधिकारी उसे कब्जा दिलाने का परिनिर्णय देने के लिए अग्रसर होगा। यदि कब्जे के लिए हकदार पाया गया व्यक्ति ऐसे बकाया का भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होता है तो मामले को फाइल कर दिया जाएगा।

21. भू–अभिलेखों में प्रविष्टियों का संशोधन.– नियम 20 के अधीन पारित आदेश की एक प्रति तहसीलदार को भेजी जाएगी जो ग्राम अथवा क्षेत्र के पटवारी अथवा नगर सर्वेक्षक को ग्राम अथवा नगरीय क्षेत्र के भू–अभिलेखों में प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश देगा।

अध्याय–चार

अर्जी–लेखक

धारा 258 की उप धारा (2–ख) का खण्ड (ठ) ,

22. अध्याय–चार के लिए परिभाषाएं.– इस अध्याय में, –

(क) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति;

(ख) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से अभिप्रेत हैं उस जिले का कलक्टर जिसमें आवेदक अर्जी–लेखक के रूप में व्यवसाय करने की इच्छा रखता हो;

(ग) "अर्जी" से अभिप्रेत है, राजस्व न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लिखा गया दस्तावेज और उसमें अपील अथवा पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन की अर्जी सम्मिलित है;

(घ) "अर्जी–लेखक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन अर्जियां लिखने की अनुज्ञप्ति दी गई हो;

(ड.) "अर्जी–लेखक के रूप में व्यवसाय करना" से अभिप्रेत है भाड़े पर अर्जियां लिखना और उसमें भाड़े पर एक अर्जी लिखना भी सम्मिलित है; और

(च) किसी अर्जी–लेखक को "राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष व्यवसाय करना" कहा जाएगा जब वह उस न्यायालय अथवा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अर्जियां लिखता हो।

23. अर्जी–लेखकों के लिए अनुज्ञप्ति का अपेक्षित होना.– कोई व्यक्ति अर्जी–लेखक के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा जब तक कि उसे इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की गई हों :

परन्तु–

(क) अब तक प्रभावशील किसी भी नियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त समझा जाएगा; और

(ख) विधि व्यवसायी या उसके लिपिक को, उस किसी भी अर्जी के बारे में जो विधि व्यवसायी द्वारा या उसकी ओर से उसके लिपिक द्वारा उस राजस्व न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु, जिसके समक्ष व्यवसाय करने के लिए विधि व्यवसायी अर्ह हो, लिखी गई हो, अर्जी–लेखक के रूप में व्यवसाय करना नहीं समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि जब अर्जी लिपिक द्वारा लिखी गई हो तो वह उसके नियोजन द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी ।

24. अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तियों की संख्या का नियत किया जाना.– इन नियमों के अधीन प्रदान की जाने वाली अनुज्ञप्तियों की संख्या समय–समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत संख्या के अनुसार होगी। इस प्रकार नियत संख्या से अधिक संख्या में कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

25. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप.– अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन **प्ररूप–नौ** में दिया जाएगा, जो आवेदनकर्ता द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाएगा।

26. अनुज्ञप्ति के लिए निरर्हताएं.– उस व्यक्ति को कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी यदि–

(क) वह शासकीय सेवक हो; अथवा

(ख) वह किसी विधि व्यवसायी का कर्मचारी हो।

27. अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.– (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, इन नियमों के नियम 26 के अध्यधीन रहते हुए अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उसका यह समाधान हो जाने पर कि –

(क) आवेदक ने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

(ख) आवेदक ने हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ;

(ग) आवेदक का हस्तलेख सुवाच्य है ;

(घ) आवेदक को कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में पर्याप्त कुशलता प्राप्त है; और

(ङ) आवेदक अंगूठे और उँगलियों के स्पष्ट चिन्ह ले सकता है ;

आवेदक को **प्ररूप–दस** में अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने में उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास कम्प्यूटर तथा एसेसरी हो।

28. स्थाई अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.– (1) अनुज्ञप्ति प्रथमतः उसके जारी किए जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान की जाएगी।

(2) एक वर्ष की कालावधि के समाप्त हो जाने पर यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अर्जी–लेखक–

(क) उस स्थान की शासकीय भाषा में जहां वह व्यवसाय करता है, स्पष्ट एवं संक्षिप्त अर्जी सुवाच्य हस्तलेख में लिखने में अथवा टाईप करने में सक्षम है; और

(ख) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959), भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30), न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के उपबंधों से, जहां तक अर्जी–लेखक के कर्तव्यों के दक्ष क्रियान्वयन के लिए इन अधिनियमों का ज्ञान आवश्यक है, परिचित है ;

तो वह स्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा। शब्द ''स्थायी'' को अनुज्ञप्ति पर अंकित किया जाएगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे आद्याक्षरित करेगा।

(3) यदि अर्जी–लेखक उप नियम (2) में यथा उपबंधित रूप में अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान नहीं कर पाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति की कालावधि को और एक वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा तथा द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर उसका समाधान न कर पाने के कारण वह उसे स्थायी करने से मना कर सकेगा।

29. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना.– यदि कोई अनुज्ञप्ति खो गई है, नष्ट हो गई है, विकृत रूप हो गई है, फट गई है या अवाच्य हो गई है तो अनुज्ञप्ति धारक अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति प्रदान किए जाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा। अनुज्ञप्ति की प्रत्येक दूसरी प्रति पर ''दूसरी प्रति'' की मुद्रा अंकित की जाएगी।

30. अर्जी–लेखकों का रजिस्टर.– अनुज्ञापन प्राधिकारी **प्ररूप–ग्यारह** में अर्जी–लेखकों का एक रजिस्टर रखेगा। प्रत्येक अर्जी–लेखक के लिए रजिस्टर का एक या अधिक पृष्ठ पृथक् रखे जाएंगे।

31. अर्जियों का रजिस्टर.– प्रत्येक अर्जी–लेखक **प्ररूप–बारह** में अर्जियों का एक रजिस्टर रखेगा तथा उसमें अपने द्वारा लिखित प्रत्येक अर्जी की प्रविष्टि करेगा तथा रजिस्टर को किसी भी राजस्व अधिकारी के निरीक्षण के लिए, जब वैसा करने की अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।

32. अर्जी–लेखक की प्राधिकृत मुद्रा.– प्रत्येक अर्जी–लेखक अपने स्वयं के व्यय पर अपने पास निम्नलिखित नमूने की प्राधिकृत मुद्रा रखेगा:–

राजस्व अर्जी–लेखक

नाम .....

अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

जिला .....

33. अर्जियों का सादा एवं सरल भाषा में तैयार किया जाना.– प्रत्येक अर्जी–लेखक अर्जी लिखने में स्वयं को ऐसी सादा एवं सरल भाषा में जिसे अर्जीदार समझ सकता हो तथा संक्षिप्त एवं समुपयुक्त रूप में अर्जीदार के कथन एवं उद्देश्य व्यक्त करने तक सीमित रखेगा तथा किसी लॉ रिपोर्ट या अन्य विधि पुस्तक से किसी भी तर्क या उद्धरण को प्रविष्ट नहीं करेगा न अर्जीदार द्वारा उसे लक्षित नहीं कराए गए किसी भी विनिर्णय (रुलिंग) का हवाला देगा।

34. राजस्व अधिकारी के आदेश पर अर्जी का पुनः लिखा जाना.– कोई भी राजस्व अधिकारी अर्जी लेखक से उसके द्वारा लिखित उस किसी भी अर्जी को बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक के पुनः लिखने का आदेश दे सकेगा जो नियम 33 का उल्लंघन करती हो या अवाच्य, अस्पष्ट या अत्यंत विस्तृत हो अथवा जिसमें कोई भी असंबद्ध विषय या मिथ्या उद्धरण हो अथवा किसी भी अन्य कारण से ऐसे अधिकारी के मत में अनौपचारिक या अन्यथा आपत्तिजनक हो। जब वैसा आदेश दिया जाए तो अर्जी–लेखक को स्वयं के व्यय पर ऐसी अर्जी को पुनः लिखना अनिवार्य होगा।

35. अर्जी–लेखक द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस.– (1) प्रत्येक अर्जी–लेखक अर्जी के प्रथम पृष्ठ के लिए दस रूपये तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती पृष्ठ के लिए पांच रूपये से अनधिक फीस प्रभारित करेगा और अर्जी पर तथा अर्जियों के रजिस्टर के समुपयुक्त कॉलमों में भी उसके द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक धनराशि को लिखेगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कलक्टर, समय–समय पर, अर्जी–लेखकों द्वारा अपने जिले में प्रभारित की जाने वाली फीस को पुनरीक्षित कर सकेगा।

(3) कोई भी अर्जी–लेखक उस किसी भी वाद के परिणाम में, जिसके संबंध में उसे सेवायोजित किया गया हो, हित के द्वारा अपनी सेवाओं का भुगतान प्राप्त नहीं करेगा न ही किसी भी वाद को चलाने में योजित निधि के मद्दे निधि उपलब्ध कराएगा या उसमें अंशदान देगा जिसमें वह अन्यथा व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध न हो।

(4) प्रत्येक अर्जी–लेखक अर्जीदार को उसके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की रसीद देगा जिसमें धन किस हेतु प्राप्त किया गया था यह यथार्थतः निर्दिष्ट होगा, उदाहरणार्थ – लेखन शुल्क या व्यय और यदि व्यय हेतु धनराशि ली गई हो तो किन व्ययों के हेतु उदाहरणार्थ प्रकरण फीस/ इत्यादि। ब्यौरों को या तो स्वयं रसीद में या उससे संलग्न कागज के पृथक् खण्ड पर दर्शाया जाएगा।

36. अर्जी–लेखक द्वारा मुख्तारनामा स्वीकार न करना.– कोई भी अर्जी–लेखक उस प्रकरण से जिसमें वह स्वयं पक्षकार हो, भिन्न किसी भी प्रकरण के किसी राजस्व न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी के समक्ष संचालन के लिए किसी भी मुख्तारनामे को चाहे वह साधारण हो अथवा विशेष, स्वीकार नहीं करेगा।

37. अनुज्ञप्ति का समर्पण – प्रत्येक अर्जी–लेखक जो, –

(क) अर्जी–लेखक के रूप में व्यवसाय करना बन्द कर देता है;

(ख) सरकार की अथवा किसी विधि व्यवसायी की सेवा में चला जाता है; अथवा

(ग) जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो,

अनुज्ञापन प्राधिकारी को अपनी अनुज्ञप्ति तत्काल समर्पित कर देगा।

38. उँगलियों की छाप लेने के उपकरण.– प्रत्येक अर्जी–लेखक स्वयं के व्यय पर अंगूठे तथा उँगलियों की स्पष्ट छाप लेने के उपकरणों का पूरा सेट अपने पास रखेगा।

39. अधिक प्रभारित फीस का लौटाया जाना.– कोई भी राजस्व अधिकारी जो अर्जी–लेखक को सेवायोजित करने वाले किसी भी व्यक्ति के अभ्यावेदन पर तथा ऐसे अर्जी–लेखक को सुनने के पश्चात् (यदि वह इस प्रकार सुने जाने की इच्छा करे) यह पाता है कि उसे प्रस्तुत की गई अर्जी के लेखन हेतु प्रभारित फीस अत्यधिक थी तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी धनराशि को इतनी धनराशि तक घटा सकेगा जो परिस्थितियों और नियम 35 के अधीन उसे युक्तियुक्त व उचित प्रतीत हो तथा अर्जी–लेखक से ऐसी धनराशि से अधिक प्राप्त किए गए धन को प्रत्यर्पित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

40. अनुज्ञप्ति का निलम्बन और निरस्तीकरण.– अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी ऐसे अर्जी–लेखक की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या निरस्त कर सकेगा, जो–

(क) किसी राजस्व अधिकारी के नियम 34 अथवा 39 के अधीन आदेश को युक्तियुक्त समय के भीतर क्रियान्वित नहीं करता है;

(ख) आदतन नियम 33 के प्रतिकूल अर्जियां लिखता हो अथवा उसमें असम्बद्ध या अनावश्यक या अनौपचारिक या अन्यथा आपत्तिजनक विषय लिखता हो;

(ग) अर्जी–लेखक के रूप में अपने कारबार के क्रम में अनादरपूर्ण, अपमानजनक या दुर्वचनयुक्त भाषा का उपयोग करता हो;

(घ) अर्जी–लेखक के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में अक्षम पाया गया हो;

(ड़) अर्जी–लेखक के रूप में अपने कर्तव्य पालन में किसी भी कपटपूर्ण या अनुचित आचरण के कारण उस रूप में व्यवसाय करने के लिए अयोग्य पाया गया हो;

(च) दाण्डिक अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(छ) न्यायालय के कार्य के घंटों के दौरान आदतन अनुपस्थित रहता हो अथवा बिना पर्याप्त कारण के बहुत अधिक कालावधि तक अपने निवास से अनुपस्थित हो:

परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति या अवहेलनाकारी अर्जी–लेखक को स्वयं के बचाव का अवसर न दे दिया गया हो।

अध्याय–पांच

ग्राम अधिकारी

भाग–क

पटेल की नियुक्ति, पारिश्रमिक, हटाया जाना तथा दण्ड (धारा 222, 223, 226, तथा धारा 228)

41. पटेल के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– कोई व्यक्ति पटेल के पद हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह,–

(एक) 21 वर्ष से कम का है;

(दो) सम्बन्धित ग्राम के भू–अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित नहीं है;

(तीन) उस दशा में जब पटेल की नियुक्ति,–

(क) किसी ऐसे ग्राम के लिए हो जो अधिवासित है और वह उसमें स्थायी रूप से नहीं रह रहा हो;

(ख) ग्रामों के किसी समूह के लिए हो और वह ऐसे ग्रामों में से किसी ग्राम में स्थायी रूप में नहीं रह रहा हो।

(चार) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(पांच) अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अयोग्य है;

(छह) पटेल के पद से पूर्व में हटाया जा चुका है;

(सात) नैतिक पतन को अभिग्रस्त करने वाले किसी अपराध का अथवा महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का अथवा राज्य के विरुद्ध विध्वंसकारी गतिविधियों को अभिग्रस्त करने वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि को अपील या पुनरीक्षण में पलटा नहीं गया हो

(आठ) दुष्चरित्र है;

(नौ) पटेल के कर्तव्यों को प्रभावपूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अयोग्य है;

(दस) हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण न कर चुका हो; अथवा

(ग्यारह) भू–राजस्व अथवा अन्य सार्वजनिक देयों के भुगतान में जानबूझकर चूक कर रहा हो अथवा चूक कर चुका हो।

42. पटेल का नियुक्ति प्राधिकारी.– जब किसी ग्राम के पटेल की नियुक्ति की जाना हो तो कलक्टर एक या अधिक अर्ह व्यक्तियों को यथास्थिति पटेल या पटेलों के रूप में एतस्मिनपश्चात् अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार नियुक्त करेगा।

43. पटेल की नियुक्ति की प्रक्रिया.– (1) पटेल के पद में कोई रिक्ति होने की दशा में वह ग्राम सभा जिसके क्षेत्र में पटेल का पद रिक्त है, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम की, जो नियम 41 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हो तथा जिसे वह पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त समझती हो, सिफारिश करते हुए एक संकल्प पारित करेगी और इस संकल्प को तहसीलदार को भेजेगी।

(2) उस दशा में जहां कि तहसीलदार यह पाता है कि ऐसा व्यक्ति नियम 41 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए संकल्प को निरस्त कर देगा तथा ग्राम सभा को सूचित करेगा और नए प्रस्ताव मंगवाएगा, अन्यथा वह उस व्यक्ति की उपयुक्तता के संबंध में, जिसके कि नाम की सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई है, ऐसी जांच करेगा जैसी कि वह उचित समझे और कलक्टर को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कलक्टर या तो ग्राम सभा द्वारा पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सिफारिश किए गए व्यक्ति का चयन करेगा अथवा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ग्राम सभा की सिफारिश को निरस्त कर देगा और उससे फिर से नई सिफारिश करने को कहेगा।

(4) ऐसे मामले में जहाँ ग्रामों के समूह के लिए पटेल की नियुक्ति की जाना है, संबंधित ग्रामों की सभी ग्राम सभाओं के लिए उप नियम (1) तथा (2) की प्रकिया का अनुसरण किया जाएगा। कलक्टर सभी ग्राम सभाओं द्वारा की गई सिफारिशों को विचार में लेने के उपरांत या तो किसी एक ग्राम सभा द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति का चयन करेगा या कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए सभी सिफारिशों को निरस्त कर सकेगा और ग्राम सभाओं से नए सिरे से सिफारिशें मंगा सकेगा।

44. चयनित व्यक्ति द्वारा बंधपत्र का निष्पादित किया जाना.– कलक्टर द्वारा पटेल के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए चयन किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जब तक कि उसे विशेष रूप से छूट प्रदान न की गई हो, अपनी नियुक्ति के पूर्व उसके चयन की सूचना के दिनांक से 15 दिन के भीतर **प्ररूप–तेरह** में एक प्रतिभूति राहित पांच हजार रूपये की राशि का बन्धपत्र निष्पादित करेगा।

45. नियुक्ति होने पर पटेल द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जाना.– अपनी नियुक्ति हो जाने पर प्रत्येक पटेल को उसकी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर **प्ररूप–चौदह** में एक अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसमें असफल रहने पर कलक्टर नियुक्ति निरस्त कर सकेगा।

46. रिक्तियों का अस्थायी रूप से भरा जाना.– इन नियमों के अनुसार पटेल की नियुक्ति होने तक कलक्टर अस्थायी रूप से नामनिर्देशन द्वारा रिक्तियों को भर सकेगा।

47. अस्थायी पटेल द्वारा बन्धपत्र तथा अनुबन्ध का निष्पादित किया जाना.– नियम 46 के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति से भी **प्ररूप – तेरह** में एक प्रतिभूति सहित बंधपत्र तथा **प्ररूप–चौदह** में अनुबन्ध निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी।

48. जब एक से अधिक पटेल नियुक्त हों तो कार्य का वितरण.– उन मामलों में जहां किसी ग्राम में दो या अधिक पटेल हों तो कलक्टर,–

(एक) सम्बन्धित व्यक्तियों की क्षमताओं का;

(दो) कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन का; और

(तीन) ग्राम समुदाय की सामान्य सुरक्षा, कल्याण और प्रगति का,

सम्यक् ध्यान रखते हुए उनके बीच पटेल के पद के कर्तव्यों का वितरण कर सकेगा।

49. पटेल को पारिश्रमिक.– पटेल को उन दरों से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाएं :

परन्तु उस समय तक जब तक कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी दरें नियत की जाती हैं, इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय प्रचलित दरों से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

50. पटेल का हटाया जाना.– (1) पटेल को किसी भी समय हटाने की कलक्टर की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी पटेल को कलक्टर द्वारा स्व–प्रेरणा से अथवा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके पद से हटाया जा सकेगा,–

(क) यह कि वह दुष्चरित्र है;

(ख) यह कि वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शरीर या मस्तिष्क की दुर्बलता के कारण अयोग्य है;

(ग) यह कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया अभिनिर्णीत किया गया है अथवा वह राज्य के विरुद्ध विध्वंसकारी गतिविधियां अथवा नैतिक पतन अभिग्रस्त करने वाले किसी अपराध का अथवा महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध है;

(घ) आदेशों का अपालन अथवा कर्तव्यों की उपेक्षा;

(ङ) किसी भी नियम का स्वेच्छापूर्वक भंग या अक्षमता अथवा अन्य किसी भी कारण से जो उचित और पर्याप्त समझा जाए;

(च) यदि वह,–

(एक) किसी ऐसे ग्राम का पटेल है जो अधिवासित ग्राम है जिसमें रहना उसने स्थायी रूप से बंद कर दिया है;

(दो) ग्रामों के समूह के लिए पटेल है और उसने ऐसे ग्रामों में से किसी भी ग्राम में रहना स्थायी रूप से बंद कर दिया है;

(छ) ग्राम में अथवा उन ग्रामों में से किसी भी ग्राम में, जिनका कि वह पटेल नियुक्त किया गया है स्थायी रूप से रहने में असफल रहने पर।

(2) किसी भी पटेल को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस प्रकार हटाए जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

51. पटेल का निलम्बन.– यदि नियम 50 के उपनियम (1) के अधीन पटेल को हटाए जाने के औचित्य की जांच के प्रयोजन के लिए उसे निलम्बित किया जाना आवश्यक समझा जाए तो कलक्टर उस निमित्त आदेश द्वारा वैसा कर सकेगा।

52. निलम्बन अवधि के लिए पारिश्रमिक का भुगतान.– यदि कलक्टर ऐसी जांच के पश्चात् निर्धारित करता है कि पटेल को हटाया नहीं जाएगा तो पटेल को पारिश्रमिक के रूप में उतनी धनराशि से अनधिक धनराशि का, जो कि उस निमित्त कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भुगतान किया जाएगा जो वह यदि उसका निलम्बन नहीं होता तो पारिश्रमिक के रूप में अर्जित करता।

53. पटेल की सेवाओं की समाप्ति.– कलक्टर किसी भी समय पटेल को बिना कोई कारण बतलाए एक मास की सूचना देने के पश्चात् हटा सकेगा।

54. पटेल द्वारा त्याग पत्र.– पटेल तहसीलदार को एक मास की पूर्व सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा जो उसकी टिप्पणी के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए कलक्टर को अग्रेषित किया जाएगा।

55. प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति.– धारा 228 के अधीन प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति करते समय कलक्टर उस व्यक्ति का चयन करेगा जिसमें नियम 41 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से कोई निरर्हता न हो और जो ग्रामवासियों को भी स्वीकार्य हो सकता हो। वह विद्यमान पदधारी की इच्छाओं को भी ध्यान में रखेगा।

भाग–ख

कोटवार की नियुक्ति, कर्तव्य, दण्ड, निलम्बन तथा उसे पद से हटाया जाना

(धारा 230)

56. किसी ग्राम में कोटवारों की संख्या.– (1) उन कोटवारों की संख्या जो किसी ग्राम में पद धारण करेंगे, इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय स्वीकृत संख्या के बराबर होगी।

(2) यदि किसी ग्राम में अधिक कोटवार पद धारण कर रहे हों तो उनमें से किसी की मृत्यु, पदच्युति, सेवा समाप्ति अथवा त्यागपत्र के कारण हुई किसी रिक्ति को भविष्य में भरा नहीं जाएगा और उस ग्राम के लिए स्वीकृत कोटवारों की संख्या कम होती जाएगी जब तक ऐसी संख्या एक हो जाए।

(3) किसी ग्राम के लिए स्वीकृत कोटवारों की संख्या कलक्टर द्वारा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से परिवर्तित की जा सकेगी।

57. कोटवार के पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.– कोई व्यक्ति कोटवार के पद हेतु पात्र नहीं होगा जो,–

(एक) उस ग्राम अथवा ग्रामों में स्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा हो जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है;

(दो) 18 वर्ष से कम आयु का है;

(तीन) नैतिक पतन को अभिग्रस्त करने वाले किसी अपराध का अथवा महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का अथवा राज्य के विरुद्ध विध्वंसकारी गतिविधियों को अभिग्रस्त करने वाले किसी अपराध का दोषसिद्ध हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि को अपील या पुनरीक्षण में पलटा नहीं गया हो;

(चार) दुष्चरित्र हो;

(पांच) कोटवार के कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अयोग्य है; या

(छह) आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण न हो।

58. कोटवार का नियुक्ति प्राधिकारी.– कोटवार की नियुक्ति इन नियमों के इस भाग के उपबंधों के अनुसार तहसीलदार द्वारा की जाएगी।

59. कोटवार की नियुक्ति की प्रक्रिया.– (1) नियम 56 के अध्यधीन रहते हुए, कोटवार के पद में रिक्ति होने पर, ग्राम सभा उस व्यक्ति के नाम की सिफारिश करते हुए जिसे कि वह कोटवार के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए उपयुक्त समझे, एक संकल्प पारित करेगी और उस संकल्प को तहसीलदार को भेजेगी।

(2) तहसीलदार ग्राम सभा द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को कोटवार के रूप में नियुक्त करेगा तथापि, यदि तहसीलदार यह पाता है कि ऐसे व्यक्ति में नियम 57 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से कोई निरर्हता है तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए संकल्प को निरस्त कर देगा और ग्राम सभा को सूचित करेगा तथा नए प्रस्ताव मंगवाएगा।

(3) कोई रिक्ति होने पर तहसीलदार तत्काल किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपनियम (2) के अधीन नियमित नियुक्ति हो जाने तक कोटवार के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा।

(4) उपनियम (1) अथवा (2) के अधीन कोटवार की नियुक्ति करने में पूर्व के कोटवार के निकट संबंधियों को, अन्य बातें समान होने पर अग्रमान्यता दी जाएगी।

(5) यदि रिक्ति पूर्व पदधारी के दुष्चरित्र, अवचार या अवज्ञा के कारण निलम्बन या पदच्युति द्वारा हुई है और यदि उसके परिवार के किसी सदस्य को उसकी जगह नियुक्त किया जाता है तो पदच्युति का प्रभाव नष्ट हो जाएगा तो ऐसी दशा में पूर्व पदधारी के संबंधियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(6) तहसीलदार कोटवार को एक से अधिक ग्रामों का प्रभार दे सकेगा।

60. कोटवार का निलम्बन अथवा पदच्युति अथवा जुर्माने का अधिरोपित किया जाना.– (1) तहसीलदार किसी कोटवार पर जुर्माना लगा सकेगा, उसे निलम्बित कर सकेगा अथवा पदच्युत कर सकेगा, यदि वह–

(एक) दुष्चरित्र है, किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों में भाग लेता है; या ऐसी रीति में काम करता है जो तहसीलदार की राय में लोक हित में नहीं है;

(दो) अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है;

(तीन) किसी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी अथवा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी के आदेश की अवज्ञा करता है; या

(चार) किसी नियम को स्वेच्छापूर्वक भंग करता है:

परंतु किसी एक समय पर अधिरोपित जुर्माने की राशि एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगी।

(2) किसी कोटवार के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई प्रत्येक रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई से पुलिस को तत्काल सूचित किया जाएगा।।

61. कोटवार की सेवाओं की समाप्ति.— तहसीलदार किसी कोटवार की सेवाएं समाप्त कर सकता है जब भी वह आयु, मानसिक अथवा शारीरिक निर्बलता के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने के योग्य नहीं रह जाता है।

62. कोटवार को अनुपस्थित रहने की अनुमति.— ग्राम का भारसाधक पटवारी ग्राम कोटवार को एक बार में 3 दिन में अनधिक की कालावधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकता है और यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान ग्राम कोटवार के कर्तव्यों की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। एक बार में 3 दिन से अधिक की छुट्टी के लिए तहसीलदार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो स्थानापन्न की नियुक्ति की जाएगी:

परंतु पटवारी कोटवार को एक कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक की अवधि की छुट्टी देने के लिए सक्षम नहीं होगा:

परंतु यह और कि 3 दिन से अधिक की छुट्टी दिए जाने के मामले में तहसीलदार छुट्टी प्रदान किए जाने के पूर्व कोटवार से उसके स्वयं के व्यय पर कोई योग्य स्थानापन्न देने की अपेक्षा कर सकेगा।

63. कोटवार के कर्तव्य.— कोटवार के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—

(एक) अपने ग्राम में निवास करना अथवा यदि वह एक से अधिक ग्रामों का प्रभारी है तो ऐसे ग्राम में रहना जो तहसीलदार द्वारा उसके निवास के लिए नियत किया गया हो तथा समुचित छुट्टी के बिना अनुपस्थित न रहना सिवाय तब के जब ऐसी अनुपस्थिति इन नियमों द्वारा या इनके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए हो;

(दो) समस्त शासकीय अधिकारियों को उनके पदीय कर्तव्यों के सम्यक् कियान्वयन में सहायता करना;

(तीन) निस्तार अधिकारों अथवा शासकीय सम्पत्ति के दुरुपयोग तथा ग्राम की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की पटवारी को रिपोर्ट देना तथा उनकी रक्षा व नियमानुसार उपयोग में पटवारी की सहायता करना;

(चार) ग्रामवासियों के गृहों एवम् सम्पत्ति की चौकसी तथा देखरेख करना, उस प्रयोजन के लिए ऐसा पहरा देना जो तहसीलदार द्वारा विहित किया जाए;

(पांच) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 97 के अनुसार व्यक्ति या सम्पत्ति की निजी प्रतिरक्षा में तथा इस धारा के अधीन या दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 43 के अधीन बन्दी किए जाने के भागी किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाने और थाने या हल्के की चौकी पहुंचाने में सहायता करना;

(छह) पुलिस थाने अथवा पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित बातों की तत्काल रिपोर्ट करना–

(क) ग्राम के अंतर्गत चोरी की सम्पत्ति के किसी भी कुख्यात प्रापक या विक्रेता का स्थायी या अस्थायी निवास;

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसका कि डकैत, दोषसिद्ध भगोड़ा अथवा उद्घोषित अपराधी होने का उसे ज्ञान है अथवा युक्तियुक्त संदेह है, ग्राम के अंतर्गत किसी स्थान पर प्रश्रय लेने के अथवा उसमें से होकर जाने का तथा उसके ग्राम में या उसके आस पास घूमने वाले गिरोहों की गतिविधियां;

(ग) ग्राम में अथवा उसके आस पास किसी जघन्य अपराध का किया जाना अथवा उसके किए जाने का आशय;

(घ) किसी भी ऐसे दोषसिद्ध या अदोषसिद्ध संदिग्ध का, जिसका नाम पुलिस सन्निरीक्षण रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, घर से चला जाना उसके गंतव्य सहित (यदि ज्ञात हो);

(ड.) किसी संदेहास्पद अजनबी का उसके ग्राम में दिखाई देना ऐसी किसी भी जानकारी के साथ जो उसके पूर्ववृत्त तथा निवास स्थान के बारे में पूछताछ करने पर प्राप्त की जा सके;

(च) ग्राम में या उसके समीप हुई कोई भी आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु या संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु की कोई भी घटना;

(छ) विधि व्यवस्था के बनाए रखने अथवा अपराध की रोक अथवा जन या धन की सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला वह कोई अन्य विषय जिसके बारे में जिला दण्डाधिकारी ने राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से की गई व्यापक या विशेष आज्ञा द्वारा उसे सूचना पहुंचाने का निदेश दिया हो;

(सात) पटवारी या उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार को टिड्डियों या फसल नाशक कीटों के दिखाई देने अथवा बाढ़, ओला, रोली या आग इत्यादि से फसलों की किसी भी विस्तृत हानि की रिपोर्ट करना;

(आठ) यदि कलक्टर द्वारा वैसा करने का निदेश दिया गया हो तो पटवारी को ग्राम पशुओं की रोग या विष या अन्य वन्य जीवों के आक्रमण से हुई मृत्युओं की रिपोर्ट करना;

(नौ) पुलिस थाने अथवा पुलिस चौकी पर ऐसे दिनांकों पर उपस्थित होना जो कलक्टर द्वारा विहित किए जाएं तथा ऐसे पुलिस थाने अथवा पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी की समस्त आज्ञाओं का पालन करना;

(दस) समीपतम रेल्वे स्टेशन के स्टेशन मास्टर या समीपतम रेल्वे स्टेशन पर उपलब्ध रेल्वे कर्मचारी वर्ग के किसी भी उत्तरदायी कर्मचारी को भारी वर्षा, अनपेक्षित भारी बाढ़, जल संग्रहों का उमड़ना, सिंचन निर्माणों का क्षतिग्रस्त होना, पुलों में से अत्यंत भारी बहाव, धारा के ऊपरी ओर पानी का अवरोध आदि जैसी किन्हीं भी असाधारण घटनाओं अथवा रेलमार्ग को हानि पहुंचा सकने वाले किसी भी अन्य प्रकार के संकट की तत्परतापूर्वक रिपोर्ट देना।

64. कोटवारों का संयुक्त रूप से अथवा पृथक्–पृथक् उत्तरदायी होना.– जब किसी ग्राम में दो या दो से अधिक कोटवार हों तो वे इन नियमों द्वारा अधिकथित कर्तव्यों का पालन करने के लिए जब तक संयुक्त रूप से तथा पृथक्–पृथक उत्तरदायी होंगे जब तक कि कलक्टर द्वारा प्रत्येक कोटवार के उत्तरदायित्वों की सीमा को परिभाषित नहीं कर दिया जाता।

अध्याय–6

वृक्ष

भाग–क

वृक्षों में अधिकार का क्रय

धारा 179 (2),

65. वृक्षों में अधिकार कय करने के लिए भूमिस्वामी द्वारा आवेदन.– धारा 179 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी भूमिस्वामी के आवेदन पत्र में वृक्षों की संख्या तथा उनकी प्रजातियां, वह अधिकार जिसमें वह उन्हें कय करना चाहता है तथा उस व्यक्ति का नाम जिसमें वह अधिकार निहित है, निर्दिष्ट किए जाएंगे। उसके साथ खाते से सम्बद्ध खसरा (क्षेत्र पुस्तक) की प्रतिलिपि अथवा उन वृक्षों में विद्यमान अधिकारों को दिखाने वाली किसी अन्य लिखतम के उदाहरण की प्रतिलिपि संलग्न होगी।

66. तहसीलदार द्वारा सूचना तथा उद्घोषणा का जारी किया जाना.– (1) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार उन सभी व्यक्तियों को जिनमें उन वृक्षों का अधिकार निहित है सूचना जारी करेगा। वह ऐसे अधिकारों के प्रस्तावित कय के विरूद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करते हुए **प्ररूप–पन्द्रह** में एक उद्घोषणा जारी करेगा।

(2) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019 के भाग–दो के उपबंधों के अनुसार ऐसी सूचनाएं जारी की जाएंगी व तामील करवाई जाएंगी तथा ऐसी उद्घोषणा जारी की जाएगी।

67. आदेश का पारित किया जाना तथा भू अभिलेखों में प्रविष्टि.– (1) सुनवाई के लिए नियत दिनांक या किसी अन्य दिनांक पर जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, तहसीलदार, पक्षकारों का परीक्षण करने तथा प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य को सुनने के पश्चात् एक आदेश अभिलिखित करेगा, जिसमें समाविष्ट होंगे,–

(क) वृक्षों की संख्या तथा वर्णन;

(ख) अधिकारों का मूल्य; तथा

(ग) वह कालावधि, जो एक मास से कम की नहीं होगी जिसमें इस प्रकार नियत किए गए मूल्य का भुगतान किया जाएगा और वह व्यक्ति जिसे भूमिस्वामी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा।

(2) यदि नियत दिनांक को भूमिस्वामी धनराशि का भुगतान कर देता है या ऐसे भुगतान की रसीद प्रस्तुत कर देता है तो तहसीलदार भू–अभिलेखों को अद्यतन करवाएगा अन्यथा यह माना जाएगा कि वह ऐसे अधिकारों को कय नहीं करना चाहता और आवेदन फाईल कर दिया जाएगा।

भाग–ख

वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र या वृक्ष पट्टे के धारक को प्रतिकर

[धारा 239 (6)]

68. उपभोक्ता संस्था की परिभाषा.– (1) इस भाग में पद ''उपभोक्ता संस्था'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है–

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई विभाग अथवा उसके स्वामित्व का अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कोई संगठन;

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उसके स्वामित्व का अथवा उसके द्वारा नियंत्रित कोई संगठन;

(ग) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अधीन स्थापित कोई संगठन; और

(घ) लोक प्रयोजन के लिए कार्य कर रहा कोई ऐसा निजी संगठन;

जिसे धारा 239 की उपधारा (6) के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने की अनुज्ञा दी गई हो।

(2) उपनियम (1) में प्रयुक्त पद ''स्थानीय प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन स्थापित कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा कोई जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत।

69. प्रतिकर का दावा करने के लिए आवेदन.– वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र अथवा वृक्ष पट्टे के धारक द्वारा धारा 239 की उपधारा (6) के अधीन प्रतिकर का दावा करने के लिए तहसीलदार को आवेदन किया जाएगा और उसमें वृक्षों की संख्या व प्रजातियां तथा उसके उन हितों का विवरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हों। इसके साथ–

(क) वृक्ष अनुज्ञापत्र अथवा वृक्ष पट्टे की;

(ख) खसरा (फील्ड बुक) अथवा भूमि के ऐसे अन्य अभिलेखों की, जिनमें ऐसे अनुज्ञापत्र अथवा पट्टे का प्रदान किया जाना अभिलिखित हो; और

(ग) भूमि का लोक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के लिए कलक्टर द्वारा दी गई अनुमति सम्बन्धी आदेश की;

प्रति संलग्न की जाएगी।

70. तहसीलदार द्वारा सूचना तथा उद्घोषणा का जारी किया जाना.– (1) नियम 69 के अधीन प्रस्तुत आवेदन प्राप्त होने पर, तहसीलदार समस्त हितबद्ध पक्षकारों को जिनमें उपभोक्ता संस्था भी सम्मिलित है, सूचना जारी करेगा। वह ऐसे धारक द्वारा किए दावे के विरूद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करते हुए **प्ररूप–सोलह** में एक उद्घोषणा भी जारी करेगा।

(2) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019 के भाग दो के उपबंधों के अनुसार ऐसी सूचनाएं जारी की जाएंगी व तामील करवाई जाएंगी तथा ऐसी उद्घोषणा जारी की जाएगी।

71. तहसीलदार द्वारा जांच.– (1) सुनवाई के लिए नियत दिनांक या किसी अन्य दिनांक पर जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, तहसीलदार किए गए दावे की जांच करेगा तथा पक्षकारों का परीक्षण करने तथा ऐसी साक्ष्य लेने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच रिपोर्ट तैयार करेगा।

(क) क्या धारा 239 की उपधारा (6) के अधीन ऐसे धारक के कोई अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो उनका विवरण;

(ग) अधिकारों का मूल्यांकन तथा देय प्रतिकर, यदि कोई हो, और

(घ) वह व्यक्ति अथवा उपभोक्ता संस्था, यदि कोई हो, जो प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

परंतु कोई प्रतिकर देय नहीं होगा यदि वृक्षारोपण अनुज्ञापत्र अथवा वृक्ष पट्टा इस उपबंध के साथ प्रदान किया गया हो जो प्रतिकर का भुगतान किए बिना राज्य सरकार को भूमि का उपयोग पुनरारंभ करने की अनुज्ञा देता हो।

(2) तहसीलदार, उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन, राज्य सरकार के किसी विभाग से अधिकारों का मूल्यांकन करवा सकेगा।

(3) जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

72. उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश.– नियम 71 के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, ऐसी और साक्ष्य ले सकेगा या लेने देगा जैसी कि वह आवश्यक समझे, और ऐसे धारक को भुगतान किए जाने वाले प्रतिकर, यदि कोई हो, के बारे में तथा उस व्यक्ति अथवा उपभोक्ता संस्था, जो इसका भुगतान करेगी के बारे में, यदि कोई हो, आदेश पारित कर सकेगा।

भाग–ग
वृक्षों के काटे जाने का विनियमन
[धारा 240 (1)]

73. कतिपय वृक्षों को काटे जाने के लिए अनुज्ञा का अपेक्षित होना.– भूमिस्वामी की भूमि अथवा राज्य सरकार की भूमि पर, खड़ा कोई वृक्ष–

(क) किसी जलधारा, झरने या तालाब के किनारे के अंतिम छोर से 30 मीटर के भीतर;

(ख) किसी सड़क या बैलगाड़ी के रास्ते के मध्य से 15 मीटर के भीतर तथा किसी पगडंडी से 6 मीटर के भीतर;

(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की परिधि के भीतर किसी उपवन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में;

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा उसके समान किसी अन्य योजना के अधीन वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के अधीन के क्षेत्र में;

(ड) पड़ाव, कब्रिस्तान या श्मशान स्थल, गोठान, खलिहान, बाजार या आबादी के लिए पृथक् रखे गए किसी क्षेत्र में; अथवा

(च) पहाड़ी तथा 25 डिग्री से अधिक ढलान वाले ऊंचे नीचे क्षेत्र पर;

नियम 75 या नियम 76 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किए बिना न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छीलकर घेरा जाएगा अथवा न ही उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाया जाएगा।

स्पष्टीकरण– खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए जलधारा में सभी सरिताएँ, नदियाँ, छोटी नदियाँ और नाले सम्मिलित होंगे जिनमें साधारणतया दिसम्बर के अंत तक पानी रहता है, किन्तु मानसून के दौरान पानी के बह निकलने से बनी छोटी अस्थायी नालियाँ सम्मिलित नहीं होंगी।

74. ग्राम पंचायत स्तरीय समिति.– प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी। ऐसी ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्यगण और स्थानीय पटवारी ऐसे समिति के सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा और ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य–सचिव होगा।

75. भूमिस्वामी की भूमि पर खड़े हुए वृक्षों को काटे जाने के लिए अनुज्ञा.— नियम 73 में विनिर्दिष्ट ऐसे वृक्षों को, जो भूमिस्वामी की भूमि पर खड़े हों, ग्राम स्तरीय समिति की सिफारिश पर तहसीलदार की अनुज्ञा के बिना न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उनका तना छीलकर घेरा जाएगा, न ही उन्हें अन्यथा नुकसान पहुंचाया जाएगाः

परंतु वृक्षों को काटने अथवा काट कर गिराए जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी यदि वृक्षों का काटा जाना अथवा काट कर गिराया जाना मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (कमांक 10 सन् 2001) के अनुसार हो।

76. दखलरहित भूमि पर खड़े वृक्षों को काटे जाने के लिए अनुज्ञा.— दखलरहित या सरकारी भूमि पर खड़े वृक्षों को कलक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना न तो काटा जाएगा, न काट कर गिराया जाएगा, न उसका तना छीलकर घेरा जाएगा अथवा न ही उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाया जाएगाः

परंतु ग्राम स्तरीय समिति की इसके सम्यक् रूप से बुलाए गए सम्मिलन में पारित विधिमान्य संकल्प के आधार पर की गई सिफारिश पर तहसीलदार धारा 234 के अधीन तैयार किए गए निस्तार पत्रक के अनुसार केवल उस ग्राम के निवासियों के वास्तविक उपयोग के ग्राम में की दखलरहित भूमि से बबूल प्रजाति के वृक्षों को या उनके भागों को काटे जाने तथा हटाए जाने की लिखित अनुज्ञा दे सकेगा।

77. वृक्षों से आच्छादित भूमि का खेती योग्य भूमि से विनिमय.— कोई भूमिस्वामी जिसकी भूमि वृक्षों से आच्छादित है और जो स्थायी खेती करने के लिए अनुपयुक्त है, राज्य सरकार की उतनी खेती योग्य भूमि से, जो चालू बाजार दर से लगभग बराबर मूल्य की हो, विनिमय करने के लिए कलक्टर को आवेदन पत्र दे सकेगाः

परंतु ऐसा विनिमय किसी भी पक्षकार को अलाभकारी नहीं होगा तथा ऐसे विनिमय से अन्य व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित न होते हों।

78. भाग—ग के नियमों के उल्लंघन की दशा में कार्रवाई.— (1) जहां किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में काटा गया है, काट कर गिराया गया है, उसका तना छीलकर घेरा गया है या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचाया गया है तो राजस्व अधिकारी द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या काय (कारपस) का अभिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वह पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे कि वह धारा 253 के अधीन ठीक समझे।

79. वृक्षों की कटाई से प्राप्त वनोपज का परिवहन.— (1) वृक्षों की कटाई से प्राप्त वनोपज के परिवहन हेतु मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 लागू होंगे।

(2) अभिवहन में वनोपज का भारसाधक कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, या पुलिस अधिकारी द्वारा जब कभी उसरो ऐसा करने को कहा जाए, उसके प्रभार में की वनोपज से सम्बन्धित पास या पासों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

भाग–घ

वनोत्पादों का नियंत्रण, प्रबन्धन, काटकर गिराया जाना अथवा हटाये जाने का विनियमन

[धारा 240(3)]

80. वन तथा वनोत्पादों की परिभाषाएं.– इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''वन'' से अभिप्रेत है कोई सरकारी वन जो राजस्व विभाग के प्रबन्ध के अधीन हो किन्तु उसमें संरक्षित अथवा रक्षित वन सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) ''वनोत्पाद'' में सम्मिलित हैं–

(एक) वन से प्राप्त समस्त उपज; और

(दो) दखलरहित भूमि पर खड़े वृक्षों से प्राप्त इमारती लकड़ी, लकड़ी तथा कोई अन्य उपज।

81. वन तथा वनोत्पादों का प्रबन्धन.– (1) वन तथा वनोत्पादों का प्रबन्धन, कलक्टर के साधारण अधीक्षण तथा निदेशन के अधीन, उस ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी में निहित होगा जिसके कि क्षेत्र में वह स्थित है।

(2) यदि किसी वन अथवा वनोत्पाद का क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र में आता है तो वन अथवा वनोत्पादों का प्रबन्धन उस ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे कि राज्य सरकार निदेशित करे।

(3) ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी इन नियमों के तथा संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अनुसार वन तथा वनोत्पादों का प्रबन्धन करेंगे।

82. वन तथा वनोत्पादों से पूरी की जाने वाली निस्तार आवश्यकताओं को निस्तार पत्रक द्वारा विनियमित किया जाना.– वन तथा वनोत्पादों से पूरी की जाने वाली निस्तार आवश्यकताओं तथा कटाई को धारा 234 के अनुसार तैयार किए गए ग्राम के निस्तार पत्रक के अनुसार तथा ऐसे निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए विनियमित किया जाएगा जिन्हें कि कलक्टर ऐसे वनों के परिरक्षण के हित में अधिरोपित करे।

स्पष्टीकरण– अभिव्यक्ति ''निस्तार आवश्यकताओं से अभिप्रेत है वास्तविक घरेलू खपत के प्रयोजन के लिए अपेक्षित निस्तार, न कि विक्रय दान, वस्तु विनिमय, निर्यात या क्षयकारी उपयोग।

83. निस्तार आवश्यकताओं के लिए वनोत्पादों का हटाया जाना.– वन के प्रबन्धन की प्रभारी ग्राम पंचायत ग्राम के निवासियों को निस्तार पत्रक के अनुसार निस्तार आवश्यकताओं के लिए किसी वनोत्पाद को काटने तथा अन्यत्र ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगी।

84. विक्रय के लिए वनोत्पाद का हटाया जाना.– (1) विक्रय के लिए वनोत्पाद के हटाए जाने को राज्य सरकार के वन विभाग, पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग अथवा नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा जारी निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार, विनियमित किया जाएगा।

(2) उपरोक्त निदेशों के अभाव में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी विक्रय के लिए वनोत्पाद को हटाने के लिए कोई स्पष्ट व पारदर्शी तरीका अंगीकृत कर सकेगा।

(3) वन में खड़े किन्हीं वृक्षों को नियम 76 के अधीन पूर्व अनुमति अभिप्राप्त किए बिना काटा नहीं जाएगा, काट कर गिराया नहीं जाएगा, उसके तने को छीलकर घेरा नहीं जाएगा अथवा उन्हें अन्यथा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ऐसी अनुमति नियम 86 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए दी जाएगी।

85. वनोत्पादों के विक्रय से आय.– वनोत्पादों के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय यथास्थिति ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी की आय होगी।

86. वन के समुपयोजन की शर्तें.– वन का समुपयोजन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) (एक) ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा जिसकी परिधि घेरा या परिधि छाती की ऊंचाई पर 9 इंच तक हो;

(दो) समस्त वृक्ष यथासंभव भूमि की सतह के निकट से काटे जाएंगे;

(तीन) किन्हीं भी वृक्षों की न तो घिरान की जाएगी और न उन्हें कृतस्कंध किया जाएगा।

(ख) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा;

(ग) (एक) दो वर्ष से कम के किन्हीं भी बांस प्ररोहों को काटकर नहीं गिराया जाएगा।

(दो) बांस, भूमि की सतह से एक फुट की ऊंचाई से अधिक पर नहीं काटा जाएगा;

(तीन) किन्हीं भी बांस समूहों में जिनमें दस से कम पोरे अंतर्विष्ट हों, कटाई कार्य नहीं किया जाएगा।

(घ) निस्तार पत्रक के अनुसार काटी या हटाई जाने वाली वनोपज के अतिरिक्त कोई भी वनोपज उपखण्ड अधिकारी की मंजूरी के बिना काटी या ले जाई नहीं जाएगी;

(ङ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 द्वारा अधिरोपित निबंधन वनोत्पादों के हटाए जाने पर भी लागू होंगे।

87. अधीक्षण और निदेशन से संबंधित कलक्टर की शक्ति.– (1) वनों के प्रबंधन के संबंध में कलक्टर को ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी के साधारण अधीक्षण की तथा उन्हें निदेश देने की शक्ति होगी।

(2) उपनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्तियों में सम्मिलित हैं:–

(क) वनों के निरीक्षण तथा वनोत्पादों को स्वयं या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा हटवाया जाना;

(ख) वन तथा वनोत्पाद से संबंधित ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी के किसी अभिलेख या पुस्तकों को मंगवाने की शक्ति;

(ग) वन तथा वनोत्पाद से संबंधित आय और व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी की ऐसी एजेंसी के माध्यम से जिसे कि वह ठीक समझे लेखा परीक्षा कराए जाने के आदेश देने की शक्ति तथा ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी लेखा परीक्षा की फीस का भुगतान किए जाने का आदेश देने की शक्ति;

(घ) वनों तथा वनोत्पादों के प्रबन्धन, संरक्षण तथा समुपयोजन के संबंध में ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी को इन नियमों तथा संहिता के उपबंधों से अनुअसंगत निदेश जारी करने की शक्ति।

(3) ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप नियम (1) अथवा (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन करे।

88. आग से संरक्षण.– (1) कोई भी व्यक्ति वन के किसी भी भाग में आग नहीं लगाएगा तथा कोई भी व्यक्ति वन के सामीप्य में आग नहीं लगाएगा जिससे कि उसमें पड़ी हुई किसी इमारती लकड़ी या उसके किन्हीं भी वृक्षों को नुकसान पहुंचे।

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो वन में किसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हो या जिसे वन से अपनी निस्तार आवश्यकताएं पूरी करने या उसमें पशु चराने के लिए अनुज्ञा दी गई हो, यह कर्तव्य होगा कि वह वन में या उसके सामीप्य में आग लगने की घटना की, जो उसकी जानकारी में आए, यथास्थिति, ग्राम पंचायत अथवा नगरीय स्थानीय प्राधिकारी के निकटतम पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को तत्क्षण सूचना दे और ऊपर नामांकित पदाधिकारियों द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित किया जाए या नहीं,–

(क) ऐसी आग को बुझाने के लिए; और

(ख) अपनी शक्ति के भीतर सभी वैध उपायों द्वारा ऐसे वन के सामीप्य में लगी ऐसी आग को वन में न फैलने देने के लिए;

कदम उठाए।

89. भाग–घ के नियमों के उल्लंघन की दशा में कार्रवाई.– (1) जब किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वृक्ष काटा गया है या कोई वनोत्पाद ले जाया गया है तो राजस्व अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन ऐसे वृक्ष या वनोत्पाद का अभिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वह पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे कि वह धारा 253 के अधीन ठीक समझे।

भाग – ङ

सरकारी वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराए जाने तथा उसे वहां से हटाए जाने का विनियमन

(धारा 241)

90. धारा 241 के अधीन आदेश की उद्घोषणा.– धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित आदेश की एक प्रति उन ग्रामों में जो अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट हों, सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी तथा संबंधित ग्रामों में और साप्ताहिक बाजारों में, यदि कोई हों, डुग्गी पिटवाकर भी उद्घोषित की जाएगी:

परंतु यदि ऐसा आदेश हिन्दी में नहीं है तो इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार चस्पा किया जाएगा और उद्घोषित किया जाएगा।

91. ग्राम पंचायत स्तरीय समिति.– प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति होगी। ऐसी ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्यगण तथा स्थानीय बीट गार्ड तथा पटवारी ऐसी समिति के सदस्य होंगे सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा और ऐसी समिति का सचिव ऐसी समिति का सदस्य–सचिव होगा।

92. राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटने के लिए आवेदन.– जब किसी ग्राम में धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश उद्घोषित कर दिया जाए तब विक्रय या व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु अपने खाते में किसी राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने का इच्छुक कोई व्यक्ति **प्ररूप–सत्रह** में लिखित में तीन प्रतियों में तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु वृक्षों को काटे जाने या काटकर गिराए जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों को काटा जाना या काटकर गिराया जाना मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 कस 16) के अधीन विरचित मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भूमिस्वामी के खाते में की राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षों को काटकर गिराए जाने और अभिवहन के लिए, यदि ऐसा काटकर गिराया जाना संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में नहीं है तो कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि उसने स्वयं इन वृक्षों का रोपण, जिसमें वाणिज्यिक रोपण भी सम्मिलित है, किया हो:

परन्तु यह और भी कि भूमिस्वामी किसी रोपण के संबंध में तहसीलदार तथा वन रेंज अधिकारी को **प्ररूप – अठारह** में अग्रिम सूचना देगा और ऐसे रोपण को, खसरा को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत राजस्व अभिलेखों में सम्यक्रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–एक – इस नियम के प्रयोजन के लिए "वाणिज्यिक रोपण" में इस नियम में यथाउपबंधित राजस्व अभिलेखों में इनके अभिलिखित होने के अध्यधीन रहते हुए, वाणिज्यिक फसल के रूप में वृक्षों का रोपण, उनका उगाना तथा उनकी कटाई सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण–दो – "राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रजातियां।

93. तहसीलदार का आदेश.– **(1)** आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार तुरंत ही दूसरी प्रति उपखण्ड अधिकारी, वन को और तीसरी प्रति ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को विचारार्थ भेजेगा।

(2) ग्राम पंचायत स्तरीय समिति तथा उपखण्ड अधिकारी, वन से अनुशंसा या रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तहसीलदार यह सुनिश्चित करेगा कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में से जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, उनमें से कौन सी इमारती लकड़ी के वृक्ष लोक हित में आरक्षित रखा जाना अपेक्षित हैं या कौन से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अपेक्षित हैं।

(3) तहसीलदार खाते में उनके अतिरिक्त, जिन्हें वह आरक्षित रखे जाने का आदेश दे, इमारती लकड़ी के वृक्ष काटे जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) ऐसे भूमिस्वामी के मामले में, जो ऐसी जनजाति का हो, जिसे कि धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 का 1999) के उपबंध लागू होंगे।

94. अनुज्ञा की विधिमान्यता.– नियम 93 के अधीन भूमिस्वामी को दी गई अनुज्ञा बारह मास के लिए मान्य होगी।

95. अनुरक्षित रखे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित किया जाना.– अनुरक्षित रखे जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों को निम्नलिखित रीति से चिन्हित किया जाएगा :–

(क) ऐसे वृक्ष ग्राम के पटवारी अथवा तहसीलदार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित रखे जाने के लिए चिन्हित किए जाएंगे; और

(ख) ऐसे वृक्षों पर सीने की ऊंचाई पर अर्थात् भूमि के तल से 1.3 मीटर पर कोल्तार की पट्टी होगी और वे क्रमानुसार क्रमांकित किए जाएंगे।

96. अनुरक्षित रखे जाने के लिए आदेशित वृक्षों को संरक्षित रखने का पटवारी का कर्तव्य.– ग्राम के पटवारी का यह देखने का कर्तव्य होगा कि ऐसे वृक्ष जिन्हें अनुरक्षित किए जाने का आदेश हुआ है, काटकर गिराए नहीं गए हैं।

97. वनोपज का अभिवहन.– (1) वृक्षों को काटे जाने से प्राप्त वनोपज के परिवहन को मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के उपबंध लागू होंगे।

(2) अभिवहन में वनोपज का भारसाधक कोई व्यक्ति, किसी भी वन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जाए, उसके प्रभार में की वनोपज से संबंधित पास या पासों को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

98. भाग–ङ के नियमों के उल्लंघन की दशा में कार्रवाई.– (1) जहां किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में काट कर गिराया गया है तो उसके द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या काय (कारपस) का अभिग्रहण किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वह पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे कि वह धारा 253 के अधीन ठीक समझे।

अध्याय–सात

सरकारी भूमि पर अप्राधिकृत दखल, मछली पकड़ना, जीव–जन्तुओं को पकड़ना तथा मारना, सरकारी भूमि से पदार्थो का हटाया जाना तथा सरकारी तालाबों से पानी का उपयोग

भाग–क

सरकारी भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखने के लिए सिविल कारागार में भेजा जाना

[धारा 248 की उपधारा (2–क)]

99. व्यक्ति की रिपोर्ट जो अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे.– यदि कोई व्यक्ति धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन बेदखली के आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखता है तो तहसीलदार संबंधित उपखण्ड अधिकारी को तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

100. उपखण्ड अधिकारी द्वारा सूचना जारी किया जाना.– तहसीलदार से नियम 99 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी नियम 99 में निर्दिष्ट व्यक्ति को **प्ररूप 'उन्नीस'** में उससे यह अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी करेगा कि वह उसमें (सूचना में) विर्निर्दिष्ट किए गए दिन को उसके (उपखण्ड अधिकारी) समक्ष उपसंजात हो और यह कारण दर्शाए कि भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली न करने के लिए उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

101. सूचना के अनुसरण में उपसंजात होने में चूक के लिए व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का जारी किया जाना.– यदि ऐसा व्यक्ति नियम 100 के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में विनिर्दिष्ट दिन को उपस्थित होने में असफल रहता है और अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखे तो उपखण्ड अधिकारी धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अनुसार सिविल कारागार के सुपुर्द करने के लिए, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु **प्ररूप 'बीस'** में एक वारंट जारी करेगा।

102. उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच किया जाना.– जहाँ भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा करने–वाला व्यक्ति नियम 100 के अधीन जारी की गई सूचना के आज्ञानुवर्तन में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो अथवा नियम 101 के अधीन जारी गिरफ्तारी के वारंट के अनुसरण में उसके समक्ष लाया जाए वहाँ उपखण्ड अधिकारी यह कारण दर्शाने का एक अवसर देगा कि भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा खाली न करने के लिए उसे सिविल कारगार के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए।

103. अतिक्रामक को सिविल कारागार के सुपुर्द करने के लिए आदेश.— नियम 102 के अधीन जाँच की समाप्ति पर उपखण्ड अधिकारी धारा 248 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए **प्ररूप–इक्कीस** में उस व्यक्ति को सिविल कारागार के सुपुर्द करने का आदेश दे सकेगा और यदि वह पहले ही गिरफ्तार न किया गया हो तो उस दशा में उसे गिरफ्तार करवाएगा।

104. सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के उपबंधों का गिरफ्तारी के लिए लागू होना.— सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 55 के उपबंध, नियम 101 तथा 103 के अधीन गिरफ्तारी को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

105. निर्मुक्ति का आदेश.— धारा 248 की उपधारा (2–क) के द्वितीय परंतुक के अधीन निर्मुक्त किए जाने का आदेश **प्ररूप 'बाईस'** में होगा।

106. सिविल कारागार में परिरोध किए जाने पर उपगत व्यय का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना.— धारा 248 की उपधारा (2–क) के अधीन किसी व्यक्ति के सिविल कारागार में परिरोध पर उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

भाग–ख

सरकारी तालाब से मछली पकड़ने का विनियमन

(धारा 249)

107. सरकारी तालाब से मछली पकड़ने का विनियमन.— (1) सरकारी तालाब से मछली पकड़ने का विनियमन राज्य सरकार के मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निदेशों, यदि कोई हों, के अनुसार होगा।

(2) उपरोक्त निदेशों के अभाव में संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय स्थानीय प्राधिकारी सरकारी तालाबों से मछली पकड़ने की अनुज्ञा हेतु कोई स्पष्ट तथा पारदर्शी रीति अंगीकृत कर सकेगा। मछली पकड़ने की अनुज्ञा से प्राप्त आय ग्राम पंचायत या नगरीय स्थानीय प्राधिकारी की आय होगी।

भाग–ग

ग्रामों में जीव–जन्तुओं को पकड़ना, आखेट या गोली से मारने का विनियमन

(धारा 249)

108. जीव–जन्तुओं को पकड़ना या मारना.– (1) किसी वन्य प्राणी को, जो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की परिधि में आते हैं, पकड़ना, उसका आखेट या उसे मारना उस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होगा।

स्पष्टीकरण– जंगली सुअर को पकड़ना तथा मारना वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (जंगली सुअर) उन्मूलन नियम, 2003 के द्वारा विनियमित होगा।

(2) उप नियम (1) की परिधि के भीतर आने वाले जीव जन्तुओं से भिन्न जीव जन्तुओं को पकड़ना, उनका आखेट करना अथवा उन्हें मारना उस विधि के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा जो तत्समय प्रवृत्त हो।

भाग–घ
सरकारी भूमि से पदार्थों का हटाया जाना

(धारा 249)

109. सरकारी भूमि से मुरम, कंकर, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर अथवा अन्य गौण खनिजों का हटाया जाना.– सरकारी भूमि से मुरम, कंकर, रेत, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पत्थर अथवा किसी अन्य गौण खनिज को हटाया जाना राज्य सरकार के खनिज संसाधन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अथवा नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार विनियमित होगा।

110. नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई.– (1) जब किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि सरकार की भूमि पर से इस भाग में अन्तर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में कोई पदार्थ हटाया गया है, ऐसा पदार्थ उस राजस्व अधिकारी द्वारा अथवा उसके आदेश के अधीन अभिगृहीत किया जा सकेगा।

(2) जहां राजस्व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट वह पन्द्रह दिन के भीतर उपखण्ड अधिकारी को भेजेगा जो ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे कि वह धारा 253 के अधीन ठीक समझे।

भाग–ड.

राज्य सरकार में निहित तालाबों से सिंचाई या निस्तार

(धारा 251)

111. सिंचाई तथा निस्तार की सीमा.– राज्य सरकार में निहित तालाबों से खेतों की सिंचाई तथा निस्तार की अनुमति विगत बंदोबस्त के वाजिब–उल–अर्ज में अभिलिखित सीमा तक दी जाएगी।

112. अतिरिक्त पानी का प्रदाय.– यदि नियम 111 में निर्दिष्ट सिंचाई तथा निस्तार के अधिकारों की पूर्ति के पश्चात् या अन्यथा अतिरिक्त पानी प्राप्य है, तो वह किसी भूमिस्वामी को उसके द्वारा कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करने पर, यदि वह ऐसी दर पर सिंचाई प्रभारों का, जो कलक्टर द्वारा समय–समय पर नियत की जाए, भुगतान करना स्वीकार करता है, प्रदाय किया जा सकेगा।

113. पेय जल या किसी अन्य निस्तार प्रयोजन के लिए तालाब का अनन्य रूप से सुरक्षित किया जाना.– यदि ग्राम की जलापूर्ति कलक्टर के मत में अपर्याप्त है, तो वह किसी तालाब को अनन्य रूप से पीने या अन्य किसी भी निस्तार के प्रयोजन के हेतु सुरक्षित कर सकेगा।

अध्याय–आठ

खातों की चकबंदी

(धारा 221)

114. चकबंदी के लिये भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल.– धारा 206 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपने खातों की चकबंदी के लिए आवेदन करने–वाले भूमिस्वामियों द्वारा धारित एकत्र भूमि 40 हेक्टेयर से कम नहीं होगी :

परंतु किसी ग्राम के मामले में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कोई ऐसी न्यूनतम सीमा जो वह उचित समझे, निर्धारित कर सकेगी।

115. चकबंदी अधिकारी द्वारा भूमिस्वामियों को अपने खाते में भूमि की चकबंदी हेतु प्रेरित करना.– धारा 206 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर का निदेश प्राप्त होने पर चकबंदी अधिकारी ग्राम में जाएगा और उक्त ग्राम के भूमिस्वामियों को अपने खातों की चकबंदी करने की सहमति देते हुए आवेदन प्रस्तुत करने को प्रेरित करने हेतु प्रत्येक संभव प्रयत्न करेगा और जब उक्त आवेदन प्रस्तुत हो जाए तब धारा 207 अथवा 208 के अंतर्गत, जैसा भी प्रसंग हो, उसका परीक्षण करना एवं उसका निराकरण करना प्रारंभ करेगा।

116. चकबंदी के लिये आवेदन.– धारा 206 में उल्लिखित खातों की चकबंदी के लिए आवेदन **प्ररूप–तेईस** में होगा।

117. उद्घोषणा तथा सूचनाओं का जारी किया जाना.– (1) आवेदन प्राप्त होने पर, चकबंदी अधिकारी उस ग्राम में जिसमें उक्त आवेदन में वर्णित खाते स्थित हैं, **प्ररूप–चौबीस** में उद्घोषणा कराएगा। आवेदन की जांच के लिए निश्चित किया गया स्थान संबद्ध ग्राम में ही होगा अथवा यदि ग्राम वीरान है तो पड़ोस के ग्राम में होगा। चकबंदी अधिकारी आवेदन पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम भी **प्ररूप–पच्चीस** में सूचना जारी करेगा।

(2) आवेदन की जांच के लिए निर्धारित दिनांक, उस दिन से जिस दिन उद्घोषणा हुई है, 30 दिन से कम का नहीं होगा।

118. चकबंदी अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण.– (1) आवेदन का परीक्षण प्रारंभ करने पर चकबंदी अधिकारी सबसे पहले उसकी पूर्तियों की पुष्टि करेगा और आवेदन पर ऐसी टिप्पणी लगाएगा जैसी आवेदन में दर्शित दायित्वों एवं विल्लंगमों के विशेष संदर्भ से आवश्यक हो। वह आवेदन के संबंध में उसके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों एवं प्रस्तुतियों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

(2) यदि परीक्षणाधीन आवेदन ग्राम के दो–तिहाई भूमिस्वामियों से कम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो चकबंदी अधिकारी जांच करेगा कि क्या आवेदन में सम्मिलित न होने–वाले कोई भूमिस्वामी लिखित रूप में उनके खातों की चकबंदी को सहमति देने को तैयार हैं, जिससे कि धारा 206 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप में आवेदन का सीमा–विस्तार हो सके। इस प्रकार सहमति देने वाले भूमिस्वामियों के हस्ताक्षर उक्त आवेदन पर लिए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन पर उनके एवं उनके खाते के संबंध में विवरण दिए जाएंगे।

119. आवेदन का अमान्य किया जाना.– चकबंदी अधिकारी यदि जांच में यह पाए कि आवेदन नामंजूर किया जाए अथवा किसी भूमिस्वामी का मामला चकबंदी से पृथक् कर दिया जाए, तो वह इस बारे में अपने कारण लेखबद्ध करेगा।

120. आवेदन का ग्रहण किया जाना.– (1) यदि चकबंदी अधिकारी यह निर्णय करता है कि उक्त आवेदन नामंजूर किया जाए अथवा किसी भूमिस्वामी का मामला चकबंदी से पृथक कर दिया जाए तो वह धारा 207 की उपधारा (1) के अधीन कलक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि चकबंदी अधिकारी आवेदन ग्रहण करने का निर्णय करता है तो वह इस आशय का विधिवत आदेश लेखबद्ध करेगा। ग्रहण किये जाने का तथ्य और उसका दिनांक ग्राम में उद्घोषित किया जाएगा।

(3) उस दिनांक से जिसको ग्राम में चकबंदी का आवेदन ग्रहण हो जाता है, कोई भी राजस्व अधिकारी ग्राम के अधिकार–अभिलेख में संशोधन संबंधी किसी भी प्रविष्टि को प्रमाणित नहीं करेगा।

121. सलाहकार समिति का गठन.– नियम 120 में उप नियम (2) के अधीन आदेश पारित होते ही आवेदन से संबंधित खातों में चकबंदी की स्कीम का परीक्षण करने अथवा उसे तैयार करने में चकबंदी अधिकारी को सहायता देने के लिए एक सलाहकार समिति (जिसे आगे समिति कहा जाएगा) का गठन करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

122. समिति के सदस्य.– (1) समिति के पांच सदस्य होंगे। दो सदस्य भूमिस्वामियों द्वारा जिन्होंने आवेदन किया है उनमें से ही चयनित होंगे; और तीन सदस्य चकबंदी अधिकारी द्वारा खातों की चकबंदी का अनुभव रखने–वाले या इस प्रकार के कार्य में दिलचस्पी लेने–वाले उस ग्राम के अथवा लगे हुए के ग्राम के निवासियों में से नाम निर्देशित किए जाएंगे।

(2) चकबंदी अधिकारी समिति के सदस्यों की नियुक्ति का विधिवत आदेश अभिलिखित करेगा और उन्हें समिति के कार्य समझाएगा।

(3) चकबंदी अधिकारी, कारणों को अभिलिखित करते हुए समिति के किसी भी सदस्य को हटा सकेगा यदि वह कार्य करने से मना कर देता है, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है अथवा चकबंदी स्कीम का परीक्षण करने या उसे तैयार करने में कोई भाग नहीं लेता है, अथवा उसका समिति में बना रहना स्कीम के हित में अवांछनीय समझा जाए। इस प्रकार जो स्थान रिक्त होगा वह उप नियम (1) में उपबंधित रीति में भरा जाएगा।

123. परस्पर सहमत स्कीम.– (1) आवेदकों द्वारा परस्पर सहमत स्कीम का परीक्षण करते समय चकबंदी अधिकारी, समिति की सहायता से स्वयं को तुष्ट कर लेगा कि सभी आवेदक उसे समझते हैं और उनकी सहमति वास्तविक है तथा किसी ऐसे सौदे या प्रतिफल से प्रेरित नहीं है जिसे वह अनुचित समझता हो।

(2) यदि चकबंदी अधिकारी आवेदकों की किसी परस्पर सहमत स्कीम को परिवर्तित करने का निर्णय करता है तो वह, यथासम्भव, विहित रीति से स्वयं ही चकबंदी की स्कीम तैयार करना प्रारंभ करेगा।

124. खेतों का मूल्यांकन.– (1) जब चकबंदी अधिकारी को स्वयं चकबंदी की स्कीम तैयार करना हो तो वह स्थल पर खेतों की सापेक्ष उत्पादन–शक्ति पर आधारित मूल्यांकन प्रतिशत में निश्चित करेगा। सापेक्ष उत्पादन–शक्ति निश्चित करने के लिए ऐसे तत्व, जैसे मिट्टियां, स्थितियां, वर्तमान परिस्थितियां, ग्राम स्थान से दूरी, पशुओं से हानि होने के लिए खुला होना, किसी नाले द्वारा कटाव अथवा क्षरण की संभावना, सिंचन के साधन तथा सुरक्षा, बहाव, आवागमन के साधन, फसलों का इतिहास तथा दुहरी फसलें देने की क्षमता ध्यान में रखे जाएंगे।

(2) इस प्रकार निश्चित मूल्यांकन चकबंदी मानचित्र में और हैसियत खसरा में प्ररूप–छब्बीस में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) मूल्यांकन का कार्य पूर्ण होने पर चकबंदी अधिकारी आवेदकों एवं सदस्यों को एक बार पुनः विवरण समझाएगा तथा उनके साथ विचार–विमर्श करेगा और यदि वे मूल्यांकन की परिपुष्टि करते हैं, तो वे **प्ररूप–सत्ताईस** में अंकित कथन पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

(4) मूल्यांकन के संबंध में मतभेद के प्रकरणों में,चकबंदी अधिकारी पुनः उक्त ग्राम में जाएगा, सदस्यों एवं आवेदकों के साथ खेतों का निरीक्षण करेगा और जहां आवश्यक होगा मूल्यांकन को परिवर्तित करेगा तथा हैसियत खसरा एवं चकबंदी मानचित्र की प्रविष्टियां को संशोधित करेगा।

125. स्कीम के अधीन भूमि के आवंटन का सिद्धांत.– चकबंदी स्कीम के अधीन भूमि के भू–खण्डों का आबंटन निम्न सिद्धातों पर किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) भू–खंड इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे जिससे कि वे भूमिस्वामी को उतनी ही शुद्ध आय दें जितनी वह पूर्व में प्राप्त करता था। इस आशय के हेतु धान की भूमि धान की भूमि से विनिमय की जाएगी और बिना धान की भूमि बिना धान की भूमि से।

(ख) नई भूमियों का या तो क्षेत्रफल या उत्पादन इकाई पुराने अंक के सम होंगे। अंतर, यदि कोई हो, तो 3 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ग) भू–खंड ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रस्तावित किए जाएंगे जिनमें भूमिस्वामी के अधिकतम पुराने खेत स्थित हैं जिससे उनमें से जितने संभव हों उतने अधिकतम नए खाते में समाविष्ट हो जाएं। तथापि, यह सिद्धांत गांव की आबादी से रसान–जल प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के संबंध में शिथिल किया जा सकता है, जिससे संबंधित भूमिस्वामी को यथासंभव उतना ही रसान–जल प्राप्त करने–वाला क्षेत्र जितना पूर्व में था, सुनिश्चित हो जाए।

126. सामुदायिक भूमियों को पृथक् रखा जाना.– (1) आबंटन का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कृषि उपकरणों के आवागमन के लिए रास्ते तथा जल–मार्ग, चरनोई के हेतु भूमि सुरक्षित रखने, आबादी का विस्तार, खलिहान तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों तथा सामुदायिक भूमियों, यदि कोई हों, यदि वे दूरी एवं स्वच्छता की दृष्टि से असुविधाजनक स्थिति पर हैं, के स्थानांतरण की वांछनीयता पर आवेदकों एवं समिति के साथ विचार–विमर्श किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में गिनाए गए प्रयोजनों के लिए भूमियां,–

(क) दखलरहित भूमियों में से;
(ख) भूमिस्वामियों से दखलरहित भूमि के विनिमय में उपयुक्त भूमियां प्राप्त कर के; और
(ग) भूमिस्वामियों द्वारा उनके खातों में से दिए गए अंशदान में से;
पृथक् रखी जाएंगी।

127. कर्मचारी एवं समिति के मार्गदर्शन हेतु ज्ञापन.— नियम 124 के अंतर्गत मूल्यांकन निश्चित करने तथा नियम 125 के अंतर्गत आंबटन करने के पहले चकबंदी अधिकारी आवेदकों एवं समिति से परामर्श ले कर ऐसे सामान्य आधारों का निर्णय करेगा जिन पर खातों की चकबंदी प्रारंभ की जाएगी। विशेषतः वह यह विनिश्चित करेगा कि क्या कोई भूमि किन्हीं विशिष्ट कारणों से स्कीम से अलग रखी जाए। तत्पश्चात् वह उन विषयों से संबंधित अपने कर्मचारियों एवं समिति के मार्गदर्शन के लिए एक ज्ञापन तैयार करेगा।

128. चकबंदी की अस्थायी स्कीम की तैयारी.— चकबंदी की अस्थायी स्कीम कर्मचारियों द्वारा समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा 1:4000 के अथवा जो उपयुक्त समझा जाए, उस अन्य अनुमाप के मानचित्र द्वारा स्कीम के अनुसार भूमि के पुनर्वितरण को निर्दिष्ट करते हुए तथा प्ररूप–अट्ठाईस में तैयार किए गए अस्थायी चकबंदी के अधिकार–अभिलेख द्वारा निर्देशित की जाएगी।

129. अस्थायी स्कीम पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया जाना तथा उनका निराकरण.— जब अस्थायी स्कीम तैयार हो जाए, तब सभी संबंधित व्यक्तियों को उचित सूचना देने के पश्चात् चकबंदी अधिकारी ग्राम में जाएगा और समिति की उपस्थिति में उन्हें स्कीम, उसके विल्लंगमों के निराकरण के प्रस्तावों के सहित सभी दृष्टियों से समझाएगा। चकबंदी अधिकारी सुझावों एवं आपत्तियों को, जो उपस्थित व्यक्ति देना चाहे, आमंत्रित करेगा और उन पर विचार करने के पश्चात् यथासंभव आपत्तियों का निराकरण करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो, स्कीम में परिवर्तन करेगा।

130. खाते के बाजार अथवा उत्पादन मूल्य में परिवर्तन के लिए प्रतिकर.— (1) चकबंदी अधिकारी—

(क) उन सभी भूमिस्वामियों की, जिनके नए खाते या भूमियां उसके मत में उनके मूल खातों या भूमियों की अपेक्षा अधिक बाजार अथवा उत्पादन मूल्य की हैं; और

(ख) उन सभी भूमिस्वामियों की सूची जिनके नए खाते या भूमियां, उनके मत में उनके मूल खातों या भूमियों की अपेक्षा कम बाजार अथवा उत्पादन मूल्य की हैं;

एक सूची बनाएगा।

(2) चकबंदी अधिकारी तत्पश्चात् उपनियम (1) के खंड (क) में वर्णित भूमिस्वामियों द्वारा खंड (ख) में वर्णित भूमिस्वामियों को देय आर्थिक प्रतिकर अनुमानित करेगा तथा धारा 209 की उपधारा (3) में वांछित रीति से उसके दिए जाने का निदेश देगा।

131. प्रतिकर का अवधारण.— विभिन्न खातों और भूमियों का बाजार मूल्य तथा धारा 209 की उप धारा (3) के अंतर्गत देय प्रतिकर यथासंभव समिति के साथ परामर्श कर निश्चित किया जाएगा। यदि यह प्रकिया असफल रहे तो वह यथाशीघ्र भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के उपबंधों के अनुसार निश्चित किया जाएगा।

132. नए खाते पर विल्लंगमों का अंतरण.— यदि धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन चकबंदी अधिकारी यह विचार करता है कि कोई पट्टा, बंधक अथवा कोई अन्य विल्लंगम, जिससे किसी भूमिस्वामी का मूल खाता भारित है, अंतरित कर दिया जाए तथा वह उसके नए खाते के केवल किसी भाग से ही संबद्ध रहे, तो वह ऐसे भाग को नियत करने में निम्नलिखित से मार्गदर्शित होगाः—

(क) मूल खाते के, जो भारित था, तथा नए खाते के उस भाग के, जिस पर कि भार अंतरित एवं संबद्ध किया जाना है, बाजार मूल्य का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए; तथा

(ख) उक्त भाग नए खाते में इस प्रकार स्थित होना चाहिए कि वह नये खाते के शेष भाग की अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे तथा अंतिम सीमांकन को असुविधाजनक न बनाए।

133. भूमिस्वामियों द्वारा स्कीम को स्वीकार किया जाना.— सभी भूमिस्वामियों से, जो तैयार की गई अथवा परिवर्तित स्कीग रो राहगत हों, स्कीग पर उनकी राहगति के प्रतीक स्वरूप **प्ररूप—उनतीस** में अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। तत्पश्चात् अधिकार—अभिलेख के सारांश **प्ररूप—तीस** में तैयार किए जाएंगे।

134. चकबंदी स्कीम की पुष्टि एवं प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना.— (1) जब किसी चकबंदी की स्कीम की अंतिम पुष्टि हो जाए, और धारा 211 की उपधारा (1) की अपेक्षाएँ पूर्ण हो जाएं तो चकबंदी अधिकारी **प्ररूप—इकतीस** में उद्घोषणा जारी करते हुए स्कीम की पुष्टि आख्यापित करेगा।

(2) धारा 211 के अधीन अभिज्ञापन जारी करने के तत्काल पश्चात् चकबंदी अधिकारी, नए खाते का अथवा स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक भूमिस्वामी को आबंटित भूमि के विवरण सहित प्रमाणपत्र तैयार कराएगा और उनको परिदत्त कराएगा। चकबंदी अधिकारी अधिकार—अभिलेखों को उचित रूप से शुद्ध करने तथा शुद्धियों का यथोचित् रूप से प्रमाणीकरण करने की भी कार्यवाही कराएगा।

135. नए खेतों का सीमांकन.— चकबंदी अधिकारी, यदि आवश्यक हो, भूमिस्वामी को आवंटित नए खेतों की सीमाओं का फसल कट चुकने के पश्चात् तथा स्कीम की पुष्टि के अनुसरण में उसे खाते का कब्जा सौंपे जाने के पूर्व, स्थल पर सीमांकन कराएगा।

136. नए खाते पर विल्लंगमों का रजिस्ट्रीकरण तथा लिखत पर पृष्ठांकन.— (1) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई पट्टा, बंधक या अन्य विल्लंगम किसी भूमिस्वामी के मूल खाते या भूमि से उसके नए खाते या भूमि पर अथवा उसके किसी भाग पर अंतरित किया गया है, चकबंदी अधिकारी स्कीम की पुष्टि हो जाने पर, वह रीति जिसमें अंतरण किया गया है, वर्णित करते हुए विधिवत् आदेश अभिलिखित करेगा तथा इस प्रकार के आदेश की एक

प्रतिलिपि उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में इस प्रकार का नया खाता अथवा भूमि अथवा उसका कोई भाग स्थित है, उसकी पुस्तक क्रमांक 1 में नस्तित किए जाने के लिए भेजेगा। अंतरण में हित रखने वाला कोई व्यक्ति, आवेदन करने पर, इस प्रकार अभिलिखित आदेश की प्रतिलिपि प्रथम बार निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(2) यदि पट्टा, बंधक अथवा विल्लंगम की अन्य लिखत उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो चकबंदी अधिकारी उक्त आदेश उस दस्तावेज पर पृष्ठांकित कराएगा।

137. स्कीम के खर्च का निर्धारण.– खातों की चकबंदी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करने का खर्च स्कीम से प्रभावित खातों के दखलकृत क्षेत्र पर प्रति हेक्टेयर की एक निश्चित दर से निर्धारित किया जाएगा। यह दर ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाए।

138. चकबंदी खर्च का संग्रह.– चकबंदी का खर्च एक या दो किस्तों में, जैसी भी स्थिति हो, भू–राजस्व की माँग के साथ संग्रहीत किया जाएगा।

139. उन निर्धारितियों की सूची तैयार किया जाना, जिनसे स्कीम का खर्च प्राप्त किया जाना है.– (1) स्कीम की पुष्टि के तत्काल पश्चात् चकबंदी में संलग्न कर्मचारी **प्ररूप–बत्तीस** में उन व्यक्तियों की सूची जिनसे चकबंदी का खर्च प्राप्त किया जाना है, तैयार करेंगे। यह सूची वर्णकमानुसार व्यवस्थित होगी। सूची की सभी प्रविष्टियाँ चकबंदी अधिकारी द्वारा जांची जाएंगी तथा उनके सही होने के प्रतीक स्वरूप उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी।

(2) सूची तीन प्रतियों में तैयार की जाएगी। एक प्रति तहसीलदार को भेजी जाएगी जो उसे इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए रजिस्टर में अंकित कराएगा, दूसरी प्रति पटवारी को वसूली के लिए सौंप दी जाएगी और तीसरी प्रति ग्राम के चकबंदी के कार्य विवरण के साथ नस्तित कर दी जाएगी।

अध्याय–नौ
निरसन तथा व्यावृत्ति

140. निरसन तथा व्यावृत्ति.– (1) निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं,–

(क) धारा 165 की उप धारा (4) के उल्लंघन में भूमि के अंतरण के संबंध में धारा 166 के अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 196–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ख) धारा 170 के अधीन किसी खाते का कब्जा दिलाए जाने संबंधी दावों के निपटारे की प्रकिया के विनियमन के संबंध में बनाए गए नियम अधिसूचना कमांक 197–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ग) धारा 170 के अधीन अधिकारों के त्यजन किए जाने के संबंध मे बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 198–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(घ) धारा 176 के अधीन किसी परित्यक्त भूमि का कब्जा दिलाए जाने के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 388–सीआर–532–सात–एन (नियम), दिनांक 11 जनवरी, 1960;

(ङ) धारा 179 के अधीन वृक्षों में के अधिकारों को कय करने के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 200–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(च) धारा 204 के अधीन जलोढ़ तथा जल–प्लावन के कारण भू–राजस्व के निर्धारण में वृद्धि या कमी करने के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 208–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(छ) धारा 221 के अधीन खातों की चकबंदी के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 11343–सात–एन (नियम), दिनांक 1 अक्टूबर, 1959;

(ज) धारा 222, 223, 224 तथा 228 के अधीन पटेल की नियुक्ति, पारिश्रमिक, कर्तव्य, हटाया जाना तथा दण्ड के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 209–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(झ) धारा 224 के अधीन ग्राम की स्वच्छता के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 210–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ञ) धारा 230 के अधीन कोटवारों की नियुक्ति, दण्ड तथा हटाए जाने के संबंध में नियम, अधिसूचना कमांक 211–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ट) धारा 231 के अधीन कोटवारों के पारिश्रमिक के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 212–6477– सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ठ) धारा 239 के अधीन दखलरहित भूमि में फलदार वृक्षों के रोपण के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 216–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ड) धारा 240 की उप धारा (1) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2007, अधिसूचना कमांक एफ–2–39–04–सात–शा.6, दिनांक 26 नवम्बर, 2007;

(ढ़) धारा 240 की उप धारा (3) के अधीन वनोत्पादों के नियंत्रण, प्रबंधन, काटकर गिराए जाने या हटाए जाने के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 5262–3472–सात–एन–एक (नियम), दिनांक 28 सितम्बर, 1964;

(ण) धारा 241 के अधीन प्रकाशित किए जाने वाले आदेश को उद्घोषित करने की रीति बनाने तथा सरकारी वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के लिए बनाए गए मध्यप्रदेश शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में इमारती लकड़ी को काटकर गिराने तथा हटाने का विनियमन नियम, 2007 अधिसूचना क्रमांक एफ–2–39–04–सात–शा.–6 दिनांक 26 नवम्बर, 2007;

(त) धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अधीन भूमि पर अप्राधिकृत दखल या कब्जा चालू रखने के लिए व्यक्ति को पकड़वाने तथा उसे सिविल कारागार में भेजने के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना क्रमांक एफ 6–2–सात–एन–एक दिनांक 13 दिसम्बर, 1976;

(थ) धारा 249 के अधीन मछली पकड़ने या ग्रामों में जीव–जन्तुओं को पकड़ने, उनका आखेट करने या उनको गोली मारने तथा राज्य सरकार की भूमि से किन्हीं पदार्थों को हटाने का विनियमन के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 221–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(द) धारा 251 की उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार में वेष्ठित तालाबों से निस्तार तथा सिंचाई के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 223–6477–सात–एन (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960;

(ध) धारा 258 की उप धारा (2–ख) के खण्ड (ठ) के अधीन अर्जी–लेखकों को अनुज्ञा देने के संबंध में बनाए गए नियम, अधिसूचना कमांक 367 दिनांक 26 फरवरी, 1960।

(2) ऐसे निरसन से निरसित नियमों के किसी उपबंध के पूर्व अथवा उसके अधीन सम्यकरूप से की गई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका यह प्रभाव होगा मानो वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात हो।

प्ररूप–एक

(नियम 3 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

भूमि के त्यजन की सूचना

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 173 के अधीन)

सेवा में,

तहसीलदार .....

.....

1. मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी ग्राम/नगर..... पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला..... एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि मेरा आशय निम्न अनुसूची में वर्णित अपने खाते/खाते के भाग.....में अपने अधिकार जो ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... .....तहसील.....जिला.....में स्थित है, सरकार के हित में त्याग करने का है।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकार नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अधिकारों, धारणों, विल्लंगमों अथवा साम्यों के अध्यधीन है :–

अनुसूची

त्यजन की जाने वाली भूमि का विवरण

खाता क्रमांक	त्यजन की जाने वाली भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हैक्टेयर) में	भू–राजस्व (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)

अधिकार, धारण, विल्लंगम अथवा साम्य	भू–धृति धारक का नाम/माता/पिता/पति का नाम व पता जिसके हित में वे स्थित हैं	अभ्युक्तियां
(5)	(6)	(7)

दिनांक .....

स्थान

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

नाम और पता.....

मोबाईल नम्बर.....

साक्षियों के नाम और उनके माता/पिता/पति का नाम तथा पता

हस्ताक्षर

1.....

2.....

प्ररूप–दो

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 173 के अधीन)

.....के न्यायालय के समक्ष तहसील.....जिला.....

..... आवेदक प्रकरण कमांक.....

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य .....अनावेदक

आदेश

(.....को पारित)

आवेदक भूमिस्वामी.....पुत्र / पुत्री / पत्नी..... निवासी ग्राम / नगर.....तहसील.....जिला.....ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 173 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित ग्राम / नगर.....पटवारी हल्का कमांक / सेक्टर क्रमांक .....तहसील..... जिला.....में स्थित उसके खाता कमांक.....या उसके भाग में उसके अधिकारों के त्यजन की सूचना दिनांक.....इस न्यायालय को दी है। सूचना इस न्यायालय को दिनांक .....को प्राप्त हुई।

2. सूचना प्राप्त होने पर मैंने आवश्यक जांच की। .....
(की गई जांचों व निष्कर्षों का विवरण यहां दीजिए) .....

3. उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर मैं एतद्द्वारा उक्त अधिकारों के त्यजन को स्वीकार करता हूँ और यह आदेश देता हूँ कि उक्त भूमि को उक्त अनुसूची में वर्णित अधिकारों, धारणों, विल्लंगमों अथवा साम्यों के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब–उल–अर्ज) नियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार दखलरहित भूमि के रूप में अभिलिखित किया जाए।

4.(दखलरहित भूमि के अभिलेख की प्रविष्टियों को अद्यतन करने के लिए यहां विशेष निदेश दीजिए)

अनुसूची

त्यजन गई भूमि का विवरण

खाता कमांक	त्यजन की जाने वाली भूमि का सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हैक्टेयर) में	भू–राजस्व (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)

अधिकार, धारण, विल्लंगम अथवा साम्य	भू–धृति धारक का नाम / माता / पिता / पति का नाम व पता जिसके हित में वे स्थित हैं	अभ्युक्तियां
(5)	(6)	(7)

मुद्रा

तहसीलदार के हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्ररूप–तीन

(नियम 12 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

खेतों का सीमांकन करने के लिए निदेश

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 166 की उप धारा (1) के अधीन)

..... के न्यायालय के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

प्रति,

.....पटवारी/नगर सर्वेक्षक,

पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर कमांक.....

ग्राम/नगर.....

तहसील.....जिला.....

क्योंकि आपके हल्का/सेक्टर के ग्राम/नगर.....में स्थित नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सर्वेक्षण संख्यांकों का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 166 की उप धारा (1) के अधीन समपहृत किए जाने के लिए चयन किया गया है;

एतद्द्वारा आपको अंतरिती .....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....तहसील.....जिला.....को, उस दिन या उन दिनांकों की, जब आप उनका सीमांकन करेंगे, पूर्व सूचना देने के पश्चात् इस आदेश के प्राप्त होने के एक मास के भीतर उक्त सर्वेक्षण संख्यांकों का स्थल पर जाकर सीमांकन करने का आदेश दिया जाता है।

इस आदेश का पालन करने के पश्चात् आप उसका पालन प्रतिवेदन देंगे।

अनुसूची

सरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
योग		

मुद्रा

दिनांक .....

उपखंड अधिकारी

.....

प्ररूप–चार

(नियम 15 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020
अंतरिती एवं अंतरक को सूचना
(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (1) के अधीन

..... के न्यायालय के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

प्रति,

.....(नाम)
माता/पिता/पति का नाम.....
निवासी तहसील.....जिला.....

क्योंकि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... तहसील.....जिला.....ने ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर क्रमांक .....तहसील.....जिला.....में स्थित नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि के संबंध में..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी.....तहसील.....जिला द्वारा किए गए अंतरण को अपास्त करने तथा उक्त भूमि का कब्जा उसे दिलाए जाने के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (1) के अधीन आवेदन किया है, आपको एतद्द्वारा दिनांक .....सन 20..... को स्वयं अथवा विधि व्यवसायी या मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर यह कारण बताने के लिए आहूत किया जाता है कि उक्त अंतरण को क्यों न अपास्त कर दिया जाए।

अनुसूची

खाता क्र.	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपयों में)	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मुद्रा

दिनांक .....

उपखंड अधिकारी

.....

प्ररूप–पांच

(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

दावेदारों तथा लेनदारों को सूचना

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (1) के अधीन)

..... के न्यायालय के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

प्रति,

.....(नाम)

माता / पिता / पति का नाम.....

निवासी तहसील.....जिला.....

क्योंकि.....पुत्र / पुत्री / पत्नी.....निवासी.....तहसील.....जिला.....ने ग्राम / नगर.....पटवारी हल्का कमांक / सेक्टर क्रमांक .....तहसील.....जिला.....में स्थित नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि के संबंध में.....पुत्र / पुत्री / पत्नी.....निवासी.....तहसील.....जिला..... द्वारा किए गए अंतरण को अपास्त करने तथा उक्त भूमि का कब्जा उसे दिलाए जाने के लिए मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (1) के अधीन आवेदन किया है, आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ..... 20.....को या तो स्वयं अथवा विधि व्यवसायी या मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों तथा उपरोक्त वर्णित प्रकरण में,

(*यदि सूचना दावेदारों को है*) विवादग्रस्त खातों का कब्जा प्राप्त करने के लिए अपने दावों को, यदि कोई हों,

(*यदि सूचना लेनदारों को है*) किन्हीं देयों के संबंध में जो खाते पर भार निर्मित करते हों, अपने दावों को,

प्रस्तुत करें।

आपके उपस्थित न हो पाने अथवा दावों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यह अनुमान किया जाएगा कि उक्त भूमि के संबंध में आपका कोई दावा नहीं है।

अनुसूची

खाता क्र.	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू–खण्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपयों में)	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मुद्रा

दिनांक .....

उपखंड अधिकारी

.....

प्ररूप–छह

(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

उद्घोषणा

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (1) के अधीन)

..... के न्यायालय के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

क्योंकि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी ..... तहसील .....जिला ..... ने ग्राम/नगर ..... पटवारी हल्का कमांक/सेक्टर क्रमांक..... तहसील.....जिला.....में स्थित नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि के संबंध में ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी..... तहसील.....जिला.....द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 170 की उप धारा (1) के अधीन अंतरण में अपास्त किये जाने तथा स्वयं को उक्त भूमि का कब्जा दिये जाने का आवेदन किया है।

और क्योंकि यह पाया गया है कि उक्त अंतरण संहिता की धारा 165 की उपधारा (4)/उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार नहीं था;

अतः उन समस्त व्यक्तियों को जो अंतरक के वारिस होने का दावा कर सकते हों/उन समस्त लेनदारों को जिनका उक्त अंतरक उसे दिए गए ऋणों के लिए जो उक्त भूमि पर भार निर्माण करते हों, ऋणी हों तथा उन समस्त व्यक्तियों को, जो सुने जाने के इच्छुक हों, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी अथवा मान्यताप्राप्त प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक ..... को.....बजे..... पर उपस्थित हों और अपने दावे प्रस्तुत करें।

ऊपर वर्णित दिनांक एवं स्थान पर इस प्रकार उपस्थित न हो पाने तथा दावा प्रस्तुत न कर पाने की दशा में किसी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

खाता क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपयों में)	अधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मुद्रा

दिनांक .....

उपखंड अधिकारी

.....

प्ररूप–सात

(नियम 19 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

भू–राजस्व के बकाया अथवा भूमि पर भार का निर्माण करने वाले अन्य देयों का विवरण

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (2) के अधीन)

..... के न्यायालय के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

प्रति,

..... (नाम)

माता / पिता / पति का नाम.....

निवासी .....

तहसील.....जिला.....

ग्राम / नगर का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	निर्धारण (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)

भू– राजस्व के बकाया की राशि (रुपयों में)	भूमि पर भारित अन्य ऋणों का विवरण	योग (रुपयों में) 5+6
(5)	(6)	(7)

मुद्रा

दिनांक .....

उपखंड अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

प्ररूप–आठ

(नियम 19 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

भू–राजस्व के बकाया तथा खातों पर भार का निर्माण करने वाले अन्य देयों के दायित्व को स्वीकार करने के संबंध में आवेदक का कथन

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170 की उप धारा (2) के अधीन)

..... के न्यायालय के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

क्योंकि उपरोक्त वर्णित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित हुआ है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) से (1) तक में वर्णित भूमि मेरे कब्जे में दी जाए,

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....

तहसील ..... जिला ..... एतद्द्वारा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (7) तक में विनिर्दिष्ट देयों का भुगतान करने के लिए सहमत हूं।

अनुसूची

ग्राम/नगर का नाम	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	निर्धारण (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)

भू– राजस्व के बकाया की राशि (रुपयों में)	भूमि पर भारित अन्य ऋणों का विवरण	योग (रुपयों में) (5)+(6)
(5)	(6)	(7)

(दावेदार के हस्ताक्षर)

दिनांक .....

उपखंड अधिकारी के हस्ताक्षर

.....

प्ररूप–नौ

(नियम 25 देखिए)

आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020
अर्जी–लेखक की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (2–ख) के खण्ड (ठ) के अधीन)

1. आवेदक का नाम (पूरा नाम दीजिए)	
2. माता/पिता/पति का नाम	
3. जन्म का दिनांक	
4. पता (मोबाइल फोन नं. तथा ई–मेल एड्रेस सहित)	
5. शैक्षणिक योग्यता– अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा उस संस्था का नाम बताइये जहां से परीक्षा उत्तीर्ण की हो	
6. वर्तमान आजीविका, यदि कोई हो	
7. क्या आवेदन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का है ?	
8. वह भाषा अथवा वे भाषाएं जिन्हें आवेदक जानता है।	
9. उन दो व्यक्तियों के नाम उनके पते सहित जिनसे आवेदक के चरित्र के बारे में पूछा जा सके	
10. क्या सरकार की सेवा से हटाया गया है? यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए	
11. क्या किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ है? यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए	
12. क्या अनुज्ञप्ति के लिए जिले में पूर्व में कभी आवेदन किया है? यदि ऐसा है तो, क्या परिणाम हुए	

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज–

1. पहचान का प्रमाण–(निम्नलिखित में से किसी भी एक दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रति अर्थात्– मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लायसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ अथवा किसी राजपत्रित शासकीय अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र)

2. शैक्षणिक योग्यताओं की स्वप्रमाणित प्रति

3. अर्जी–लेखक के कार्य से सुसंगत ज्ञान, कौशल अथवा अनुभव (उदाहरणार्थ कम्प्यूटर में दक्षता, विधि व्यवसायी के साथ कार्य करने का अनुभव) के समर्थन में किसी अन्य प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

प्ररूप–दस

(नियम 27 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (2–ख) के खण्ड (ठ) के अधीन)

कार्यालय कलक्टर .....

अनुज्ञप्ति

राजस्व अर्जी–लेखक

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी.....को आज के दिन .....जिले के राजस्व अर्जी–लेखक के रूप में अनुज्ञापित किया गया है तथा ..... (कारवार के स्थान का नाम) पर मध्यप्रदेश में ऐसे अर्जी–लेखक से संबंधित नियमों द्वारा विहित की गई रीति में तथा उक्त नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यवसाय करने की एतद्द्वारा अनुज्ञा दी गई है।

अनुज्ञप्ति.....तक मान्य रहेगी।

अनुज्ञप्ति की कालावधि ..... तक बढ़ाई गई।

अनुज्ञप्ति स्थायी रूप से प्रदान की गई .....।

आज दिनांक .....20.....को स्थान ..... पर मेरे हस्ताक्षर और इस कार्यालय की मुद्रा के अधीन दी गई।

मुद्रा

अनुज्ञापन प्राधिकारी/कलक्टर

प्ररूप–ग्यारह

(नियम 30 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020
अनुज्ञापित राजस्व अर्जी–लेखकों का रजिस्टर

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (2–ख) के खण्ड (ठ) के अधीन बने नियम)

(टिप्पणी – प्रत्येक अर्जी–लेखक के हेतु एक या अधिक पृष्ठ पृथक रखे जाए)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	अर्जी–लेखकों का नाम	माता/पिता/पति का नाम	निवास स्थान तथा मोबाईल/फोन नंबर तथा ईमेल एड्रेस	कारोबार का स्थान	अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का दिनांक	स्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का दिनांक	'अभियुक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

'**टीप** – अभियुक्तियां के स्थान में नियम 40 के अधीन पारित किए गए किसी भी आदेश की टिप्पणी प्रविष्ट की जाएगी।

प्ररूप–बारह

(नियम 31 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

अर्जी–लेखक द्वारा रखा जाने–वाला रजिस्टर

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (2–ख) के खण्ड (ठ) के अधीन)

अर्जी का सरल कमांक	दिनांक जिसको अर्जी तैयार की गई	उस व्यक्ति का नाम, माता/पिता/पति का नाम और निवास जिसके कहने पर अर्जी लिखी गई	अर्जी का संक्षिप्त वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)

अर्जी पर चस्पा की गई न्यायालय–फीस का मूल्य	अर्जी–लेखने हेतु प्रभारित शुल्क	अभ्युक्तियां	अर्जीदार के हस्ताक्षर
(5)	(6)	(7)	(8)

प्ररूप–तेरह

(नियम 44 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

प्रतिभूति बंधपत्र

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 222 (1) के अधीन)

समस्त व्यक्तियों को इस लेख द्वारा अवगत हो कि हम (1) श्री..... पुत्र.....जिला.....की तहसील.....के.....निवासी (यहां आगे 'मुख्य' कथित) तथा (2) श्री.....पुत्र.....जिला..... की तहसील ..... के निवासी (यहां आगे प्रतिभू कथित) मध्यप्रदेश के राज्यपाल (यहां आगे 'राज्यपाल' कथित) को उसके या उनके न्यायवादी या उनके न्यायवादियों को यहां आगे निर्दिष्ट रीति से भुगतान–कारणीय रुपये 5000/– (रुपये पांच हजार केवल) की राशि में गृहीत एवं दृढ़तापूर्वक बद्ध है। जिस भुगतान के अच्छे एवं यथार्थ रूप से किए जाने के हेतु हम स्वयं को अपने दायादों, निष्पादकों, प्रबंधकों एवं प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से एवं पृथक्–पृथक् आज दिनांक .....20.....को हमारे द्वारा हस्ताक्षरित इस लेख द्वारा दृढ़तापूर्वक बद्ध करते हैं।

क्योंकि उपर्युक्त बद्ध मुख्य का जिला.....की तहसील..... में.....के पटेल के पद पर नियुक्ति के हेतु चयन किया गया है तथा क्योंकि उक्त नियुक्ति के पूर्वगामी प्रतिबंध के रूप में उक्त मुख्य से मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020 के नियम 44 के अधीन एक प्रतिभू के साथ प्रतिभूति देना अपेक्षित है;

और क्योंकि उक्त पद के अधीन उक्त मुख्य के अन्य कर्तव्यों में, उन समस्त धनों, कागदों और जिस किसी भी रूप की अन्य संपत्ति, जो उसे उक्त पद के सामर्थ्य से प्राप्त हो या उसे सौंपी जाए, के सुरक्षण के हेतु, सावधानी प्रभार एवं उत्तरदायित्व सम्मिलित है तथा वह उक्त धनों, कागदों एवं अन्य संपत्ति के सत्य एवं यथार्थ लेखे रहने के लिए बद्ध है;

और क्योंकि हम, उक्त मुख्य और प्रतिभू, उक्त पद के कर्तव्यों और उससे संबद्ध अन्य कर्तव्यों या जो उससे विधिसंगत रूप से अपेक्षित हों; के उक्त मुख्य द्वारा उचित क्रियान्वयन एव पूर्ति के तथा राज्यपाल की उन समस्त हानियों एवं क्षतियों के विरूद्ध सुरक्षा के हेतु जो उन्हें मुख्य के किसी भी कृत्य, उपेक्षा या अवहेलना के कारण पहुंचे, नामतः उक्त धन, कागद एवं संपत्ति या उसका कोई भी भाग उक्त मुख्य द्वारा

बेईमानीपूर्वक उपेक्षापूर्वक या अन्यथा, नष्ट, अपहन्त या अपव्यय हो जाने के कारण प्रतिबंधित रुपये 5000/– (रुपये पांच हजार केवल) की शास्तिस्वरूप के ऐसे बंधपत्र में प्रविष्ट हुए हैं।

हम अतएव, अंगीकार करते हैं कि पटेल के उक्त पद को धारण करते हुए उक्त पद के अपने कर्तव्यों को कियान्वयन के क्रम में मुख्य अपनी अवहेलना, असावधानी या जिस किसी भी अन्य रीति से राज्य सरकार को कोई भी हानि, आघात या क्षति प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाता है; हम संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक ऐसी किसी भी रूप की हानि, आघात या क्षति की पूर्ति करेंगे:

परंतु संदैव प्रतिबंध यह है तथा यह एतद्द्वारा अंगीकृत एवं घोषित किया जाता है कि प्रतिभू को अपने प्रतिभूत्व को समाप्त करने की, ऐसा करने का अभिप्राय कलक्टर को छह कलेंडर मासों की लिखित पूर्व–सूचना दिए जाने के अतिरिक्त छूट नहीं होगी;

और यह एतद्द्वारा राज्यपाल का विनिश्चय इस बारे में कि क्या कोई हानि, आघात, क्षति आदि पंहुची है या उठाई गई है तथा उसकी धनराशि के बारे में अंतिम होगा और मुख्य एवं प्रतिभू को बद्धकारक होगा;

और यह एतद्द्वारा अंनतर अंगीकृत एवं घोषित किया जाता है कि इस बंधपत्र के अधीन राज्यपाल को देय होने–वाले समस्त धन मुख्य एवं प्रतिभू से संयुक्त रूप से एवं पृथक–पृथक भू–राजस्व के अवशेष की रीति से वसूली योग्य होंगे।

उसके साक्ष्य में हमने आज दिनांक.....20..... का यहां नीचे हस्ताक्षर किए हैं।

साक्षीगण.....

1.....

2.....

मुख्य के हस्ताक्षर

.....

प्रतिभू के हस्ताक्षर

.....

प्ररूप–चौदह

(नियम 45 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

करार

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 222 (1) के अधीन)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि .....का वर्तमान निवासी जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) की धारा 222 (1) के अधीन बने नियमों के अनुसार ..... का पटेल नियुक्त हुआ हूं, ग्रामीणों को संतुष्ट रखने, ग्राम की कृषि के विस्तार एवं सुधार के हेतु अपना अधिकतम प्रयास लगाने, भू–राजस्व कर, चुंगी एवं देयों को एकत्रत करने तथा प्रतिफल में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की गई दरों से पारिश्रमिक प्राप्त करने को बद्ध होता हूं।

2. मैं ग्राम के प्रबंध के हेतु राज्य सरकार द्वारा सगय–समय पर विहित समस्त नियमों का पालन करूंगा तथा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वाह करूंगा। मै स्वयं को निम्नलिखित प्रतिबंधों से बद्ध अभिस्वीकृति करता हूं :–

(एक) ग्राम की पटेली न तो दाययोग्य होगी और नहीं हस्तांतर योग्य है अथवा न मैं पद को अशं युक्त या उसके लिए नियत पारिश्रमिक को उप विभाजित करने को स्वतंत्र हूं।

(दो) मैं अपने प्रभार के अधीन ग्राम में स्थायी रूप में निवास करूंगा।

(तीन) मैं पटेल के पद से मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) और उसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन संलग्न कर्तव्यों को कियान्वित करूंगा।

(चार) मैं स्वयं को विभिन्न भूमिस्वामियों एवं पट्टेदारों आदि से भू–राजस्व और राज्य सरकार द्वारा पटेल के माध्यम से वसूली योग्य आज्ञापित अन्य देयों का भी संग्रह करने तथा उनके नियमित रूप से कोषालय में भुगतान करने के लिए बद्ध करता हूं जो दिनांक.....20..... से प्रभावशील होगा और जो इस बारे में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रचलित किए गए अनुदेशों के अनुसार होगा तथा अभिलेख एवं लेखे उस प्रकार रखूंगा जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(पांच) मैं अंगीकार करता हूं कि इन प्रतिबंधों में से किसी का भी भंग करना पटेल के पद से मेरे हटाए जाने की प्रत्याभूति करेगा।

(छह) मैं स्वयं को मेरे से एतद्धीन देय किसी भी धनराशि की भू–राजस्व के अधिशेष के रूप में वसूली के लिए बद्ध करता हूं।

3. मैं अंगीकार करता हूं कि यदि कलक्टर के मत में अवचार, दुश्चारित्रय या वैयक्तिक स्थिति के कारण पटेल के कर्तव्यों के कियान्चयन के लिए मैं अयोग्य हूं तो मुझे पद से हटाया जा सकेगा :

परंतु पदच्युति या हटाए जाने की कोई भी आज्ञा तब तक पारित नहीं की जाएगी जब तक हटाए जाने के विरूद्ध कारण बतलाने का अवसर मुझे नहीं दिया जाए।

दिनांक ..... पटेल के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित कलक्टर

दिनांक..... जिला.....

प्ररूप–पंद्रह

(नियम 66 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय तहसीलदार ..... के समक्ष .....

प्रकरण कमांक .....

.....

विरूद्ध

.....

उद्घोषणा

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 179 की उपधारा (2) के अधीन)

क्योंकि.....पुत्र/पुत्री/पत्नि..... निवासी ग्राम.....

पटवारी हलका कमांक/सेक्टर.....तहसील.....जिला.....

ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 179 की उपधारा (2) के अधीन निम्न अनुसूची में वर्णित अपने खाते में स्थित वृक्षों के अधिकार कय करने के हेतु आवेदन किया है।

सभी हित रखने वाले व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाला उक्त आवेदन का परीक्षण अपने न्यायालय कक्ष में दिनांक ..... को.....बजे करेगा। किसी भी व्यक्ति को कोई दावा अथवा आपत्ति करना हो तो वह उस समय ऐसा कर सकता है।

अनुसूची

ग्राम/नगर का नाम	पटवारी हल्का कमांक /सेक्टर क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षों की संख्या एवं प्रजातियां	उन व्यक्तियों के नाम जिनमें उक्त वृक्षों के अधिकार निहित हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक .....20..... .....

प्ररूप–सोलह

(नियम 70 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय तहसीलदार ..... के समक्ष .....

प्रकरण कमांक .....

.....

विरूद्ध

.....

उद्घोषणा

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 की उपधारा (6) के अधीन)

क्योंकि.....पुत्र / पुत्री / पत्नि.....निवासी.....

ग्राम / नगर..... पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक .....

तहसील..... जिला..... में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 239 की उपधारा (6) के अधीन इस आधार पर कि वह नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि पर वृक्षारोपण अनुज्ञाधारी या वृक्ष पट्टाधारी है और उक्त भूमि लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की स्वीकृति से प्रतिकूल प्रभावित हुई है, प्रतिकर का दावा कर रहा है।

सभी हित रखने वाले व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाला उक्त आवेदन का परीक्षण अपने न्यायालय कक्ष में दिनांक ..... को.....बजे करेगा। किसी भी व्यक्ति को कोई दावा अथवा आपत्ति करना हो तो वह उस समय ऐसा कर सकता है।

अनुसूची

ग्राम / नगर का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक एवं तहसील	सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू–खंड संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वृक्षारोपण अनुज्ञाधारी अथवा वृक्ष पट्टाधारी का नाम	वृक्षों की संख्या एवं प्रजातियां तथा आवेदक के दावों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक .....20..... .....

प्ररूप–सत्रह

(नियम 92 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने का आवेदन पत्र

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन)

प्रति,

तहसीलदार .....

तहसील ..... जिला .....

1	आवेदक का नाम, माता/पिता/पति का नाम तथा पता मोबाइल फोन नंबर ..... ईमेल पता (यदि कोई हो)	
2	उस भूमिस्वामी का नाम, जिसके खाते में तथा पटवारी हल्का क्रमांक सहित अधिसूचित ग्राम जिसमें वृक्ष काट कर गिराया जाना है।	
3	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खंड संख्यांक क्षेत्रफल सहित, जिसमें वृक्ष काट कर गिराया जाना है	
4	पूर्वोक्त सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खंड संख्यांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार तथा घेरावार कुल संख्या	
5	घेरावार काट कर गिराए जाने वाले वृक्षों की संख्या तथा काट कर गिराए जाने वृक्षों का अनुक्रमांक	
6	क्रेता का नाम, पूर्ण विशिष्टियाँ तथा पता	
7	विक्रय की शर्तें तथा प्रतिफल	
8	गंतव्य स्थान जहाँ तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है	
9	परिवहन का मार्ग	

स्थान : .....

तारीख: ..... आवेदक के हस्ताक्षर

'**टीप** – अधिसूचित ग्राम से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित ग्राम ।

प्ररूप–अठारह

(नियम 92 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्षारोपण की प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में, खसरे को सम्मिलित करते हुए, अभिलिखित करने हेतु सूचना

(मध्यप्रदेश भूं–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 के अधीन)

प्रति,

तहसीलदार,

तहसील.....,...

जिला.....मध्यप्रदेश .....

1. आवेदक का नाम माता/पिता/पति का नाम तथा पता मोबाईल/फोन नंबर ईमेल (यदि कोई हो) .....

2. खाते का विवरण ग्राम/नगर पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक जहां वृक्षारोपण प्रस्तावित है .....

3. भूमि में अधिकार के संबंध में विवरण.....

4. विद्यमान प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण –

सरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक /भू–खण्ड संख्यांक	विद्यमान वृक्षों की संख्या तथा प्रजातियां	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या और प्रजातियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)

स्थानः.....

तारीखः..... आवेदक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि –

वन रेंज अधिकारी .....

प्ररूप–उन्नीस

(नियम 100 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय उपखंड अधिकारी ..... के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

सूचना

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अधीन)

प्रति,

कुमारी / श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री / पत्नि .....

निवासी .....ग्राम / नगर / तहसील ..... जिला .....

क्योंकि आप तहसील ..... के तहरीलदार के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... की उद्यत अवज्ञा में, उक्त आदेश के दिनांक के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक निम्नलिखित विवरण वाली भूमि पर अप्राधिकृत दखल / कब्जा चालू रखे हुए हैं, अर्थात्:–

1. सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू–खंड संख्यांक .....
2. क्षेत्रफल ..... (हैक्टर में)
3. ग्राम / नगर .....
4. पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक .....
5. तहसील .....

अतएव, आपसे एतद्द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक ..... 20 ..... को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण दर्शाएँ कि उक्त भूमि का अप्राधिकृत दखल / कब्जा खाली न करने के लिए आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न किया जाए।

आज दिनांक ..... 20 ..... को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त।

मुद्रा

दिनांक

उपखंड अधिकारी

उपखंड .....

जिला .....

प्ररूप–बीस

(नियम 101 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय उपखंड अधिकारी .....के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....आवेदक

विरूद्ध

.....अनावेदक

गिरफ्तारी का वारंट

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अधीन)

प्रति,

.....

.....

क्योंकि ..... (वारंटी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... (पूरा पता) ने मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार.....तहसील..... जिला.....द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद भी निम्नलिखित भूमि में अप्राधिकृत दखल/कब्जा बनाए रखा है तथा चालू रखा है, अर्थात्–

1. सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक .....
2. क्षेत्रफल ..... (हेक्टयर में) .....
3. ग्राम/नगर .....
4. पटवारी हल्का/सेक्टर क्रमांक .....
5. तहसील .....

और क्योंकि ..... (वारंटी का नाम) से सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की तथा यह कारण दर्शाने की अपेक्षा की गई थी कि उक्त भूमि को खाली किए जाने में असफल रहने के कारण उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

और क्योंकि उक्त ..... उपरोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा है और अप्राधिकृत दखल/कब्जा भी बनाए/चालू रखे हुए हैं;

अतएव, आपको उक्त ..... (वारंटी का नाम) को यदि जब तक वह ऐसी भूमि से अप्राधिकृत दखल/कब्जा नहीं हटा लेता है तो उसे गिरफ्तार करने तथा समस्त सुविधानुसार शीघ्रता से इस न्यायालय के समक्ष लाए जाने के लिए आदेशित किया जाता है;

आपको यह वारंट दिनांक ..... 20 ..... को या उसके पूर्व इस पृष्ठांकन सहित, जिसमें उस दिनांक का जिसको और उस रीति का जिसमें इसका निष्पादन हुआ या इसका क्यों निष्पादन नहीं हुआ, प्रमाणन हो, वापस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक ..... 20 ..... को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

मुद्रा

दिनांक

उपखंड अधिकारी

उपखंड .....

जिला .....

प्ररूप–इक्कीस

(नियम 103 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय उपखंड अधिकारी .....के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

जेल सुपुर्द करने का वारंट

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अधीन)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी जेल .....

.....

क्योंकि, श्री ..... तहसील ..... के तहसीलदार के मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की तारीख के पश्चात् सात दिन से अधिक दिनों तक निम्नलिखित भूमि पर अप्राधिकृत दखल/कब्जा चालू रखे हुए हैं, अर्थात्:–

1. सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खंड संख्यांक .....
2. क्षेत्रफल ..... (हेक्टर में) .....
3. ग्राम/नगर .....
4. पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक .....
5. तहसील .....

और क्योंकि, ... से सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा इस न्यायालय को दिनांक ..... के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी;

और क्योंकि, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर वह इस न्यायालय का यह समाधान नहीं कर सका है कि इस कारण से उन्हें सिविल कारागार को सुपुर्द क्यों न किया जाना चाहिए;

अतएव, आपको एतद्द्वारा समादेश दिया जाता है और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त .....को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उसे वहाँ दिनांक .....से दिनांक ..... तक ..... दिनों की कालावधि के लिए (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) कारावासित रखें।

आज दिनांक .....20..... को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त।

मुद्रा

दिनांक

उपखंड अधिकारी

.....उपखंड

जिला .....

प्ररूप–बाईस

(नियम 105 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय उपखंड अधिकारी ..... के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

निर्मुक्ति का आदेश

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 की उपधारा (2–ए) के अधीन)

प्रति,

भारसाधक अधिकारी, जेल.....

आज पारित आदेशों के अधीन एतद्द्वारा आपको यह निदेश दिया जाता है कि आज..... को, जो इस समय आपकी अभिरक्षा में है, जब तक कि वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध रखे जाने के दायित्वाधीन न हो, मुक्त कर दें।

आज दिनांक .....20..... को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा लगा कर प्रदत्त।

मुद्रा
दिनांक

उपखंड अधिकारी
उपखंड .....
जिला .....

प्ररूप–तेईस

(नियम 116 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

खाते की चकबंदी के लिए आवेदन का प्ररूप

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 206 के अधीन)

सेवा में,

श्री चकबंदी अधिकारी

जिला .....,

मध्यप्रदेश

महोदय,

हम, नीचे हस्ताक्षर करने–वाले ग्राम .....बंदोबस्त कमांक..... पटवारी हल्का कमांक..... तहसील.....जिला.....के भूमिस्वामी आवेदन करते हैं कि हमारे उक्त ग्राम .....में स्थित निम्न अनुसूची में वर्णित खातों की चकबंदी की जाए।

हम अपने द्वारा परस्पर सहमत चकबंदी की स्कीम परीक्षण के हेतु एतद्द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

अनुसूची

सरल कमांक	भूमिस्वामी का नाम माता, पिता/पति का नाम एवं निवास स्थान सहित	खाता क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपयों में)	विल्लंगम एवं दायित्व (यदि कोई हों)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

दिनांक .....

आवेदकों के हस्ताक्षर

टिप्पणी– संयुक्त खाते के प्रसंग में जहां सह–भागीदार हितों में अविभाजित है तथा सहभागी है अथवा संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं, परिवार के प्रबंधक या कर्ता के हस्ताक्षर खाते के सभी सहभागियों की ओर से हस्ताक्षर समझे जाएंगे।

प्ररूप–चौबीस

(नियम 117 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय चकबंदी अधिकारी ..... के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

उद्घोषणा

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 211 के अधीन)

क्योंकि मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के अध्याय सोलह के अंतर्गत खातों की चकबंदी के लिए ग्राम.....बंदोबस्त कमांक.....पटवारी हल्का कमांक.....तहसील.....जिला.....के कतिपय भूमिस्वामियों से एक आवेदन प्राप्त हुआ है, उक्त ग्राम के समस्त भूमिस्वामियों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है के नीचे हस्ताक्षर करने वाला उक्त आवेदन का उक्त/पड़ोस के गांव..... में..... दिनांक.....को ..... बजे परीक्षण करेगा। कोई भी व्यक्ति जिसे कोई आपत्ति उठाना हो अथवा प्रस्तुत करना हो वह उस समय कर सकता है।

मुद्रा

चकबंदी अधिकारी

दिनांक.....20.....

.....

प्ररूप–पच्चीस

(नियम 117 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

न्यायालय चकबंदी अधिकारी ..... के समक्ष .....

प्रकरण कमांक.....

सूचना

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 211 के अधीन)

प्रति,

.....

.....

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम .....बंदोबस्त कमांक..... पटवारी हल्का कमांक.....तहसील.....जिला..... में स्थित खातों की चकबंदी के आवेदन का जो आपने अन्यों के साथ दिनांक ..... को प्रस्तुत किया है, नीचे हस्ताक्षर करने वाला उक्त/पड़ोस के ग्राम .....में दिनांक ..... को .....बजे किन्हीं आपत्तियों के साथ जो किसी हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा उठाई गई हों, परीक्षण किया जाएगा।

चकबंदी अधिकारी

मुद्रा

दिनांक.....20.....

.....

प्ररूप–छब्बीस

(नियम 124 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

हैसियत खसरा

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 209 के अधीन)

ग्राम का नाम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... जिला .....

सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमिस्वामी का नाम	क्षेत्रफल का स्थानीय नाम हार अथवा खार
(1)	(2)	(3)	(4)

हैसियत				बंदोबस्त अभिलेख के अनुसार मिट्टियां तथा स्थितियां	प्रस्तावित नए भूमिस्वामी का नाम
चावल का खेत	भर्री	भाटा	बाड़ी कोठार		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप – सत्ताईस

(नियम 124 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

खेतों के मूल्यांकन की स्वीकृति

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 209 के अधीन)

मैं ग्राम के हैसियत खसरा में प्रविष्ट हुए अनुसार अपने खेतों का मूल्यांकन स्वीकार करता हूँ :–

खाता क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम, माता, पिता/पति का नाम और निवास स्थान	भूमिस्वामी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)

प्ररूप – अट्ठाईस

(नियम 128 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

अस्थायी चकबंदी के अधिकार अभिलेख का प्ररूप

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 209 के अधीन)

ग्राम के अधिकार–अभिलेख की चकबंदी .....

पटवारी हल्का क्र. .....तहसील.....जिला.....

खाता कमांक	भूमिस्वामी का नाम माता / पिता / पति का नाम तथा निवास स्थान, भू–राजस्व सहित	वर्ष ..... के अधिकार अभिलेख के अनुसार				
		सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार मिटटी तथा स्थितियां	खेती के मानकों के अनुसार प्रत्येक खेत का वर्गीकरण	मूल्यांकन (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

चकबंदी के अनुसार				
सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	कॉलम (5) के दिए गए प्रत्येक संख्यांक की मिट्टी तथा स्थितियां	कॉलम (6) में अंकित प्रत्येक खेत का वर्गीकरण	मूल्यांकन (रुपयों में)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				रू.

चकबंदी के अनुसार पुनरीक्षित सर्वेक्षण संख्यांक	प्रत्येक नये सर्वेक्षण संख्यांक का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
(13)	(14)	(15)

टिप्पणी :– (1) कॉलम (3) तथा (4) की प्रविष्टियों के अंत में प्रत्येक भूमिस्वामी के कब्जे में का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया जाना चाहिए।

(2) कॉलम (2) में भूमिस्वामी का नाम जमाबंदी के क्रम में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

(3) कॉलम (13) तथा (14) संपूर्ण ग्राम में खातों की चकबंदी का कार्य समाप्त हो जाने पर भरे जाएँगे।

प्ररूप – उनतीस

(नियम 133 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

चकबंदी स्कीम की सहमति

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 209 के अधीन)

मैं..... पुत्र / पुत्री / पत्नि ..... निवासी .....पटवारी हल्का कमांक .....तहसील .....जिला .....एतद्द्वारा निम्न तालिका में निर्दिष्ट खेतों का, मेरे द्वारा वर्तमान में धारित खेतों के स्थान पर आबंटन स्वीकार करता हूँ।

सरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
(2)		
(3)		
(4)		

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :–(1) इस प्ररूप में कोई संशोधन नहीं किया जाए, न उस पर उपलेखन किया जाए। यदि संशोधन होना आवश्यक पाए जाए तो समस्त प्रविष्टियां पुनः लिखी जाना चाहिए तथा नए हस्ताक्षर लिए जाएँ। सारिणी में अंतिम प्रविष्टि के ठीक नीचे ही हस्ताक्षर होना चाहिए।

(2) संयुक्त खाते के प्रसंग में जहाँ हिस्सेदार हितों में अविभाजित हैं तथा संयुक्त हिंदू परिवार के सहभागी अथवा सदस्य हैं, वहां परिवार के प्रबंधक या कर्ता के हस्ताक्षर खाते में समस्त हिस्सेदारों द्वारा स्कीम की स्वीकृति समझे जाएंगे।

प्ररूप – तीस

(नियम 133 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

अधिकार–अभिलेख के सारांश

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 211 के अधीन)

ग्राम ..... पटवारी हल्का कमांक .....तहसील.....जिला.....वर्ष.....

सरल कमांक	भूमिस्वामी का नाम	पटवारी के अधिकार अभिलेख के अनुसार			अभ्युक्तियां
		सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपयों में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

चकबंदी के अधिकार अभिलेख के अनुसार			
सर्वेक्षण संख्यांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू–राजस्व (रुपयों में)	अभ्युक्तियां
(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप – इकतीस

(नियम 134 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

चकबंदी अधिकारी के न्यायालय के समक्ष.....

उद्घोषणा

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 211 के अधीन)

क्योंकि ग्राम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... जिला ..... में खातों की चकबंदी की स्कीम कलक्टर के ..... आदेशानुसार दिनांक ..... को पुष्ट कर दी गई है, चकबंदी की स्कीम से प्रभावित सभी भूमिस्वामियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे स्कीम के अंतर्गत उनको आबंटित खातों के कब्जे के लिए दिनांक ..... से स्वत्वाधिकारी है और नीचे हस्ताक्षर करने वाला, यदि आवश्यक हो, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 212 के अधीन वारंट द्वारा उन्हें उन खातों का कब्जा दिलाने के लिए, जिनके वे स्वत्वधिकारी हैं, कार्यवाही करेगा।

मुद्रा

दिनांक ..... 20.....

चकबंदी अधिकारी

.....

प्ररूप – बत्तीस

(नियम 139 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020

चकबंदी स्कीम के क्रियान्वयन के खर्च की वसूली की सूची

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 215 के अधीन)

ग्राम ..... पटवारी हल्का क्रमांक ..... तहसील ..... जिला .....

खाता का क्रमांक	खाते का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमिस्वामी का नाम, माता / पिता / पति का नाम और निवास स्थान	प्रति हेक्टेयर चकबंदी के खर्च की दर (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)

चकबंदी खर्च के कारण संपूर्ण माँग (रुपयों में)	माँग का किस्तों में विनियोग		अभ्युक्तियाँ
	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	
(5)	(6)	(7)	(8)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2020

क्र. एफ–2–6–2020–सात–शा–7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–6–2020–सात–शा–7, दिनांक 3 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

No. F-2-6-2020-VII-Se-7.- Bhopal, the 3rd November 2020

In exercise of the powers conferred by clause (xxxviii), (xxxix), (xl), (xlii), (xlv), (lii), (liii), (lv), (lx), (lxi), (lxii), (lxv), and (lxvi) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with section 161, 165, 166, 170, 173, 176, 179, 221, 222, 223, 226, 228, 230, 239, 240, 241, 248, 249 and section 251 of the said Code, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 and clause (l) of sub-section (2 B) of section 258 of the said Code and in supersession of this Department's Rules made by Notification No. 196-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960, Notification No. 197-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960, Notification No. 198-6477-VII-N(Rules), dated, the 6th January, 1960, Notification No. 388-CR-532-VII-N-(Rules), dated 11th January, 1960, Notification No. 200-6477-VII-N(rules), dated the 6th January, 1960, Notification No. 208-6477-VII-N(Rules),dated 6th January, 1960, Notification No.11343-VII-N (Rules) dated the 1st October, 1959, Notification No. 209-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960, Notification No. 210-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960, Notification No. 211-6477-VII-N(Rules), dated, 6th January, 1960, Notification No. 212-6477-VII-N (Rules) dated 6th January, 1960, Notification No. 216-6477-VII-N(Rules), dated the 6th January 1960, Notification No. F 2-39-04-VII-S-6, dated 26th November, 2007, Notification No. 5262-3472-VII-N-I, dated the 28th September, 1964, Notification. No. F.-2-39-04-VII-S-6, dated 26th November, 2007, Notification No. F-6-2-VII-N-I, dated, 13th December, 1976, Notification No. 221-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960, Notification No. 223-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 and Notification No. 367 dated 26th February, 1960, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 25th September, 2020, namely :-

RULES

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Chapter - I

Title and Definitions

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(3) These rules contain the following provisions:-

(a) Regulation of relinquishment of rights by a Bhumiswami under Section 173.

(b) Prescription of the terms and conditions on which a person may be put in possession for an abandoned holding under sub-section (2) of Section 176.

(c) The regulation of assessment of increase and reduction in land revenue required or permitted under chapter XV of the Code.

(d) Prescription of the ceiling limits of land to be transferred under Section 165 and prescription of the manner in which land forfeited under Section 166 shall be selected and demarcated and land revenue fixed on land left with transferee.

(e) Regulation of the procedure in disposing of claims to be placed in possession of a holding under section 170.

(f) Licensing of petition-writers and regulation of their conduct under clause (l) of sub-section (2-B) of Section 258.

(g) Regulation of appointment of Patel under sub-section (1) of Section 222, the manner of distribution of duties of the office of Patel where there are two or more Patels in a village, fixation of remuneration of Patel under Section 223, his removal from office under Section 226 and appointment of a substitute patel under Section 228.

(h) Appointment, punishment, suspension and dismissal of Kotwar and the prescription of the duties and mode of supervision of Kotwar under Section 230.

(i) Guidance to Revenue Officers with regard to disposal of applications for purchase of right in trees under sub-section (2) of Section 179.

(j) Manner for calculation of compensation under sub-section (6) of Section 239.

(k) Regulation of cutting of trees under sub-section (1) of Section 240 and of control, management, felling or removal of forest growth under sub-section (3) of Section 240.

(l) Prescription of the manner of proclaiming an order published under sub-section (1) of Section 241 and regulation of the felling or removal of trees thereunder to prevent theft of timber from Government forests.

(m) Procedure for apprehending and sending a person to civil imprisonment for continuing in unauthorised occupation or possession of land under sub-section 2-A of Section 248.

(n) Regulation of fishing, catching, hunting or shooting of animals in villages and removal of any materials from land belonging to the State Government under Section 249.

(o) Regulation of the use of water from tanks under sub-section (6) of Section 251.

(p) Carrying into effect the provisions for consolidation of holdings under Section 221.

2. Definitions- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "Form" means the form appended to these rules;

(c) "Gram Panchayat" or "Gram Sabha" means respectively the Gram Panchayat or Gram Sabha constituted under the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhinium, 1993 (No. 1 of 1994);

(d) "Schedule" means the schedule appended to these Rules;

(e) "Section" means the section of the Code;

(f) "Tahsildar" includes an Additional Tahsildar and a Naib Tahsildar; and

(g) "Urban local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad or Special Area Development Authority established under the corresponding law for the time being in force.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

Chapter - II

Relinquishment, abandonment, alluvion and diluvion

Part - A

Relinquishment of rights by a Bhumiswami

(Section 173)

3. Notice of relinquishment.- The notice of relinquishment to be given by the Bhumiswami to Tahsildar under Section 173 shall be in **Form II** and shall be endorsed by two witnesses.

4. Tahsildar to pass order on the notice of relinquishment.- (1) The Tahsildar shall, after such enquiry as may be necessary, either accept such relinquishment or reject the notice recording the reasons therefor.

(2) In case the relinquishment is accepted the Tahsildar shall cause the land to be recorded as unoccupied land in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh BhuRajasva Sanhita (Dakhalrahit Bhumi, Abadi TathaWajib-ul-arz) Niyam, 2020.

(3) In case of relinquishmcnt of only a part of a holding the reassessment of the holding shall be done as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka NirdharanTathaPunarnirdharn) Niyam, 2018.

(4) The order passed by the Tahsildar shall be in **Form II**. A copy of the order shall be given to the Bhumiswami concerned and another copy shall be sent to the Patwari or Nagar sarvekshak, as the case may be who shall take necessary action for updating the entries in the relevant land records.

(5) If the Tahsildar is of the opinion that the land should be set apart for exercise of Nistar rights under Section 237 or for a public purpose under Section 233-A he shall send a copy of the order to the Sub-Divisional Officer along with his recommendation who shall submit it to the Collector with his report.

5. Setting apart the relinquished land for Nistar or public purpose.– On receipt of the report under sub-rule (5) of rule 4 the Collector may cause the land to be set apart for exercise of Nistar rights under Section 237 or for a public purpose under Section 233-A in accordance with the provisions of the

Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Dakhalrahit Bhumi, Abadi TathaWajib-ul-arz) Niyam, 2020.

Part -B

Terms and conditions on which a person may be put in possession of an abandoned holding

[Section 176 (2)]

6. Terms and conditions for restoration of abandoned holding.- When a Bhumiswami or any other person who is entitled for the abandoned land, claims the same under sub-section (2) of Section 176, the land shall be restored to him subject to the following terms and conditions, namely:-

(a) that he has paid before a specified date, the arrears of land revenue and other outstanding dues, if any, in respect of the holdings;

Explanation- Amount or amounts received from person or persons to whom the land was let out under sub-section (1) of Section 176 shall be set-off against the arrears of land revenue.

(b) that he shall not disturb the possession of the person to who was let out the land by the Tahsildar under sub-section (1) of Section 176 and shall allow him to tend, reap and remove crop standing on the date of the order of restoration;

(c) that he shall take possession of the land from the commencement of the agriculture year next following the date of order; and

(d) that he is agree to cultivate the land personally.

Part - C

Reassessment of holding due to alluvion and diluvion

(Section 204)

7. Report of alluvion and diluvion.- (1) It shall be the duty of the Patwari or Nagar Sarvekshak, as the case may be, to submit a report, together with a plan, of any change in the area of a holding in excess of half hectare, caused by alluvion or diluvion.

(2) The report of the Patwari shall be submitted through Revenue Inspector and Tahsildar to Sub-Divisional Officer. The report of the Nagar Sarvekshak shall be submitted through Tahsildar to Sub-Divisional Officer.

(3) While making a report under sub-rule (1) it shall be the duty of the Patwari or Nagar Sarvekshak to enquire whether there is a corresponding change in some other holding or unoccupied land and he shall report the result of the enquiry to the Sub-Divisional Officer in the manner prescribed in sub-rule (2). If the change in area affects land in another village or urban area, the Patwari or Nagar Sarvekshak shall also inform the Patwari or Nagar Sarvekshak of that village or urban area as the case may be.

8. Re-assessment of holding.- A holding whose area is changed in excess of half hectare by alluvion or diluvion the same shall be re-assessed by the Sub-Divisional Officer as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka NirdharanTathaPunarnirdharn) Niyam, 2018.

Chapter - III

Transfer of interest in land in contravention of the provisions of Section 165(4) and Section 170

Part - A

Forfeiture of land in excess of ceiling limit

(Section 165 and 166)

9. Ceiling limit.- For the purpose of clause (a) of sub-section (4) of Section 165 the ceiling limit shall be the maximum area of land which a holder is entitled to hold under The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960).

10. Notice to transferee.- (1) As soon as it comes to the notice of the Sub-Divisional Officer that a transfer of land is made in contravention of the provisions of clause (a) of sub-section (4) of Section 165, he shall serve a notice to such transferee to select so much of the land as is in excess of the prescribed ceiling limit within a period of ninety days from the date of receipt of such notice.

(2) If the transferee fails to make the selection the Sub-Divisional Officer shall himself make the selection having regard, as far as possible, to continuity and compactness of the area.

11. Entire survey numbers to be selected.- While making selection, entire survey numbers shall be selected over the ceiling limit. Sub-division of a survey number shall only be taken recourse to in not more than one survey number to make up the ceiling area.

12. Demarcation of selected area.- (1) On receipt of the list of selected fields by the Sub- Divisional Officer or after the selection of the fields by the Sub-Divisional Officer himself, as the case may be, the Sub-Divisional Officer shall send in **Form III**, a list of such survey numbers to the Patwari of the village or Nagar Sarvekshak of the sector as the case may be, directing him to demarcate these within one month.

(2) The Patwari or Nagar Sarvekshak shall demarcate the selected fields on a date or dates of which prior intimation shall be given to the transferee. After the demarcation has been done, the Patwari or Nagar Sarvekshak shall report compliance to the Sub-Divisional Officer.

13. Re-assessment of transferee's holding.-The land revenue assessed on the holding left with transferee after the forfeiture shall be re-assessed by the Sub-Divisional Officer as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka NirdharanTathaPunarnirdharn) Niyam, 2018.

Part - B

Procedure in disposing of claims to be placed in possession of a holding under Section 170

(Section 170)

14. Application for possession.- An application under sub-section (1) of Section 170 shall be accompanied by an extract of relevant entry from latest Jamabandi or Record-of-Rights and a copy of the deed or document under which possession is alleged to have been transferred.

15. Notice to transferor.- On receipt of the application the Sub-Divisional Officer shall cause notices to be served in **Form IV** on the transferor (if he is not the applicant) and to the transferee, calling upon them to show cause why the transfer should not be set aside.

16. Enquiry by Sub-Divisional Officer.- On the date fixed for hearing or any date to which the hearing may be adjourned, the Sub-Divisional Officer shall examine the parties and after recording the statements of any witness whom they may produce, and making such enquiry as he may considers necessary, shall record a finding whether or not the transfer was in accordance with sub-section (4) or (6) of Section 165, as the case may be and if the transfer was in accordance with sub-section (4) or (6) of Section 165, the application shall be rejected.

17. Notice to the claimants and creditors and proclamation.- (1) If the Sub-Divisional Officer records finding that the transfer was not in accordance with sub-section (4) or (6) of Section 165, he shall adjourn the proceedings for not less than 6 weeks and cause notices to be served in **Form V to such persons-**

(a) who prima facie have a right equal or prior to that of the applicant; and

(b) whom the transferor may appear to be indebted for any dues which form a charge on the land.

(2) The Sub-Divisional Officer shall at the same time cause a proclamation to be issued. The proclamation shall be in **Form VI**, and shall be published in the that village or urban area where the land was cultivated.

(3) The Sub-Divisional Officer shall at the same time ask the Tahsildar to submit a statement of State Government's claim regarding arrears of land revenue and other dues which form a charge on the land.

18. Time limit to put forward claims and objections.- No claim for being placed in possession or on account of any dues which form charge on the land shall be considered unless it is put forward on or before the date specified in the notices and the proclamation issued under Rule 17.

19. Sub-Divisional Officer to decide claims and objections.- (1) On the date fixed in the notices and proclamation issued under Rule 17 or any date to which the hearing may be adjourned, the Sub-Divisional Officer shall consider the objections to the applicant's claim for being placed in possession of the land, and shall record his findings.

(2) If the finding is to the effect that the applicant or any other person is entitled to be placed in possession of the land, the Sub-Divisional Officer shall prepare a statement of arrears of land revenue or any other dues forming charges on the land in **Form VII** and hand it over to such person who shall make a statement, in **Form VIII**, as to his acceptance of the liability for the same.

20. Sub-Divisional Officer to order possession.- If the applicant or such person agrees to pay the arrears or dues mentioned in **Form VII** the Sub-Divisional Officer shall proceed to order the award of possession to him. If the person held entitled to possession does not agree to pay such arrears the case shall be filed.

21. Correction of entries in land records.- A copy of the order passed under Rule 20 shall be sent to the Tahsildar who shall direct the Patwari or Nagar Sarvekshak of the village or urban area to take necessary action for correcting entries in the land records of the village or urban area.

Chapter - IV

Petition-writer

[Clause (l) of sub-section (2-B) of Section 258]

22. Definitions for Chapter-IV.- In this chapter-

(a) "Licence" means a licence granted under the provisions of this chapter;

(b) "Licensing Authority" means the Collector of the district in which the applicant desires to practice as a petition-writer;

(c) "Petition" means a document written for the purpose of being presented to a Revenue Court or a Revenue Officer and includes a petition of appeal or revision or review;

(d) "Petition-writer" means a person licensed under these rulcs to write petitions;

(e) "To practice as a petition-writer" means to write petitions for hire and includes the writing of a single petition for hire; and

(f) A petition-writer is said "to practice before a Revenue Court or Revenue Officer" when he writes petitions for the purpose of being presented to that court or officer.

23. Petition-writer to require licence.- No person shall practice as petition-writer unless he has been granted licensed under these rules:

Provided that-

(a) any person granted license under any rule hitherto in force shall be deemed to have been granted license under these rules; and

(b) a legal practitioner or his clerk shall not be considered to practice as a petition-writer, in respect of any petition written by the legal practitioner or by his clerk on his behalf for presentation to a Revenue Court or Revenue Officer before whom the legal practitioner is qualified to practice:

Provided further that when the petition is written by a clerk it shall be signed by his employer.

24. Licensing Authority to fix number of licences.- The numbers of licences to be granted under these rules shall be in accordance with the scale fixed by the Licensing Authority from time to time. No licences shall be granted in excess of the scale so fixed.

25. Application Form for licence.- An application for a licence shall be made in **Form IX.** It shall be presented in person by the applicant to the Licensing Authority.

26. Disqualifications for licence.- No person shall be granted a license if,-

(a) he is a government servant;

(b) he is an employee of any legal practitioner.

27. Granting of licence.- (1) Subject to Rule 26 of these rules the Licensing Authority may, in its discretion on being satisfied that the applicant-

(a) has attained eighteen years of age;

(b) has passed Higher Secondary School Certificate examination;

(c) has a legible handwriting;

(d) has adequate computer word processing skills; and

(e) is able to take clear thumb and finger impressions;

grant the applicant a licence in **Form X.**

(2) While granting the licence under sub-rule (1), preference shall be given to those applicants who possess computer and accessories.

28. Grant of permanent licence.- (1) A licence shall be granted in the first instance for a period of one year from the date of its issuance.

(2) On the expiration of the period of one year, if the licensing Authority is satisfied that the petition-writer-

(a) is able to draw up in a legible hand or type a clear and concise petition in the official language of the place where he practices; and

(b) is acquainted with the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,

2013 (30 of 2013), the Court-fees Act, 1870 (VII of 1870), and the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), so far as knowledge of these Acts is necessary for the efficient performance of the duties of a petition-writer;

he may grant a permanent licence. The word "Permanent" shall be inscribed on the licence, and the Licencing Authority shall initial it.

(3) If the petition-writer fails to satisfy the Licensing Authority as provided in sub-rule (2) the Licensing Authority may extend the period of his licence by a further period of one year and on his failure to account satisfactorily at the end of the second year may refuse to make it permanent.

29. Issue of Duplicate licence.- If a licence is lost, destroyed, defaced, torn or becomes illegible, the licensee shall forthwith apply to the Licensing Authority for the grant of a duplicate licence. Every such duplicate licence shall be stamped "DUPLICATE".

30. Register of petition-writers.- The Licensing Authority shall maintain a Register of petition-writers in **Form XI**. A page or pages of the register shall be set apart for each petition-writer.

31. Register of petitions.- Every petition-writer shall maintain a Register of petitions in **Form XII** and shall enter therein every petition written by him and shall produce the register for the inspection of any Revenue Officer, when required to do so.

32. Official seal of petition-writer.- Every petition-writer shall, at his own expense, provide himself with an official seal of the following pattern: -

Revenue Petition-writer

Name.....

Licence No.....

District.....

33. Petitions to be prepared in plain and simple language.- Every petition-writer, in writing petitions, shall confine himself to expressing in plain and simple language such as the petitioner can understand and in a concise and proper form the statements and objects of the petitioner and shall not introduce

any argument or quotation from a law report or other law book or refer to any decision not brought to his notice by the petitioner.

34. Re-writing petition on orders of Revenue Officer.- Any Revenue Officer may order a petition-writer to re-write without extra remuneration any petition written by him which contravenes Rule 33 or is illegible, obscure or prolix or contains any irrelevant matter or misquotation or is, for any other reason, in the opinion of such officer informal or otherwise objectionable. When so ordered it shall be mandatory for the petition-writer to re-write, at his own cost, such petition.

35. Fee to be charged by petition-writer.- (1) Every petition-writer shall charge a fee of not more than Rupees ten for the first page and Rupees five for each subsequent page of the petition and shall note in the petition and also in the appropriate columns of Register of petitions the amount actually received by him:

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Collector may, from time to time, revise the fees which may be charged by the petition-writers in his district.

(3) No petition-writer shall receive payment for his services by an interest in the result of any litigation in connection with which he is employed, nor shall fund or contribute towards the funds employed in carrying on any litigation in which he is not otherwise personally interested.

(4) Every petition-writer shall give to the petitioner a receipt for the amount received by him specifying exactly what the money was received for, e.g. writing fees or costs and if for costs, for what cost, e.g., case fees, etc. The details shall be set out separately either in the receipt itself or on a separate piece of paper attached to it.

36. Petition-writer not to accept Mukhtyarnama.- No petition-writer shall accept any Mukhtyarnama whether general or special for the conduct of any case before a Revenue Court or Revenue Officer other than a case in which he himself is a party.

37. Surrender of licence.- Every petition-writer-

(a) who ceases to practice as a petition-writer;

(b) who enters the service of Government or of a legal practitioner; or

(c) whose licence is cancelled;

shall forthwith surrender his licence to the Licensing Authority.

38. Finger print appliances.- Every petition-writer shall, at his own expense, provide himself with a complete set of appliances for obtaining clear thumb and finger impression.

39. Returning of excess fee charged.- Any Revenue Officer who, on the representation of any person employing a petition-writer and after hearing such petition-writer (if he desires to be so heard) finds that the fee charged for writing a petition presented to him was excessive, may by order in writing, reduce the same to such sum as appears to him, under the circumstances, reasonable and proper under Rule 35 and may require the petition-writer to refund the amount received in excess of such sum.

40. Suspension and cancellation of licence.- The Licensing Authority may suspend or cancel the licence of a petition-writer who-

(a) does not carry out, within a reasonable time the order of a Revenue Officer made under Rule 34 or 39;

(b) habitually writes petitions contrary to Rule 33 or writes irrelevant or unnecessary or informal or otherwise objectionable matters therein;

(c) in the course of his business as a petition-writer uses disrespectful, insulting or abusive language;

(d) is found to be incapable of efficiently discharging the function of a petition-writer;

(e) by reasons of any fraudulent or improper conduct in the discharge of his duty as petition-writer is found to be unfit to practice as such;

(f) is convicted of a criminal offence; or

(g) habitually remains absent during court hours or is absent from his residence for considerable period without sufficient cause:

Provided that no order under this rule shall be passed by the Licensing Authority until the person or petition-writer in fault has been given an opportunity of defending himself.

Chapter - V

Village Officers

Part - A

Appointment, remuneration, removal and punishment of Patel

(Section 222, 223, 226 and 228)

41. Disqualifications for appointment as Patel.- No person shall be eligible for the office of Patel, if he-

(i) is less than 21 years of age;

(ii) is not recorded as a Bhumiswami in the land records of the village concerned;

(iii) in the case of an appointment of Patel-

(a) for a village, is not residing permanently if it is an inhabited village.

(b) for a group of villages, is not residing permanently in one of such villages;

(iv) is an undischarged insolvent;

(v) is unfit by reason of his financial position;

(vi) has been removed from the office of Patel previously;

(vii) is convicted of an offence involving moral turpitude or an offence against women or an offence involving activities subversive of the State, such conviction not having been reversed in appeal or revision;

(viii) is of bad character;

(ix) is mentally or physically unfit to perform the duties of Patel effectively;

(x) has not passed the Higher Secondary School Certificate Examination; or

(xi) is or has been a willful defaulter in the payment of land revenue or other public duties.

42. Appointing authority of Patel.- When a vacancy of Patel has to be filled in any village, the Collector shall appoint one or more qualified persons as Patel or Patels as the case may be, in accordance with the rules hereinafter contained.

43. Procedure of appointment of Patel.- (1) On the occurrence of a vacancy in the office of Patel, the Gram Sabha in whose area the post of Patel is vacant, shall pass a resolution recommending the name of a person who does not suffer from any of the disqualifications specified in Rule 41 and whom it considers suitable for appointment as Patel and send the resolution to the Tahsildar.

(2) In case the Tahsildar finds that such person suffers from any of the disqualifications specified in Rule 41, he shall reject the resolution after recording the reasons in writing and intimate the Gram Sabha and call for a fresh proposal. Otherwise he shall make such enquiry as he thinks fits regarding the suitability of the person whose name has been recommended by the Gram Sabha and send his report to the Collector.

(3) On receipt of the report under sub-rule (2), the Collector shall either select the person recommended by the Gram Sabha for appointment as Patel or for reasons to be recorded in writing reject the recommendation of the Gram Sabha and ask it to make a fresh recommendation.

(4) In a case where Patel is to be appointed for a group of villages, the procedure of sub-rules (1) and (2) shall be followed for all Gram Sabhas of the concerned villages. After taking into consideration the recommendations made by all Gram Sabhas the Collector shall, either select a person recommended by any one of the Gram Sabha or may, for reasons to be recorded in writing, reject all recommendations and ask the Gram Sabhas to make fresh recommendations.

44. Selected person to execute bond.- Every person selected for appointment as Patel by the Collector shall, unless specially exempted by him, execute a bond for an amount of Rupees five thousand with one surety in **Form XIII** within 15 days from the date of intimation to him of his selection, before his appointment is made.

45. Patel to execute agreement on appointment.- On the appointment every Patel shall execute an agreement in **Form XIV** within 30 days of appointment, failing which the Collector may cancel the appointment.

46. Temporary filling of vacancy.- Pending the appointment of a Patel in accordance with these rules, the Collector may fill the vacancy temporarily by nomination.

47. Temporary Patel to execute bond and agreement.- A person temporarily appointed under Rule 46 shall also be required to execute the bond with one surety in **Form XIII** and the agreement in **Form XIV**.

48. Work distribution when more than one Patel appointed.- In cases, where there are two or more Patels in a village, the Collector may distribute among them the duties of the office of Patel with due regard to-

(i) the capacities of the persons concerned;

(ii) the effective discharge of duties; and

(iii) the general security, well being and progress of the village community.

49. Remuneration of Patel.- Patel shall be paid remuneration at such rates as may be fixed by the State Government from time to time:

Provided that until such rates are fixed by the State Government, the remuneration shall be paid at the rates prevailing at the time of coming into force of these Rules.

50. Removal of Patel.- (1) Without prejudice to the generality of the power of the Collector to remove a Patel at any time, a Patel may be removed, from his office by the Collector on his own motion or on report on any of the following grounds-

(a) that he is of bad character;

(b) that he is unfit through infirmity of body or mind to perform the duties of the post;

(c) that he has been adjudged insolvent by a competent court, or has been convicted of an offence involving activities subversive of the state or moral turpitude or offence against women;

(d) disobedience of orders or neglect of duty;

(e) willful breach of any rule or incompetency or for any other cause which may be considered just and sufficient;

(f) that if he is Patel-

(i) for a village, he has ceased to reside permanently in such village, if it is an inhabited village;

(ii) for a group of villages, he has ceased to reside permanently in one of such villages;

(g) failure to live permanently in the village or in one of the villages for which he is appointed a Patel.

(2) No Patel shall be removed until he has had an opportunity of showing cause against such removal.

51. Suspension of Patel.- If for the purpose of enquiring into the advisability of the removal of a Patel under sub-rule (1) of Rule 50, it is considered necessary to put him under suspension, the Collector may do so by an order in that behalf.

52. Payment of remuneration for suspension period.- If the Collector after such enquiry holds that the Patel shall not be removed the Patel shall be paid by way of remuneration such amount not exceeding the amount that he would have earned as remuneration but for his suspension, as may be specified by the Collector in that behalf.

53. Termination of services of Patel.- The Collector may, at any time, terminate the services of a Patel without assigning any reason after giving him one month's notice.

54. Resignation by Patel.- A Patel may resign his office by giving one month's previous notice to the Tahsildar which shall be forwarded to the Collector for necessary action alongwith his comments.

55. Appointment of substitute Patel.- While making an appointment of a substitute Patel under Section 228, the Collector shall select a person who does not possess any of the disqualifications specified in Rule 41 and who is likely to be acceptable to the villagers. He may also take into account the wishes of the existing incumbent.

Part - B

Appointment, duties, punishment, suspension and dismissal of Kotwar

(Section 230)

56. Number of Kotwars in a village.- (1) The number of Kotwars who shall hold office in any village shall be equal to the number sanctioned at the time of coming into force of these Rules.

(2) If more Kotwars are holding office in a village then any vacancy caused by death, dismissal, termination or resignation of one of them shall not be filled up in future and the number of Kotwars sanctioned for that village shall stand reduced till such number becomes one.

(3) The number of Kotwars sanctioned for a village may be changed by the Collector with the prior sanction of the State Government.

57. Disqualifications for appointment for the office of Kotwar.- No person shall be eligible for the office of Kotwar who-

(i) is not residing permanently in the village or villages for which he is appointed;

(ii) is below the age of 18 years;

(iii) is convicted of an offence involving moral turpitude or an offence against women or an offence involving activities subversive to the State, such conviction not having been reversed in appeal or revision;

(iv) is of bad character;

(v) is mentally or physically unfit to perform the duties of Kotwar effectively; or

(vi) has not passed the Eighth class examination.

58. Appointing authority for Kotwar.- The appointment of Kotwar shall be done by the Tahsildar in accordance with the provisions of this Part of these rules.

59. Procedure of appointment of Kotwar.- (1) Subject to Rule 56, on the occurrence of a vacancy in the office of a Kotwar the Gram Sabha shall pass a resolution recommending the name of a person whom it considers suitable for appointment as Kotwar and send the resolution to the Tahsildar.

(2) The Tahsildar shall appoint the person recommended by the Gram Sabha as Kotwar. However, if the Tahsildar finds that such person suffers from any of the disqualifications specified in Rule 57 he shall reject the resolution after recording the reasons in writing and intimate the Gram Sabha and call for a fresh proposal.

(3) Immediately on occurrence of a vacancy, the Tahsildar may temporarily appoint a suitable person to perform the duties of the office of Kotwar till the regular appointment under sub-rule (2) is made.

(4) In making appointment of a Kotwar under sub-rule (1) or (2) preference may be given to the near relative of the ex-Kotwar, other things being equal.

(5) If the vacancy is caused by the suspension or dismissal of the previous incumbent for bad character, misconduct or disobedience and the effect of the dismissal would be lost if a member of his family is appointed to succeed him, relatives of the previous incumbent may not be appointed.

(6) The Tahsildar may put a Kotwar in charge of more than one villages.

60. Suspension or dismissal of Kotwar or imposition of fine.- (1) The Tahsildar may fine, suspend or dismiss a Kotwar for-

(i) being of bad character, participating in any kind of undesirable activities or acting in any manner which, in the opinion of the Tahsildar, is not in public interest;

(ii) neglecting his duties;

(iii) disobeying order of any Revenue Officer, Revenue Inspector, Patwari or Station House Officer of Police Station; or

(iv) willful breach of any rule:

Provided that the amount of fine imposed at any one time shall not exceed rupees one thousand.

(2) Action taken on every report made by the police against a Kotwar shall be intimated to the police forthwith.

61. Termination of services of Kotwar.- The Tahsildar may terminate the services of a Kotwar, whenever owing to age or to mental or physical infirmity he is no longer fit to perform his duties.

62. Leave of absence to Kotwar.- The Patwari in charge of the village may grant leave of absence to the village Kotwar for a period not exceeding 3 days at a time and shall be responsible for seeing that the duties of the village Kotwar are not neglected during his absence. For leave exceeding 3 days at a time, sanction of the Tahsildar shall be obtained and a substitute shall be appointed, if necessary:

Provided that the Patwari shall not be competent to grant leave to the Kotwar for an aggregate period, exceeding 15 days in a calendar year:

Provided further that in case of leave exceeding 3 days the Tahsildar may require the Kotwar to provide a qualified substitute at his own cost, before granting leave.

63. Duties of Kotwar.- Following shall be the duties of the Kotwar-

(i) to reside in his village or, if he is in charge of more than one village in such village as is appointed for his residence by the Tahsildar, and not to absent himself without proper leave except when such absence is due to the performance of any of the duties imposed on him by or under these rules;

(ii) to assist all Government Officers in due performance of their official duties;

(iii) to report to the Patwari of misuse of Nistar rights or of Government property and encroachment in the common lands of the village and to assist the Patwari in their protection and use according to rules;

(iv) to keep watch and ward over the houses and properties of the villagers, performing for the purpose such patrol as may be prescribed by the Tahsildar;

(v) to assist in the private defence of person or property in accordance with Section 97 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and in the arrest and conveyance to the police station, or police outpost of any person liable to arrest under this Section or under Section 43 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);

(vi) to report immediately to the officer in charge of the police station or police outpost-

(a) the permanent or temporary residence within the village of any notorious receiver or vendor of stolen property;

(b) the resort to any place within or the passage through the village of any person whom he knows or reasonably suspects to be a robber, escaped convict or proclaimed offender and the movements of wandering gangs through or in the vicinity of his village;

(c) the commission of, or intention to commit any heinous crime within or near the village;

(d) the departure from his home of any convict or no-convict suspect whose name has been entered in the police surveillance register together with the destination (if known);

(e) the advent in his village of any suspicious stranger together with any information which can be obtained from questioning him regarding his antecedents and place of residence.

(f) the occurrence in or near village of any sudden or unnatural death or of death under suspicious circumstances;

(g) any matter likely to affect the maintenance of order or the prevention of crime or the safety of person or property respecting which the District Magistrate, by general or special order made with the previous sanction of the State Government, has directed him to communicate information;

(vii) to report to the patwari or in their absence to the Tahsildar the appearance of locusts or crop pests or any extensive damage to the crops by flood, hail, rust or fire etc.

(viii) if directed to do so by the Collector, to report to Patwari deaths of village cattle from disease or poisoning or the attacks of wild animals;

(ix) to attend the police station or police outpost on such date as may be prescribed by the Collector and to obey the orders of the officer-in-charge of such police station or police outpost;

(x) to report promptly to the Station master of the nearest Railway Station or any other responsible official of the Railway staff available at the nearest Railway Station, any unusual occurrences, like excessive rains, unexpected heavy floods, overflowing of reservoirs, failure of irrigation works, very heavy flow through bridges, impounding of water on the upstream side, etc, or any other type of natural calamities likely to cause harm to the Railway track.

64. Kotwars to be jointly and severally responsible.- When there are two or more Kotwars in a village they shall be jointly and severally responsible for performing the duties laid down by these rules, unless the Collector defines the extent of each Kotwar's responsibility.

Chapter - VI

Trees

Part - A

Purchase of right in trees

[Section 179 (2)]

65. Application by Bhumiswami to purchase right in trees.- An application by a Bhumiswami under sub-section (2) of Section 179 shall specify the number and species of trees, the rights in which he desires to purchase, and the name of person in whom such rights vest. It shall be accompanied by a copy of the Khasra (field book) pertaining to the holding or an extract copy of any other document which purports to show the existing rights in the trees.

66. Tahsildar to issue notice and proclamation.- (1) On receipt of the application the Tahsildar shall issue a notice to all persons in whom the rights in trees vest. He shall issue a proclamation in **Form XV** inviting objections if any, against the proposed purchase of such rights.

(2) Such notices shall be issued and served and such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (RajasvaNayalayon Ki Prakriya) Niyam, 2019.

67. Passing of order and entry in land records.- (1) On the date fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned, the Tahsildar shall, after examining the parties and hearing any evidence that may be produced, record an order specifying therein-

(a) number and description of the trees;

(b) the value of the rights; and

(c) the period, not being less than one month, within which the value so fixed shall be paid and the person to whom it shall be paid by the Bhumiswami.

(2) If the Bhumiswami pays the amount or produces the receipt for such payment on the date fixed, the Tahsildar shall cause the land records to be updated, otherwise it shall be presumed that he does not intend to purchase such rights and the application shall be filed.

Part - B

Compensation to the holder of tree planting permit or tree patta

[Section 239(6)]

68. User institution defined.- (1) In this Part the term "user institution" means and includes-

(a) a department of the State or Central Government or any organisation owned or controlled by it;

(b) a local authority or any organisation owned or controlled by it;

(c) an organisation set up under a public-private partnership; or

(d) a private organisation serving a public purpose

which has been permitted to use land for a public purpose under sub-section (6) of Section 239.

(2) The term "local authority" used in sub-rule (1) means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad or Special Area Development Authority or a Jila Panchayat, Janapad Panchayat or Gram Panchayat established under the corresponding law for the time being in force.

69. Application for claiming compensation.- An application by holder of a tree planting permit or tree patta for claiming compensation under sub-section (6) of Section 239 shall be made to the Tahsildar and shall specify the number and species of trees and the particulars of his rights which have been adversely affected. It shall be accompanied by the copies of the-

(a) tree planting permit or tree patta;

(b) Khasra (field book) or other land records of the land in which grant of such permit or patta has been recorded; and

(c) the order of the Collector permitting use of the land for a public purpose.

70. Tahsildar to issue notice and proclamation.- (1) On receipt of the application submitted under rule 69, the Tahsildar shall issue a notice to all interested parties, including user institution. He shall also issue a proclamation in **Form XVI** inviting objections if any, against the claim made by such holder.

(2) Such notices shall be issued and served and such proclamation shall be issued, in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (RajasvaNayalayon Ki Prakriya) Niyam, 2019.

71. Enquiry by Tahsildar.- (1) On the date fixed for hearing or any other date to which the hearing may be adjourned, the Tahsildar shall enquire into the claim made and after examining the parties, and taking such evidence as he considers necessary prepare an enquiry report on following points-

(a) whether any rights of such holder have been adversely affected under sub-section (6) of Section 239;

(b) if so, particulars thereof;

(c) the valuation of rights and the compensation payable, if any; and

(d) the person or user institution, if any, who is responsible for payment of compensation:

Provided that no compensation shall be payable if the tree planting permit or tree patta was granted with a provision which permits resumption of use of land by the State Government without payment of any compensation.

(2) The Tahsildar may get the valuation of rights under clause (c) of sub-rule (1) from any department of the State Government.

(3). The enquiry report shall be submitted to the Sub-Divisional Officer.

72. Order by Sub-Divisional Officer.- On the receipt of report prepared under Rule 71 the Sub-Divisional Officer may take or cause to be taken such further evidence as he deems necessary and pass an order on the compensation, if any, to be paid to such holder and the person or user institution, if any, who shall pay it.

Part - C

Regulation of cutting of trees

[Section-240 (1)]

73. Permission required for cutting of certain trees.- No tree whether standing on the land belonging to Bhumiswami or State Government shall be

cut, felled, girdled or otherwise damaged without obtaining permission under Rule 75 or 76 as the case may be,-

(a) within 30 meters of the extreme edge of the bank of any water course, spring or a tank;

(b) within 15 meters of the centre of a road or a cart track and within 6 meters of a footpath;

(c) over an area covered by a grove within a radius of 30 meters of a sacred place;

(d) in the area under plantation of trees species under the "Van Mahotsava Programme" or under any other similar scheme;

(e) over an area set apart for an encamping ground, cremation ground or burial ground, gothan, threshing floor, bazar or abadi; or

(f) on hilly and undulating ground with slopes exceeding 25 degrees.

Explanation- For the purpose of clause (a), a water course shall include all streams, rivers, rivulets and nallas which usually retain water upto the end of December but shall not include small temporary channels formed by the run off of water during the monsoon.

74. Gram Panchayat Level Committee.- There shall be a Gram Panchayat Level Committee in every Gram Panchayat. All members of the General Administration Committee of such Gram Panchayat and local Patwari shall be the members of such committee. Chairperson of the General Administration Committee shall be the Chairperson and Secretary of such committee shall be the Member Secretary of such committee.

75. Permission for cutting trees standing on the land of Bhumiswami.- Trees specified in Rule 73, which are standing on the land of a Bhumiswami shall not be cut, felled, girdled or otherwise damaged without the permission of the Tahsildar on the recommendation of Gram Panchayat Level Committee:

Provided that no permission for cutting or felling of trees shall be required, if the cutting or felling of trees is in accordance with the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001).

76. Permission for cutting trees standing on unoccupied land.- Trees standing on unoccupied or Government land, shall not be cut, felled, girdled or otherwise damaged without the permission in writing of the Collector:

Provided that the Tahsildar on the recommendation of Gram Panchayat Level Committee on the basis of a valid resolution passed in its duly convened meeting, may in writing permit cutting and removal of trees or parts thereof, of Babool species from unoccupied land in the village for bonafide use of the residents of that village only, in accordance with the NistarPatrak prepared under Section 234.

77. Exchange of tree clad land with cultivable land.- A Bhumiswami whose land is tree clad and which is unsuitable for permanent cultivation, may apply to the Collector for an exchange with cultivable land, belonging to the State Government of approximately equal value at the current market rate:

Provided that such exchange shall not be disadvantageous to either party and that other persons are not affected adversely by such an exchange.

78. Action in case of contravention of rules in Part-C.- (1) Where any Revenue Officer has reason to believe that a tree has been cut, felled, girdled or otherwise damaged in contravention of the provisions of these rules, wood or corpus of such tree may be seized by or under his order.

(2) Where such Revenue Officer is an officer other than Sub-Divisional Officer, he shall send a report of such seizure within fifteen days to the Sub-Divisional Officer, who shall take such action as he may deem fit under Section 253.

79. Transport of forest produce received from cutting of trees.- (1) The Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 shall apply for transporting the forest produce received from cutting the trees.

(2) Any person incharge of the forest produce in transit shall, whenever called upon to do so by any Forest Officer, Revenue Officer or Police Officer, produce for inspection the pass or passes in respect of forest produce in his charge.

Part - D

Regulation of Control, management, felling or removal of the forest growth

[Section-240 (3)]

80. Definitions of forest and forest growth.- In this Part unless the context otherwise requires-

(a) "forest" means a Government forest which is under the management of the Revenue Department but does not include Protected or Reserved forest.

(b) "forest growth" includes-

(i) all produce from a forest; and

(ii) timber, wood and any other produce from trees standing on any unoccupied land.

81. Management of forest and forest growth.-(1) The management of forest and forest growth shall, under the general superintendence and direction of Collector, vest in Gram Panchayat or urban local authority in whose territory it is situated.

(2) If the area of a forest or forest growth falls within the territory of more than one Gram Panchayat or urban local authority the forest or forest growth shall be managed by such Gram Panchayat or urban local authority as may be directed by the State Government.

(3) The Gram Panchayat or urban local authority shall manage forest and forest growth in accordance with these rules and other provisions of the Code and rules made thereunder.

82. Nistar requirements from forest and forest growth to be regulated by NistarPatrak.- The Nistar requirements from the forest and forest growth and the felling shall be regulated in accordance with the "NistarPatrak" of the village prepared in accordance with Section 234 and subject to such restrictions as the Collector may impose in the interest of preservation of such forests.

Explanation- The expression "Nistar requirements" means the Nistar required for the purpose of bona fide domestic consumption and not for sale, gift, barter, export or wasteful use.

83. Removal of forest growth for Nistar requirements.- The Gram Panchayat in charge of the management of forest may allow residents of the village to cut and remove any forest growth for Nistar requirements in accordance with the NistarPatrak.

84. Removal of forest growth for sale.- (1) The removal of forest growth for sale shall be regulated as per the directions, if any, issued by the Forest Department, Panchayat and Rural Development Department or Urban Development and Housing Department of the State Government.

(2) In the absence of aforesaid directions the concerned Gram Panchayat or urban local authority may adopt an open and transparent method for removal of forest growth for sale.

(3) No trees standing in forest shall be cut, felled, girdled or otherwise damaged without obtaining previous permission under Rule 76. Such permission shall be granted subject to the provisions of Rule 86.

85. Income from the sale of forest growth.- Income received from sale of forest growth shall be the income of the Gram Panchayat or urban local authority as the case may be.

86. Conditions of exploitation of forest.- The exploitation of forest shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) (i) no tree up to 9 inches in girth at breast height shall be cut;

(ii) all trees shall be cut as close to the ground as possible;

(iii) no trees shall be girdled or pollarded;

(b) roots of the trees shall not be damaged;

(c) (i) no bamboo shoots under two years of age shall be felled;

(ii) bamboos shall be cut not more than one foot from the ground;

(iii) no bamboo clums containing less than ten clums shall be worked;

(d) no forest growth other than that cut or removed in accordance with the Nistar Patrak shall be cut or removed except with the sanction of the Sub-Divisional Officer;

(e) the restrictions imposed by the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, framed under the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) shall also be applicable to the removal of the forest growth.

87. Power of Collector with regard to superintendence and direction.- (1) Collector shall have power of general superintendence and giving direction to the Gram Panchayat or urban local authority regarding management of forest.

(2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1) such powers shall include-

(a) power of inspection of the forest and removal of forest growth by himself or through any Revenue Officer;

(b) power to call for any record or books of Gram Panchayat or urban local authority relating to forest and forest growth;

(c) power to order audit of the Gram Panchayat or urban local authority in respect of the income and expenditure relating to forest and forest growth through such agency as it may deem fit and to order payment of audit fees by the Gram Panchayat or urban local authority;

(d) power to issue directions not inconsistent with the provisions of these Rules or the Code to the Gram Panchayat or urban local authority regarding the management, protection and exploitation of forest and forest growth.

(3) It shall be the duty of Gram Panchayat or urban local authority to carry out any directions issued under sub-rule (1) or (2).

88. Protection against fire.- (1) No person shall set fire to any part of a forest and no person shall set fire in the vicinity of a forest so as to cause damage to any timber lying therein or to any trees thereof.

(2) It shall be the duty of every person exercising any right in a forest, or permitted to take his nistar requirement or pasturing cattle in a forest, forthwith to intimate the occurrence of any fire in the forest or its vicinity within his

knowledge to the nearest office bearer or employee of Gram Panchayat or urban local authority, as the case may be,and whether or not so required by the above named officers, to take steps,-

(a) to extinguish any such fire; and

(b) to prevent by all lawful means in his power, the spread of any such fire in the vicinity of such forest into it.

89. Action in case of contravention of rules in Part-D.- (1) Where any Revenue Officer has reason to believe that any tree has been cut or forest growth has been removed from a forest in contravention of the provisions of these Rules, such tree or forest growth may be seized by or under the order of the Revenue Officer.

(2) Where such Revenue Officer is an officer other than Sub-Divisional Officer, he shall send a report of such seizure within fifteen days to the Sub-Divisional Officer, who shall take such action as he may deem fit under Section 253.

Part - E

Regulation of felling and removal of timber in villages adjoining Government forests

(Section 241)

90. Proclamation of order under Section 241.- (1) A copy of the order published in the Gazette under sub-section (1) of Section 241 shall be affixed at public places in such villages as are comprised in the notified area. A copy of it shall be affixed on the notice board of the Gram Panchayat and shall also be proclaimed by beat of drum in the villages concerned and at the weekly market, if any:

Provided that if such order is not in Hindi, its Hindi translation shall also be so affixed and proclaimed.

91. Gram Panchayat Level Committee.- There shall be a Gram Panchayat Level Committee in every Gram Panchayat. All members of the General Administration Committee of such Gram Panchayat and local Beat Guard and

Patwari shall be the members of such committee. Chairperson of the General Administration Committee shall be the Chairperson and Secretary of such Committee shall be the Member-Secretary of such Committee.

92. Application for felling nationalised timber tree.- When an order has been proclaimed in any village under sub-section (2) of Section 241 any person desirous of felling any nationalised timber tree in his holding, for sale, or for purpose of trade, or business shall submit in writing to the Tahsildar an application in triplicate in **Form –XVII**:

Provided that no permission for cutting or felling of trees shall be required if the cutting or felling of trees is in accordance with the Madhya Pradesh Lok Vaniki Adhiniyam, 2001 (No. 10 of 2001):

Provided further that subject to the provisions of the Madhya Pradesh Van Upaj (VyaparViniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969) and the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 framed under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) , no permission for felling and transit of nationalised timber trees in the holding of any Bhumiswami shall be required if he himself has planted these trees, including commercial plantation if such felling is not in contravention of the provisions of the Code:

Provided also that, in respect of any plantation, the Bhumiswami shall give information in **Form- XVIII** to the Tahsildar and Forest Range Officer in advance and such plantation shall be duly recorded in the relevant revenue records including the Khasra.

Explanation I- For the purpose of this rule, 'commercial plantation' shall include planting of trees, their raising and harvesting as a commercial crop subject to its recording in revenue records as provided in this rule.

Explanation II-Nationalised timber trees means the specified species under the Madhya Pradesh Van Upaj (VyaparViniyaman) Adhinium, 1969 (No. 9 of 1969).

93. Order of Tahsildar.- (1) On receipt of the application, the Tahsildar shall immediately send the duplicate copy to the Sub- Divisional Officer, Forest and the third copy to the Gram Panchayat Level Committee for consideration.

(2) After receiving the recommendation or report from Gram Panchayat Level Committee and Sub-Divisional Officer, Forest, the Tahsildar shall ascertain

which timber trees from among those applied for cutting are required to be retained in public interest or for preventing erosion of soil.

(3) The Tahsildar may permit cutting of timber trees in the holding other than those, which he orders to be retained.

(4) In case of a Bhumiswami belonging to a tribe which has been declared to be an aboriginal tribe under sub-section (6) of Section 165, the provisions of the Madhya Pradesh Protection of Aboriginal Tribes (Interest in Trees) Act, 1999 (No. 12 of 1999) shall apply.

94. Validity of the permission.- Permission granted to a Bhumiswami under Rule 93 shall hold good for twelve months.

95. Marking the trees to be retained.- The timber trees to be retained shall be marked in the following manner: -

(a) such trees shall be marked for retention by village Patwari or by any other person authorised by the Tahsildar; and

(b) such trees shall bear a coal-tar band at breast height i.e. at 1.3 meter from the ground level and shall be serially numbered.

96. Duty of Patwari to preserve trees ordered to be retained.- It shall be the duty of the Patwari of the village to see that such trees as are ordered to be preserved, are not felled.

97. Transit of forest produce.- (1) The provisions of Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000 shall apply to the transportation of the forest produce received from cutting the trees.

(2) Any person in-charge of the forest produce in transit, shall, whenever called upon to do so, by any Forest Officer, Revenue Officer or Police Officer, produce for inspection the pass or passes in respect of forest produce in his charge.

98. Action in case of contravention of rules in Part –E.- (1) Where a Revenue Officer has reason to believe that a tree has been cut in contravention of the provisions of the provisions of these Rules, wood or corpus of such tree may be seized by or under his order.

(2) Where such Revenue Officer is an officer other than Sub-Divisional Officer, he shall send a report of such seizure within fifteen days to the Sub-Divisional Officer, who shall take such action as he may deem fit under Section 253.

Chapter - VII

Unauthorised occupation of government land, fishing, catching and killing of animals, removal of materials from government land and use of water from government tanks

Part - A

Civil imprisonment for continued unauthorised occupation or possession of government land

[Sub-Section (2-A) of Section 248]

99. Report of a person who continues in unauthorised occupation or possession.- If any person continues in unauthorised occupation or possession of land for more than seven days after the date of order of ejectment under sub-section (1) of Section 248, the Tahsildar shall submit a report accordingly to the Sub-Divisional Officer concerned.

100. Issue of notice by Sub-Divisional Officer.- On receipt of the report from the Tahsildar under Rule 99, the Sub-Divisional Officer shall issue a notice in **Form XIX** to the person referred to in Rule 99 calling upon him to appear before him on a day specified therein to show cause why he should not be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of land.

101. Issue of arrest warrant against the person for failure to appear in pursuance of the notice.- If such person fails to appear in pursuance of the notice issued under Rule 100, on the day specified therein and also continues in unauthorised occupation or possession, the Sub-Divisional Officer shall in accordance with sub section (2-A) of section 248, issue a warrant in **Form XX**, to arrest such person and produce before him.

102. Enquiry by the Sub-Divisional Officer.- Where the person in unauthorised occupation or possession of land appears before the Sub-Divisional Officer in obedience to the notice issued under Rule 100 or is produced before him in pursuance of the warrant of arrest issued under Rule 101, the Sub-Divisional Officer shall give him an opportunity of showing cause

why should not he be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation or possession of land.

103. Order for committal of encroacher to civil prison.- Upon the conclusion of the enquiry under Rule 102, the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of Section 248, make an order for committal of the person to civil prison in **Form XXI** and shall in that event cause him to be arrested if he is not already under arrest.

104. The provisions of Code of Civil Procedure, 1908 applicable to arrest.- The provisions of section 55 of the Code of Civil Procedure 1908 (No. V of 1908) shall apply mutatis mutandis to arrest under Rule 101 and 103.

105. Release order.- The order for release under the second proviso to sub-section (2-A) of Section 248 shall be in **Form XXII.**

106. State Government to bear expenditure incurred on confinement in civil prison.- The expenditure incurred on the confinement of a person in civil prison under sub-section (2-A) of Section 248 shall be borne by the State Government.

Part - B

Regulation of fishing in Government tanks

(Section 249)

107. Regulation of fishing in government tanks.- (1) The fishing in government tanks shall be regulated as per the directions, if any, issued by the Fishermen Welfare and Fisheries Development Department, Panchayat and Rural Development Department or Urban Development and Housing Department of the State Government.

(2) In the absence of aforesaid directions the concerned Gram Panchayat or urban local authority may adopt an open and transparent method for permitting fishing from government tanks. The income received from permitting fishing shall be the income of the Gram Panchayat or urban local authority.

Part – C

Regulation of catching, hunting or shooting of animals in villages

(Section 249)

108. Catching or killing of animals.- (1) Catching, hunting or killing of any wild animal which comes within the purview of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) shall be regulated by the provision of that Act and rules made thereunder.

Explanation- Catching or killing of wild pigs shall be regulated by the Madhya PradeshVan Prani (JangliSuar) Unmulam Niyam, 2003 made under the Wildlife (Protection) Act, 1972.

(2) Catching, hunting or killing of an animal other than the one which comes within the purview of sub-rule (1) shall be regulated by the provisions of the law which may, for the time being, be in force.

Part - D

Removal of materials from government land

(Section 249)

109. Removal of mooram, kankar, sand, earth, clay, stones or any other minor minerals from government land.- Removal of mooram, kankar, sand, earth, clay, stones or any other minor minerals from State Government land shall be regulated as per the directions issued by the Mineral Resources Department, Panchayat and Rural Development Department or Urban Development and Housing Department of the State Government.

110. Action in Case of Contravention of rules.- (1) When any Revenue Officer has reason to believe that any materials have been removed from lands belonging to the Government in contravention of the provisions contained in this Part, such materials may be seized by or under the order of the Revenue Officer.

(2) Where such Revenue Officer is an officer other than Sub-Divisional Officer, he shall send a report of such seizure within fifteen days to the Sub-Divisional Officer, who shall take such action as he may deem fit under Section 253.

Part - E

Irrigation orNistar from tanks vested in State Government

(Section 251)

111. Extent to which irrigation and Nistar allowed.- Irrigation of fields and Nistar from the tanks vested in the State Government shall be allowed to the extent recorded in the Wajib-ul-arz of the last Settlement.

112. Supply of surplus water.- If surplus water is available after meeting the rights of irrigation and Nistar referred to in Rule 111, or otherwise, it may be supplied to a Bhumiswami on his application to the Collector, if he agrees to pay irrigation charges at such rate as the Collector may fix from time to time.

113. Reservation of tank exclusively for drinking water or any other Nistar purpose.- If the water supply of the village, in the opinion of the Collector, is insufficient he may reserve a tank exclusively for drinking or any other nistar purposes.

Chapter - VIII

Consolidation of holdings

(Section 221)

114. Minimum area of land for consolidation.- The minimum area of land to be held together by the Bhumiswamis applying for consolidation of their holdings under sub-section (1) of Section 206 shall not be less than 40 hectares:

Provided that in the case of any village, the State Government may by order, fix such other minimum limit as it may deem fit.

115. Consolidatation Officer to encourage Bhumiswamis for consolidation of their holdings.- On a directive being received from the Collector under sub-section (2) of Section 206 the Consolidation Officer shall proceed to the village and take every opportunity to persuade Bhumiswamis of such village to make an application agreeing to the consolidation of their holdings and when this application is made proceed to examine and dispose it of under section 207 or 208, as the case may be.

116. Application for consolidation.- An application for the Consolidation of holdings referred to in section 206 shall be in **Form XXIII**.

117. Issue of proclamation and notices.- (1) On receipt of an application the Consolidation Officer shall cause a proclamation to be made in**Form XXIV** in the village in which the holdings mentioned in the application are comprised. The place to be fixed for the examination of the application shall be in the village concerned or if the village is uninhabited, in an adjacent village. The Consolidation Officer shall also issue notice to the signatories to the application in**Form XXV**.

(2) The date fixed for the examination of the application shall not be less than thirty days from the date on which the proclamation is made.

118. Examination of the application by the Consolidation Officer.- (1) On taking up the examination of the application, the Consolidation Officer shall first verify its contents and shall make such note on the application as may be necessary with special reference to the statement of encumbrances and liabilities specified in the application. He shall briefly record any objections or representations made before him in connection with the application.

(2) If the application under examination is made by less than two-thirds of the Bhumiswam is in the village, the Consolidation Officer shall make enquiries whether any Bhumiswam is who have not joined in the application are prepared to agree, in writing, to the consolidation of their holding so as to extend the scope of the application as contemplate by sub-section (3) of section 206. Signatures of the Bhumiswamis so agreeing shall be taken on the said application and particulars about them and their holdings shall be noted on such application.

119. Disallowing the application.- If on enquiry the Consolidation Officer finds that the application should be disallowed or the case of any Bhumiswami should be excluded from consolidation, he shall record his reasons therefor.

120. Admission of application.- (1) If the Consolidation Officer decides that the application should be rejected or that the case of any Bhumiswami should be excluded from consolidation, he shall make a report to the Collector under sub-section (1) of section 207.

(2) If the Consolidation Officer decides to admit the application, he shall formally record an order to that effect. The fact of admission and its date shall be proclaimed in the village.

(3) From the date an application for consolidation is admitted in the village no Revenue Officer shall certify any entry, pertaining to the corrections of Record-of Rights of the village.

121. Constitution of Advisary Committee.- As soon as an order is passed under sub- rule (2) of Rule 120, steps shall be taken to constitute advisory committee (hereinafter called the Committee) to assist the Consolidation Officer, in the examination or preparation of the scheme of consolidation of holding in connection with the application.

122. Members of Committee.- (1) The Committee shall consist of five members. Two members shall be chosen by the Bhumiswamis who have applied from amongst themselves; and three members shall be nominated by the Consolidation Officer from amongst persons residing in the village or in an adjacent village having experience of the work of consolidation of holdings or taking interest in such work.

(2) The Consolidation Officer shall record a formal order appointing the members of the Committee and shall explain to them the functions of the committee.

(3) The Consolidation Officer, for reasons to be recorded in writing, may remove any member of the committee if he refuses to act, becomes incapable of acting or takes no part in the examination or preparation of the scheme of consolidation, or if his continuance in the Committee is considered undesirable in the interest of the scheme. Any vacancy so caused shall be filled in the manner provided in sub-rule (1).

123. Mutually agreed scheme.- (1) In examining a scheme mutually agreed to by the applicants the Consolidation Officer assisted by the committee shall satisfy himself that all applicants understand it, and that their agreement is genuine and has not been induced by any bargain or consideration which he considers unfair.

(2) If the Consolidation Officer decides to modify any scheme mutually agreed to by the applicants he shall proceed so far as possible in the manner prescribed for the preparation by himself of a scheme of consolidation.

124. Valuation of fields.- (1) When the Consolidation Officer has himself to prepare a scheme of consolidation he shall ascertain on spot the valuation of fields based on their relative productivity in percentage terms. For ascertaining the relative productivity, such factors as soils, positions, present condition, distance from the village site, exposure to damage by cattle, liability to inundation or erosion by a nalla, sources and security of irrigation, drainage, communication, history of cropping and capacity to yield double crops shall be taken into consideration.

(2) The valuation so ascertained shall be recorded in the consolidation map and the HaisiyatKhasra in **Form XXVI**.

(3) On completing the work of valuation, the Consolidation Officer shall once again explain and discuss the details with the applicants and the members who shall, if they approve of the valuation, put their signatures on a statement in **Form XXVII**.

(4) In case of disagreement regarding valuation, the consolidation officer shall visit the village again, inspect the fields with the members and the applicants and modify the valuation where necessary and correct the entries in the Haisiyat Khasra, and the consolidation map.

125. Principles of allotment of land under the scheme.- The allotment of plots of land under the consolidation scheme shall be made in accordance with the following principles, namely: -

(a) The plots of land shall be so formed as would give the Bhumiswami the same amount of net produce as he was getting before. For this purpose, rice land shall only be exchanged with rice land and non-rice land with non-rice land.

(b) Either the area or the productive units of the new lands shall be at par with the old figure, the difference, if any, not exceeding 3 percent.

(c) The plots of land shall be proposed in the area or areas where most of the old fields of the Bhumiswami lie so as to include as many of them as possible in the new holding. This principle may, however, be relaxed in respect of areas receiving rasan water from the village-abadi, so as to ensure to the Bhumiswami concerned, so far as may be, the same area receiving rasan water as before.

126. Setting apart of community lands.- (1) Before commencing the work of allotment, the desirability of opening new tracks for carriage of agricultural machinery, and water courses, reserving land for pasture, extension of abadi, threshing floors and other common purposes, and shifting of community lands if these are inconveniently situated from the perspective of either distance or sanitation shall be discussed with the applicants and the committee.

(2) The lands for the purposes enumerated in sub-rule (1) shall be set apart, -

(a) from unoccupied lands;

(b) by securing suitable lands from the Bhumiswamis by exchange with unoccupied lands; and

(c) by contribution of land from the Bhumiswami out of their holdings.

127. Memorandum for the guidance of staff and Committee.- Before ascertaining the valuation under Rule 124 and making allotment under Rule 125, the Consolidation Officer shall, in consultation with the applicants and the committee, decide the general lines on which the consolidation of holdings shall proceed. In particular, he shall determine if any land should be excluded from

the scheme for any special reasons. He shall then draw up a memorandum dealing with these matters for the guidance of his staff and the committee.

128. Preparation of provisional scheme of consolidation.- A provisional scheme of consolidation shall be prepared by the staff in consultation with the committee and shall be indicated by a map on the scale of 1:4000 or such other scale, as may be deemed suitable indicating the redistribution of the land in accordance with the scheme and by provisional consolidation record-of-rights for the land prepared in **Form XXVIII**.

129. Inviting suggestions and objections on the provisional scheme and their disposal.- When the provisional scheme is ready, the Consolidation Officer shall visit the village after giving reasonable notice to all concerned and explain the scheme to them in the presence of the committee in all its aspects including proposals for the disposal of encumbrances. The Consolidation Officer shall invite suggestions and objections which those present may have to make and after considering them, shall, so far as possible, remove the objections and, if necessary modify the scheme.

130. Compensation for change in market or production value of holding.- (1) The Consolidation Office shall draw up-

(a) a list of all Bhumiswamis whose new holdings or lands are in his opinion of a greater market or production value than that of their original holdings or lands; and

(b) a list of all Bhumiswamis whose new holdings or lands are in his opinion of a less market or production value than that of their original holdings or lands.

(2) The Consolidation Officer shall then, estimate the monetary compensation to be paid by the Bhumiswamis mentioned in clause (a) to those mentioned in clause (b) of sub-rule (1) and direct the payment thereof as contemplated by sub-section (3) of Section 209.

131. Determination of compensation.- The market value of the different holdings and lands and the compensation to be paid under sub-section (3) of section 209 shall, as far as possible, be determined in consultation with the committee. If this procedure fails, it shall be determined, as early as may be, in accordance with the provisions of the Right to Fair Compensation and

Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013).

132. Transfer of encumbrances to new holding.- If under sub-section (1) of section 220 the Consolidation Officer considers that any lease, mortgage, or other encumbrance with which the original holding of a Bhumiswami is burdened should be transferred and should attach only to a part of his new holding, he shall be guided by the following principles in appointing such part,-

(a) due regard should be paid to the market value of the original holding which was burdened and of the part of the new holding to which the burden is to be transferred and attached; and

(b) the said part should be so situated in the new holding that it does not affect prejudicially the integrity of the remaining part of the new holding and does not render ultimate demarcation inconvenient.

133. Acceptance of scheme by Bhumiswamis.- All Bhumiswamis who agree to the scheme as prepared or modified should be required to sign on **Form XXIX**in taken of their acceptance of the schemc. Thereafter the abstracts from the record-of-rights in **Form XXX** shall be prepared.

134. Confirmation of the scheme of consolidation and delivery of certificates.- (1) When a scheme of consolidation has been finally confirmed and the requirements of sub-section (1) of section 211 have been fulfilled, the Consolidation Officer shall announce the confirmation of the scheme by issuing a proclamation in **Form XXXI**.

(2) Immediately after making an announcement under Section 211 the Consolidation Officer shall cause to be prepared and delivered to each Bhumiswami a certifiacate containing the details of the new holding or land allotted to him under the scheme. The Consolidation Officer shall also take steps to have the Record-of-Rights suitably corrected and the corrections properly authenticated.

135. Demarcation of the new fields.- The Consolidation Officer shall, if necessary, demarcate on spot the boundaries of new fields allotted to a Bhumiswami after the crops are harvested and before possession of the holding is delivered to him in pursuance of the confirmation of the scheme.

136. Registration of encumbrances to new holding and endorsement on instruments.- (1) In every case in which a lease, mortgage or other encumbrance has been transferred from the original holding or land of a Bhumiswami to his new holding or land or to any part thereof, the Consolidation Officer shall upon confirmation of the scheme, record a formal order stating the manner in which the transfer has been effected and send a copy of such order to the Registering Officer within the local limits of whose jurisdiction such new holding or land or part thereof is situated for filling in his book No. 1. Any person interested in the transfer shall be entitled to obtain, on application, free of cost for the first time, a true copy of the order so recorded.

(2) If the lease, mortgage, or other instrument of encumbrance is produced before him, the Consolidation Officer shall cause the aforesaid order to be endorsed on that document.

137. Assessing cost of the scheme.- The costs of carrying out a scheme for consolidation of holdings shall be assessed at a definite rate per hectare on the occupied area of the holdings affected by the scheme. This rate shall be such as may be fixed by the State Government from time to time.

138. Collection of cost of consolidation.- The cost of consolidation shall be collected in one or two instalments, as the case may be, along with the land revenue demand.

139. Preparation of list of assessees from whom the cost of the scheme is to be recovered.- (1) Immediately after the confirmation of the scheme the staff engaged in the work of consolidation shall prepare in **Form XXXII** a list of assessees from whom the cost of the consolidation is to be recovered. This list shall be arranged alphabetically. All the entries in the list shall be checked by the Consolidation Officer and signed by him in token of its correctness.

(2) The list shall be prepared in triplicate. One copy shall be forwarded to the Tahsildar who shall get it noted in a register to be prepared for the purpose. The other copy shall be handed over to the Patwari for collection and the third copy shall be filed with the consolidation proceedings of the village.

Chapter - IX

Repeal and Savings

140. Repeal and Savings .– (1) Following Rules are hereby repealed,-

(a) rules regarding transfer of land in contravention of section 165(4) under Section 166 vide Notification No. 196-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960;

(b) rules regarding regulation of the procedure in disposing of claims be the placed in possession of holding under Section 170 vide Notification No. 197-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960;

(c) rules regarding relinquishment of rights in holding under Section 173 vide Notification No. 198-6477-VII-N(Rules), dated, the 6th January, 1960;

(d) rules regarding restoration of abandoned land under Section 176 vide Notification No. 388-CR-532-VII-N-(Rules), dated 11th January, 1960;

(e) rules regarding purchase of rights in trees in holding under section 179 vide Notification No. 200-6477-VII-N(rules), dated the 6th January, 1960;

(f) rulcs regarding the regulation of assessment of increase and reduction in land revenue required or permitted due to alluvion and diluvion under Section 204 vide Notification No. 208-6477-VII-N(Rules),dated 6th January, 1960;

(g) rules regarding consolidation of holdings under Section 221 vide Notification No.11343-VII-N (Rules) dated the 1st October, 1959;

(h) rules regarding appointment, remuneration, duties, removal and punishment of patels under Section 222, 223, 224 and Section 228 vide Notification No. 209-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960;

(i) rules regarding village sanitation under section 224 vide Notification No. 210-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960;

(j) rules regarding appointment, punishment and removal of kotwars and their Duties under Section 230 vide Notification No. 211-6477-VII-N(Rules), dated, 6th January, 1960;

(k) rules regarding remuneration of kotwars under Section 231 vide Notification No. 212-6477-VII-N (Rules) dated 6th January, 1960;

(l) rules regarding plantation of fruit bearing trees in unoccupied land under Section 239 vide Notification No. 216-6477-VII-N(Rules), dated the 6th January 1960;

(m) rules regarding regulation of cutting of trees under Sub-Section (1) of Section 240 called the Madhya Pradesh prohibition or regulation of the cutting of trees rules, 2007 vide Notification No. F 2-39-04-VII-S-6, dated 26th November, 2007;

(n) rules regarding the control, management, felling or removal of the forest growth under Sub-Section (3) of Section 240 vide Notification No. 5262-3472-VII-N-I, dated the 28th September, 1964;

(o) rules regarding prescription of the manner of proclaiming an order to be published under Section 241 and regulation of the felling or removal of trees thereunder to prevent theft of timber from government forests called the Madhya Pradesh regulation of the felling and removal of timber in village adjoining government forests, Rules, 2007 vide Notification. No. F.-2-39-04-VII-S-6, dated 26th November, 2007;

(p) rules regarding procedure for apprehending and sending a person to civil imprisonment for continuing in unauthorised occupation or possession of land under sub-section 2A of Section 248 vide Notification No. F-6-2-VII-N-I, dated, 13th December, 1976;

(q) rules regarding regulation of fishing, catching, hunting or shooting of animals in villages and removal of any materials from land removal of any materials from land belonging to the State Government under Section 249 vide Notification No. 221-6477-VII-N(Rules), dated 6th January, 1960;

(r) rules regarding irrigation and Nistar from tanks vested in State Government under sub-Section 96) of Section 251 vide Notification No. 223-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960. and

(s) rules regarding licensing of petition-writers and regulation of their conduct under clause (l) of sub-section (2-B) of Section 258 vide Notification No. 367 dated 26th February, 1960.

(2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

FORM - I

(See Rule 3)

The Madhya Pradesh Bhu-RajasvaSanhita (Vividh) Niyam, 2020

Notice of relinquishment of land

[Under Section 173 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To,

The Tahsildar .....

I ....son/daughter/wife of ..... resident of village/town .... Patwari Halka No./Sector No. ..... Tahsil ..... District ..... hereby give notice that it is my intention to relinquish in favour of the State my rights in holding no. ..... or part thereof, described in Schedule below situated in village/ town .... Patwari Halka No. / Sector No. ..... Tahsil ..... District .....

2. The rights referred to above are subject to the rights, tenures, encumbrances or equities mentioned in the Schedule given below,-

Schedule

Description of lands to be relinquished

Holding No.	Survey No. /Block No./ Plot No. of land to be relinquished	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees)	Rights, tenures, encumbrances or equities	Name of tenure-holder, mother's / father's/ husband's name and address of person in whose favour they subsist	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dated this ..... day of ..... 20..
Place .....

Signature of Bhumiswami
Name and address .....
Mob. No. .....

Name of witnesses and their mother's /father's/husband's name and address -
1.....
.....
2.....
.....

Signature

.....

FORM -II

(See Rule 4)

The Madhya Pradesh Bhu-RajasvaSanhita (Vividh) Niyam, 2020

[Under Section 173 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the Court of .....Tahsil.....District.....

Case No. .....

.....Applicant

State of Madhya Pradesh ..... Non-applicant

ORDER

(Passed on .....)

Applicant Bhumiswami ..... son/daughter/wife of ....resident of village/town .....Tahsil ..... District ..... has, under Section 173 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, submitted a notice of relinquishment dated .....to this Court of his rights in holding no..... or part thereof, described in the Schedule given below, situated in village/town ..... Patwari halka No./Sector No.....Tahsil ..... District ..... The notice has been received in this Court on .....(date).

2. After receiving the notice, I have made necessary enquiries

.....

(Here give the particulars of the enquiries made and findings)

3. On the basis of the above findings I hereby accept the relinquishment of the said rights and order that the land shall be recorded as unoccupied land in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh BhuRajasva Sanhita (Dakhalrahit Bhumi, Abadi TathaWajib-ul-arz) Niyam 2020 subject to the rights, tenures encumbrances or equities mentioned in the said Schedule.

4.....

(Give here the specific directions for updating the entries of the record of unoccupied land)

Schedule

Description of relinquished lands

Holding No.	Survey No. /Block No./ Plot No. of land to be relinquished	Area (in hectare)	Land revenue (in rupees)	Rights, tenures, encumbrances or equities	Name of tenure-holder, mother's / father's/ husband's name and address of person in whose favour they subsist	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SEAL

.....

Signature of Tahsildar

Name.....

FORM - III

(See Rule 12)

The Madhya Pradesh Bhu-RajasvaSanhita (Vividh) Niyam, 2020

Direction to demarcate fields

[Under Sub section (1) of Section 166 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the court of

.....

Case No. .....

.....

Vs.

.....

To,

.....Patwari/Nagar Sarvekshak

Patwari,Halka No/Sector No.....

Village/Town.....

Tahsil.....District.....

Whereas survey numbers described in the Schedule below situated in village/ town ..... of your Halka/Sector have been selected for being forfeited to the State Government under sub-section (1) of the Section 166 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

You are hereby ordered to demarcate on spot within one month of receipt of this order, the survey numbers after giving a prior notice to the transferee.....son/daughter/wife of ..... resident of ..... tahsil..... district.....of the date or dates on which you shall demarcate them.

You shall report compliance after carrying out the order.

Schedule

Serial No.	Survey No.	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)
Total		

SEAL

Dated.....

Sub-Divisional Officer

.....

Form -IV

(See Rule 15)

The Madhya Pradesh Bhu-RajasvaSanhita (Vividh) Niyam, 2020

Notice to transferee and transferer

[Under Sub-section (1) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the Court of .....

Case No.

.....

.....

Vs.

.....

To,

.....(Name)

Mother's/Father's/Husband's Name .....

Resident of .....

Tahsil ..... District .....

Whereas ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ..... has, under sub-section (1) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 applied to set aside the transfer made by ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ..... in respect of the land described in the Schedule below, situated in village / town.....Patwari Halka no./Sector no.....Tahsil ..... District ..... and to put him in possession of the said land, you are hereby called to show why the said transfer should not be set aside, by appearing personally or through a legal practitioner or recognised agent at ..... on ....., day of ..... 20 .....

Schedule

Holding No.	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)	Right
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

SEAL

Dated 20

Sub-Divisional Officer.

.....

Form –V

(See Rule 17)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Notice to claimants and creditors

[Under Sub- section (1) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the Court of ....

Case No.

.....

.....

Vs.

.....

To,

.....(Name)

Mother's/Father's/Husband's Name .....

Resident of .....

Tahsil ..... District .....

Whereas ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ..... has, under sub-section (1) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 applied to set aside the transfer made by ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ..... in respect of the land described in the schedule below, situated in village / town.....Patwari Halka no./Sector no..... Tahsil ..... District ..... and to put him in possession of the said land, you are hereby informed that you should appear either personally or thorough a legal practitioner or recognised agent at ..... on ..... day of ..... 20....., and submit in the above mentioned Case;

(*If the notice is to the claimants*) Your claims, if any for being placed in possession of the holdings in question.

(*If the notice is to the creditors*) Your claims regarding any dues which form a charge on the holdings.

In the event of your failure to appear and submit your claim, it will be assumed that you have no claim to the said land.

Schedule

Holding No.	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)	Right
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

SEAL

Dated 20

Sub-Divisional Officer

.....

FORM -VI

(See Rule 17)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

PROCLAMATION

[Under Sub-section (1) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the Court of .....

Case No.

.....

.....

Vs.

.....

Whereas ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ..... has, under sub-section (1) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 applied to set aside the transfer made by ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ..... in respect of the land described in the Schedule below, situated in village / town.....Patwari Halka no./Sector no..... Tahsil ..... District ..... and to put him in possession of the said land;

And Whereas it has been found that the said transfer was not in accordance with sub-section (4)/ sub-section (6) of Section 165 of the said Code;

Now, therefore, all persons who may claims to be heirs of the transferar/all creditors to whom the said transferor may be indebted for advances made, which form a charge on the said land, and all persons who may desire to be heard, are hereby informed that they should appear either personally or through a legal practitioner or recognised agent and put forward their claim at .., ... a.m./p.m. on ..... at.....

In the event of failure so to appear and put forth the claim on the date and at the place mentioned above, no claim or objection will be considered.

Schedule

Holding No.	Survey No./ Block No./ Plot No.	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)	Right
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

SEAL

Dated 20

Sub-Divisional Officer

.....

FORM–VII

(See Rule 19)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Statement of the arrears of land revenue or other dues forming charge on the land

[Under Sub-section (2) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the Court of .....

Case No.

.....

.....

Vs.

.....

To,

.....(Name)

Mother's/Father's/Husband's Name .....

Resident of .....

Tahsil ..... District .....

Name of village /town	Survey No. / Block No./ Plot No.	Area (In hectare)	Assessment (In Rupees)	Amount of arears of land revenue (In Rupees)	Particulars of other debts charged on the land	Total (In Rupees) (5) + (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

SEAL

Dated 20

Sub-Divisional Officer

.....

FORM - VIII

(See Rule 19)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Applicant's statement regarding accepting the liability for arrears of land revenue or other dues forming charge on the holdings

[Under Sub-section (2) of Section 170 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

In the Court of .....

Case No.

.....

.....

Vs.

.....

Whereas in the case mentioned above it has been held that the land described in columns (2) to (4) of the Schedule below shall be put in my possession,

I ..... son/daughter/wife of ..... resident of ..... Tahsil ..... District ....., hereby, agree to pay the dues specified in columns (5) to (7) the said Schedule.

Schedule

Name of village /town	Survey No. / Block No./ Plot No.	Area (In hectare)	Assessment (In Rupees)	Amount of arears of land revenue (In Rupees)	Particulars of other debts charged on the land	Total (In Rupees) (5) + (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(Signature of the Claimant)

Dated ..... 20.....

Sub-Divisional Officer

.....

FORM - IX

(See Rule 25)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Passport size photo of applicant

Application for Petition writer license

[Rules made under clause(l) of sub-section (2-B) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

1. Name of applicant (give full name).	
2. Mother's/Father's/Husband' name	
3. Date of birth.	
4. Address (including Mobile Phone no. and e-mail address)	
5. Educational qualification. State the year of the last examination passed and the institution from which passed.	
6. Present occupation, if any.	
7. Whether the applicant belongs to Schedule Castes or Schedule Tribes, or Other Backward Classes ?	
8. The language or languages with which the applicant is acquainted.	
9. Names of two persons with addresses to whom reference may be made as to the applicant's character.	
10. Whether removed from service of Government, if so, give particulars.	
11. Whether convicted of a criminal offence; if so, give particulars.	
12. Whether applied for license previously in this district and, if so, to what effect.	

Place .....

Date.....

Signature of the applicant

Documents to be attached

1. Proof of identification (Self attested copy of any one of the following documents viz. Voter ID, Driving License, Adhar Card, Passport, First Page of Bank Passbook or photo ID card issued by any Gazetted Government Officer).
2. Self attested copy of the educational qualifications
3. Self attested copy of any other certificate to support knowledge, skills or experience relevant to the work of petition writing (e.g. computer proficiency, experience of working with a legal professional)

FORM - X

(See Rule 27)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

[Under clause(l) of sub-section (2-B) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Office of the Collector .....

License

Revenue Petition writer

Registration No. .....
dated.....

Certified that.....son/daughter/wife of.....resident of .....has, this day been licensed as a Revenue Petitionwriter in.....district, and is hereby permitted to practice at .....(place of business) in the manner prescribed by the rules relating to such petition writers in Madhya Pradesh and subject to the provisions of the said rules.

The license is valid up to.....
Period of license extended up to.....
License granted permanently.....

Given under my hand and the seal of this office this.....
day of .....20..... at.....

SEAL

Licensing Authority/Collector
.....

FORM - XI

(See Rule 30)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Register of licensed Revenue petition writers

[Under clause(l) of sub-section (2-B) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

(One or more pages to be set apart for each petition writer)

Registration No	Name of petition-writer	Mother's /Father's/ Husband's name	Residence and Mobile Phone no. and e-mail address	Place of business	Date of grant of license	Date of grant of permanent license	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Note – In the space of remarks a note of any order passed under rule 40 shall be entered.

FORM - XII

(See Rule 31)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Register to be maintained by petition-writer

[Under clause(l) of sub-section (2-B) of Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Serial No. of Petition	Date on which petition was made	Name of the person withmother's/father's/husband's and residence at whose instance the petition was written	Brief description of petition	Value of court fee labels affixed to the petition	Fee charged for writing petition	Remarks	Signature of the petitioner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

FORM - XIII

(See Rule 44)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Security Bond

[Under sub-section (1) of Section 222 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Know all men by these presents that we (1) Shri.....son/daughter/wife of ..... resident of.....in the tahsil.....of the .....district (hereinafter called the principal) and (2) Shri.....son/daughter/wife of..... resident of .....in the tehsil .....of the .....district (hereinafter called the surety), are held and firmly bond to the Governor of Madhya Pradesh (hereinafter called the Governor) in the sum of Rs. 5000 (Rupees five thousand only) to be paid in the manner hereinafter specified to the Governor, or his or their attorney or attorneys for which payment well and truly to be made , we firmly bind ourselves our heirs, executors, administrators and representatives jointly and severally by these presents signed by us this .....day of.....20.

Whereas the above bounden principal has been selected for appointment to the office of patel of.....in tahsil.....of the.....district and whereas, as a condition precedent to the said appointment, the said principal is required under Rule 44 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (VividhUpbandh) Niyam, 2020 to give security with one surety;

And whereas by virtue of the said office, the said principal has amongst, other duties the care, charge and responsibility for the safe custody of all moneys, papers and other property of whatever description which he may receive or be entrusted to him by virtue of his said office and is bound to keep true and faithful accounts of the said moneys, papers and other property;

And whereas we, the said principal and surety, have entered into such bond in the penal sum of Rs. 5000 (Rupees five thousand only) conditioned for the due performance and fulfillment by the said principal of the duties of the said office and of the other duties appertaining thereto or which may lawfully be required of him and the indemnity of the governor from and against all loss and damages; which he may suffer by reason of any act, neglect or default of the principal viz., by reason of the said money, papers and property or any part thereof being wasted, embezzled, mis-spent, lost dishonestly, negligently or otherwise by the said principal;

We, therefore , agree that if, while holding the said office of patel , the principal, in the course of performance of the duties of the said office through his default, negligence or in any other manner whatever, causes, directly or indirectly any loss, injury or damage to the state government we shall jointly and severely make good such loss, injury or damage, of any description whatsoever:

Provided always and it is hereby agreed and declared that the surety shall not be at liberty to terminate his suretyship except upon giving to the collector six calendar month's prior notice is writing of his intention so to do;

And it is hereby agreed that the decision of the Governor in regard to whether any loss, injury,damage, etc. has been sustained or incurred and as to the amount thereof shall be final and binding on the principal and the surety;

And it is hereby further agreed and declared that all moneys falling due to the Governor under this bond shall be recoverable from the principal and surety jointly and severally in the same manner as an arrear of land revenue.

In witness whereof we have signed hereunder this.....day of 20.....

Witness-Signture of Principal

(1)..... (1) .....

(2)..... (2) .....

Surety .....

FORM - XIV

(See Rule 45)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Agreement

[Under sub section (1) of Section 222 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

I.....son/daughter/wife of.....now residing at.....having been appointed patel of .....in accordance with rules under section 222(1) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) engage to keep the village contented and to do my utmost to extend and improve the cultivation of the village, to collect land revenue taxes, cessesand other duties and in return to receive remuneration at rates prescribed from time to time by the state government.

2. I shall observe all the rules for the management of the village prescribed from time to time by the state government, and shall discharge my duties efficiently. I acknowledge myself bound by the following conditions.-

(i) The Patelship of the village is neither heritable nor transferable nor am I at liberty to share either the office or subdivide the remunerationfixed for it.

(ii) I shall reside permanently in the village under my charge.

(iii) I shall perform the duties attached to the office of Patel under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and thc rules framed thereunder.

(iv) I bind myself to collect the land revenue from the different Bhumiswamis and lessees, etc. and also any other dues ordered by the state government to bc recoverable through Patel and pay it regularly into the treasury with effect from the .....20....., in accordance with the instructions as may be issued by the state government in that behalf from time to time and shall maintain the records and accounts as may be prescribed by the government.

(v) I agree that a breach of any of these conditions shall warrant my removal from the office of Patel.

(vi) I bind myself to recover any sum due from me hereunder as an arrear of land revenue.

3. I agree that I may be punished, suspended or removed from my office in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and rules made thereunder:

Provided that no order of dismissed or removal shall be passed until opportunity has been afforded to me to show cause affiants the removal

Dated..... Signature of Patel.....

Countersigned
Dated...

Collector...
District....

FORM - XV

(See Rule 66)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of Tahsildar.....

Case No.....

.....

Vs.

.....

Proclamation

[Under sub section (2) of Section 179 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Whereas .....son/daughter/wife of.....of village/town .....Patwari Halka No./Sector No.....Tahsil..... Dist. ..... has made an application under sub-section (2) of section 179 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) for the purchase of rights in trees in his holding described in the Schedule below.

All persons interested are hereby informed that the undersigned will examine the application in this Court room at.....O'clock on the.....Any person who has any claim or objection to prefer should do so at that time.

Schedule

Name of village / town	Patwari Halka No. / Sector No. Tahsil	Survey No./ Block No. / Plot No.	Area (In hectare)	Number and species of trees	Names of persons in whom the rights in trees vest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SEAL

Dated, ...20.....

Tahsildar

.....

FORM - XVI

(See Rule 70)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of Tahsildar.....

Case No.....

.....

Vs.

.....

Proclamation

[Under sub section (6) of Section 239 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Whereas .....son/daughter/wife of.....of village/town .....Patwari Halka No./Sector No. ..... Tahsil..... Dist. .....has submitted an application under sub-section (6) of section 239 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) claiming compensation on the ground that as holder of a tree planting permit or tree patta on the land described in the Schedule below have been adversely affected by the permission to use the said land for a public purpose.

All persons interested are hereby informed that the undersigned will examine the application in this Court room at.....O'clock on the.....Any person who has any claim or objection to prefer should do so at that time.

Schedule

Name of village / town	Patwari Halka No. / Sector No. and Tahsil	Survey No./ Block No. /Plot No.	Area (In hectare)	Name of the holder of tree planting permit or tree patta	The number and species of trees and the particulars of applicant's claims.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

SEAL

Dated, the .....20.....

Tahsildar

.....

In triplicate

FORM - XVII

(See Rule 92)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Application for felling nationalised timber tree

[Under sub-section (2) of Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To,

The Tahsildar,

Tahsil ..... District .....

1.	Name of applicant with parentage and address Mobile Phone no. e-mail address (If any)	
2.	Name of the Bhumiswami over whose holding and the *Notified village with Patwari Halka Number in which felling is to be done	
3.	Survey Number /Block Number /Plot Number with area over which felling is to be done.	
4.	Total number of trees standing in the aforesaid Survey Number /Block Number /Plot Number species-wise and girth-wise.	
5.	Number to be felled girth-wise and serial number of trees to be felled	
6.	Name, full particulars and address of the purchaser	
7.	Condition and consideration of sale	
8.	Destination to which felled material is to be transported either personally or by the purchaser	
9.	Route of transport	

Place .....

Date ..... Signature of applicant

Note:- * Notified village means a village notified under sub-section (1) of Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959

FORM - XVIII

(See Rule 92)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Information for recording the entries of nationalised timber tree plantation in revenue records including Khasra

[Under Section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To,

The Tahsildar,
Tahsil ..... District .....

1. Name of applicant, ... mother's/father's/husband's name ..... and address ..... Mobile Phone no. ..... e-mail address (If any) .....

2. Particulars of holding along with ..... village/town, Patwari Halka number/ ..... Sector number in which the ..... plantation is proposed. .....

3. Particulars regarding the rights in land .....

4. Details of existing proposed plantation-

S. No.	Survey Number / Block Number / Plot Number	Number of existing trees and name of species	Number of plants for proposed plantation and name of species
(1)	(2)	(3)	(4)

Place .....
Date ..... Signature of applicant

Copy to –
Forest range officer .....

FORM - XIX

(See Rule 100)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of Sub-Divisional Officer.....

Case No.....

.....

Vs.

.....

Notice

[Under sub section (2-A) of Section 248 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To,

Ku./Sh./Smt.....son/daughter/wife of.....

Resident of .....village/town .....Tahsil .....District .....

Whereas, you have been, in defiance of order No..... dated..... of the Tahsildar....., Tahsil..... continuing in unauthorised occupation/possession of the land of following description, namely-

1. Survey number/Block number/Plot number .....
2. Area ..... (hectares)
3. In village/town .....
4. Patwari Halka No./ Sector No. .....
5. Tahsil .....

for more than seven days after the date of the said order.

Now, therefore, you are hereby called upon to appear before this Court on the ..... day of .....20 ..... to show cause why you should not be committed to civil prison for failure to vacate the unauthorised occupation/ possession of the said land.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of .....of.....20.....

SEAL

Date .....

Sub-Divisional Officer

Sub-Division.....

District .....

FORM XX

(See rule 101)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of Sub-Divisional Officer.....

Case No. .....

..... Applicant

Versus

..... Non applicant

WARRANT OF ARREST

[Under sub-section (2-A) of section 248 of the Madhya Pradesh land Revenue Code, 1959]

To

.....

.....

WHEREAS .....(name of warantee) son/daughter/wife of ..... resident of ..... (full address) has remained and continued in unauthorised occupation/possession of the following land, namely-

1. Survey number/Block number/Plot number .....
2. Area ..... (hectares)
3. In village/ town .....
4. Patwari Halka/ Sector No. .....
5. Tahsil .....

inspite of order passed by the Tahsildar..... Tahsil ..... Distt. ..... under sub-section (1) of Section 248 of the Madhya Prandesh Land Revenue Code,1959;

And whereas .....(name of warantee) was called upon to appear before this Court on ..... vide notice no..... dated ..... and show cause as to why he should not be committed to civil prison for failure to vacate the said land;

And whereas, the said..... has failed to appear before this Court on the day specified in the said notice and also continued to remain in unauthorised occupation/possession;

Now therefore you are hereby ordered to arrest the said ..... (name of warrantee) and bring him before this Court with all convenient speed, unless he remove his unauthorised occupation/possession from such land.

You are further ordered to return this warrant on or before the ..... day of .... 20.. with an endorsement certifying the day on and the manner in which it has been executed or the reason why it has not been executed.

Given under my hand and the seal of the Court, this.....day of .....20.....

SEAL
Dated.....

Sub-Divisional Officer
Sub-Division.....
District .....

FORM – XXI

(See Rule 103)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of Sub-Divisional Officer.....

Case No.....

.....

Vs.

.....

Warrant of committal to Jail

[Under sub-section (2-A) of Section 248 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To,

The Officer-in-charge of the Jail at.....

.....

Whereas..... has been continuing in unauthorised occupation/possession of the following land, namely-

1. Survey number/Block number/Plot number .....
2. Area ..... (in hectares)
3. In village/ town .....
4. Patwari Halka No./ Sector No. .....
5. Tahsil .....

for more than seven days after the date of the order of Tahsildar..... Tahsil issued under sub-section (1) of Section 248 of the Madhya Prandesh Land Revenue Code,1959.

And whereas ..... was called upon to appear before this Court on ..... vide Notice No..... dated .....

And whereas, after having appeared before the Court has not satisfied this Court as to why he should not be committed to civil prison on this account;

Now therefore you are hereby commanded and required to take and receive the said into the civil prison and keep him imprisoned therein for a period of..... days with effect from ..... to..... (both days inclusive).

Given under my hand and the seal of the Court, this day of .....of.....20.....

SEAL

Date .....

Sub-Divisional Officer

Sub-Division.....

District .....

FORM – XXII

(See Rule 105)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of Sub-Divisional Officer.....

Case No.....

.....

Vs.

.....

Order for Release

[Under sub-section (2-A) of Section 248 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To,

The Officer-in-charge of the Jail at.....

.....

Under order passed this day, you are hereby directed to set free..... now in your custody unless he is liable to be detained for some other cause.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of .....of.....20.....

SEAL

Date .....

Sub-Divisional Officer,

Sub-Division.....

FORM - XXIII

(See Rule 116)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Application for consolidation of holding

[Under Section 206 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To

The Consolidation Officer
District .....
Madhya Pradesh

Sir,

We, the undersigned Bhumiswamis of land of village.....Settlement No. .....Patwari Halka No. ..... Tahsil ..... District .....apply that our holdings situatedin the aforesaid village ..... and detailed in the schedule below may be consolidated.

We submit herewith a scheme of consolidation mutually agreed to by us for examination.

Schedule

S.No.	Name of Bhumiswami with mother's/father's /husband's name and place of residence	Holding number	Survey number	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)	Encumbrances and liabilities (if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Dated.....

Signature of Applicants

Note.- In the case of a joint holding where the co-sharers are undivided in interest and are co-parceners are members of a joint Hindu family the signature of the Manager or Karta of the family shall be deemed to be the signature on behalf of all the Co-sharers in the holding.

FORM - XXIV
(See Rule 117)
The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Case No.....

In the Court of the Consolidation Officer.....

Proclamation
[Under Section 211 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Whereas an application for the consolidation of holdings under Chapter XVI of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959, has been received from certain Bhumiswamis of village ..... Settlement No. . .....Patwari Halka No. .....Tahsil .....District ..... all the Bhumiswamis in the aforesaid village are hereby informed that the undersigned will examine the application in the said/adjoining village of ..... at..... O'clock on the ..... Any person who has any representation to make or an objection to prefer should do so then.

SEAL
Dated .....20....

Consolidation Officer
.....

FORM - XXV
(See Rule 117)
The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Case No.....

In the Court of the Consolidation Officer.....

Notice
[Under Section 211 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

To
.....
.....

Notice is hereby given that the application for consolidation of holdings situated in village .....Settlement No..... Patwari Halka No..... Tahsil .....District..... which you with others have submitted on ..... will be examined together with any objections that may be preferred by any person interested, by the undersigned in the said/adjoining village of .....at..... O'clock on the .....

SEAL
Dated.....20

Consolidation Officer
.....

FORM – XXVI

(See Rule 124)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

HaisiyatKhasra

[Under Section 209 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Name of village ..... Patwari Halka No. .....Tahsil..... District.....

Survey number	Area (in hectare)	Name of Bhumiswami	Local name of area har or khar
(1)	(2)	(3)	(4)

Haisiyat				Soils and positions according to the settlement record	Name of the proposed new Bhumiswami
Rice land	Bharri	Bhata	Badikother		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM – XXVII

(See Rule 124)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Acceptance of Valuation of Fields

[Under Section 209 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Holding No.	Name of Bhumiswami, mother's/father's/husband's name and place of residence	Signature of the Bhumiswami
(1)	(2)	(3)

FORM – XXVIII

(See Rule 128)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

From of Provisional Consolidation Record of Rights

[Under Section 209 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Consolidation record of right of village.....Patwari Halka No. ...Tahsil.....District .....

Holding No.	Name of Bhumiswami, his mother's/father's/ husband's name and place of residence together with Land Revenue	According to the record of rights for the year				
		Survey number	Area (in hectare)	Soil and positions according to the settlement record	Classification of each field according to the standard of cultivation	Valuation (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

According to the Chakbandi				
Survey Nos.	Area (in hectare)	Soil and position of each No. given in column (5)	Classification of each field given in column (6)	Valuation (in rupees)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Revised survey number according to consolidation	Area of each new survey number (in hectare)	Remarks
(13)	(14)	(15)

Notes:- (1) The total area in possession of each Bhumiswamiwill be given at the end of the entries in columns (3) and (4).

(2) In column (2) the Bhumiswami's name will be entered in the serial order of the Jamabandi.

(3) Columns (13) and (14) will be filled in when the consolidation of holdings in the whole village is finished.

FORM – XXIX

(See Rule 133)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Acceptance of scheme of consolidation

[Under Section 209 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

I,..... son/daughter/wife of.....Resident of ..... Village.....Patwari Halka No. .....Tahsil ..... District..... hereby accept the allotment of the fields specified in the table below in lieu of the field held by me at present:-

S. No.	Survey number	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
4		

Signature of Bhumiswami

Notes:- 1. There should be no corrections nor the over-writings in this form. If corrections are found necessary, all entries should be rewritten and a fresh signature obtained. The signature should be made just below the last entry in the table.

2. In the case of a joint holding where the co-shares are undivided in interest and are coparceners or members of a joint Hindu Family, the signature of the Manager or Karta of the family shall be deemed to be the acceptance of the scheme by all the co-shares in the holdings.

FORM – XXX
(See Rule 133)
The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

Abstract of Record of Rights

[Under Section 211 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Village .....Patwari Halka No. .....Tahsil .....District.....Year .....

S. No.	Name of Bhoomiswami	According to Patwari's Record-of-Rights			Remarks	According to consolidation Record-of Rights			Remarks
		Survey number	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)		Survey number	Area (in hectare)	Land Revenue (in rupees)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM – XXXI
(See Rule 134)
The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

In the Court of the Consolidation Officer.....

Proclamation

[Under of Section 211 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Whereas the scheme of consolidation of holdings of village .....Patwari Halka No.....Tahsil....., District..... has been confirmed by the order of the Collector..... on....all Bhumiswamis affected by the scheme of consolidation are, hereby, informed that they are entitled to possession of the holdings allotted to them under the scheme with effect from ..... and the undersigned shall, if necessary, proceed under Section 212 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 to put them by warrant, in possession of the holdings to which they are entitled.

SEAL
Dated.....20

Consolidation Officer
.....

FORM - XXXII

(See Rule 139)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020

List of recovery of cost of carrying out the scheme of consolidation

[Under Section 215 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Village ..... Patwari Halka No. .....Tahsil .....District.....

Holding No.	Area of holding (in hectare)	Name, mother's/father's/husband's name and residence of the Bhumiswami	Rate of consolidation cost per hectare (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)

Total demand on account of consolidation cost (in rupees)	Apportionment of demand in instalment		Remarks
	First instalment	Second instalment	
(5)	(6)	(7)	(8)

----------x----------

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.